Tuesday, 21 September, 1965

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 46 में अंक 21 से 29 तक हैं
Vol. XLVI contains Nos. 21 to 29]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 26—मंगलवार, 21 सितम्बर, 1965/30 भाद्र, 1887 (शक)

No. 26—Tuesday, September 21, 1965/Bhadra 30, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
749	चावल तथा गेहूं का सम्भरण	Supply of Rice and Wheat .	2575–79
751	केरल में चुनाव	Elections in Kerala . . .	2579–81
752	पाकिस्तानी लड़ाकू (फाइटर) विमान द्वारा भारतीय स्काइमास्टर विमान का पीछा किया जाना	Chase by Pak. Fighter of Indian skymaster . . .	2581–83
753	राजधानी में डेरियो का हटाया जाना	Removal of Dairies in the Capital	2583–85
754	विवाह-विच्छेद	Divorce	2585–86
755	भिक्षावृत्ति का उन्मूलन	Eradication of Beggary . .	2586–89
756	किसानों के लिये ऋण	Credit to Agriculturists .	2589–91
757	राशन-व्यवस्था	Rationing	2592–95

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q.			
7.	पश्चिम बंगाल को चावल का सम्भरण	Supply of Rice to West Bengal .	2595–97

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q .No.			
758	भूमिगत जल का सर्वेक्षण	Ground Water Survey . .	2598
759	उड़ीसा में चुनाव	Elections in Orissa . .	2598
760	कृषि-कार्यों की लागत के आंकड़े	Cost Data of Agricultural Operations	2598
761	चीनी उद्योग के लिये बैंकिंग की सुविधायें	Banking Facilities to Sugar Industry	2599
762	दिल्ली में अत्यावश्यक वस्तुओं के भाव	Prices of Essential Commodities in Delhi	2599
763	पूंजी लगाने से पहले वन-संसाधनों का सर्वेक्षण	Pre-Investment Survey of Forest Resources	2600
764	कृषि अनुसन्धान	Agricultural Research . .	2600–01

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
765	भारतीय खाद्य निगम	Food Corporation of India .	2601–02
766	दिल्ली में टैक्सियों और स्कूटरों का किराया	Taxi and Scooter Fares in Delhi	2602
767	डेनियल वाल्काट के भाग निकलने से संबंधित जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of Enquiry Committee on escape of Daniel Walcott .	2602–03
768	दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों के लिये पुर्जे	Spare Parts for D.T.U. Buses .	2603
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
2505	उत्थापन सिंचाई योजनायें	Lift Irrigation Schemes .	2603–04
2506	फसल मौसम वेधशाला	Crop Weather Observatories	2604
2507	सहकारी ऋण व्यवस्था	Cooperative Credit . . .	2604–05
2508	श्रम ठेके तथा निर्माण सहकारी समिति सम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड	National Advisory Board for Labour Contract and Construction Cooperatives . .	2605–06
2509	सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों का सम्मेलन	Conference of Registrars of Cooperative Societies . . .	2606
2510	निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा	Free and Compulsory Primary Education	2606
2511	सेलम में हवाई अड्डा	Aerodrome at Salem	2606–07
2512	मद्रास में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	S. Cs. & S. Ts. in Madras .	2607
2513	पहाड़ी क्षेत्रों का विकास	Development of Hill areas .	2607
2514	सिन्दखेड में आदिम जाति विकास खंड	Tribal Development Block at Sindkhed	2607–08
2515	मानवीय आधार पर जेलों में प्रयोग	Humanitarian Experiments in Jails	2608
2516	हिन्दी विधि आयोग	Hindi Law Commission . .	2608–09
2517	बारहमासी हवाई अड्डे	All weather Air Ports . .	2609
2518	वनस्पति तथा केला उत्पादकों को मालगाड़ी की दरों में रियायत	Concession in Freight Rates to Vegetable and Banana Growers	2609
2519	चावल की प्रति एकड़ उपज	Yield of Rice per Acre .	2609–10
2520	समुद्री मोती वाली सीपियां	Sea Pearl Shells .	2610
2521	उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें	Sugar Mills in U.P. .	2610–11
2522	उत्तर बिहार से फूट पौरिज का निर्यात	Export of Fruit Porridge from North Bihar . . .	2611
2523	जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजपथ	Jammu-Srinagar National Highway	2611

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2524	चावल अनुसन्धान संस्था, कटक	Rice Research Institute, Cuttack	2611–12
2525	लट्ठे बनाने का प्रशिक्षण देने वाले केन्द्र	Logging Training Centres .	2612
2526	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा खरीदे गये दूध की कीमत	Price of Milk purchased by D.M.S.	2612–13
2527	पंजाब में उपचुनाव	Bye-election in Punjab .	2613
2528	मैसूर में खाद्य स्थिति	Food Situation in Mysore .	2613–14
2529	खाद्यान्न जमा करना	Storage of Food grains	2614
2530	काश्मीर में शीतकालीन पर्यटन	Winter Tourism in Kashmir .	2615
2531	अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संस्थाओं का संघ	Federation of All-India Food-grain Dealers' Association	2615
2532	बरैली अमीनगांव सड़क	Bareilly-Amingaon Road .	2615–16
2533	तम्बाकू का उत्पादन	Production of Tobacco	2616
2534	चुकन्दर से चीनी	Sugar from Beet Root . .	2616–17
2535	तृतीय मंडल संघ तथा साम्राज्य विधि सम्मेलन	Third Commonwealth and Empire Law Conference . .	2617
2536	भारत-जापानी फार्म	Indo-Japanese Farms	2617–18
2537	मछली पकड़ने का ट्रालर	Fishing Trawler	2618
2538	"कैराबिल" विमान सेवा	Caravelle Service . . .	2618
2539	कृषि-अनुसन्धान के लिये अवकाश-प्राप्त वैज्ञानिक	Emeritus Scientists in Agricultural Research	2619
2540	नागालैंड में पर्यटन	Tourism in Nagaland .	2619
2541	ब्रिटेन-भारत जहाज सेवा	U.K. India Shipping Service	2619
2542	रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग	Use of Chemical Fertilizers	2620
2543	चीनी कारखानों द्वारा जले हुए गन्ने के लिये भुगतान	Payments made by Sugar Factories for Burnt Cane . .	2620
2544	उपभोक्ता स्टोरों के लिये स्थान	Accommodation for consumer Stores	2620–21
2545	असैनिक उड्डयन विभाग में अवशिष्ट कार्य	Arrears in Civil Aviation Department	2621
2546	असैनिक उड्डयन विभाग के चौकीदारों और मेहतरों के लिये समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance for Chowkidars and Sweepers in the Civil Aviation Department .	2621–22
2547	असैनिक उड्डयन विभाग के परिचालन कर्मचारी	Operational Staff of Civil Aviation	2622
2548	असैनिक उड्डयन विभाग में पर्यवेक्षक संवर्ग के लिये पदोन्नति	Promotion to Supervisory Cadre Civil Aviation Department .	2622–23

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2549	पैकेज प्रोग्राम	Package programme	2623
2550	किसानों के लिये ऋण-पत्रक	Credit Cards for Farmers .	2623–24
2551	अखिल भारतीय बंजारा सेवक संघ	Akhil Bhartiya Banjara Sewak Sangh	2624
2552	राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड	National Shipping Board . .	2624
2553	महाराष्ट्र में बागबानी का विकास	Development of Horticulture in Maharashtra	2624
2554	ज्वार के मूल्य	Prices of Jowar . . .	2625
2555	कीटनाशक दवाइयों संबंधी समिति	Committee on Pesticides . .	2625
2556	तीसरी योजना में सड़कों के निर्माण की नागपुर योजना के लक्ष्य	Nagpur Plan Target for construction of Roads during Third Plan	2625–26
2557	उड़ीसा के लिये चावल का अभ्यंश	Quota of Rice to Orissa .	2626
2558	उर्वरकों सम्बन्धी शिवरामन समिति	Sivaraman Committee on Fertilizers	2626–27
2559	राष्ट्रीय सहकारी बैंक	National Co-operative Bank	2627
2560	पत्तन के सामान की चोरी	Pilferage of Port Stores . .	2627
2561	बिहार में गुथमी घाट पर पुल	Bridge at Gutnami Ghat, Bihar .	2627–28
2562	कृषि के लिये भूमि का परिरक्षण	Conservation of Land for Agricultural purposes . . .	2628
2564	अमरीका से गेहूं	Wheat from U.S.A. . . .	2628
2565	असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी संघ	Civil Aviation Department Employees' Union . . .	2628–29
2566	बिहार में चीनी मिलें	Sugar Mills in Bihar . . .	2629
2567	भू-राजस्व की वसूली	Collection of Land Revenue	2630
2568	दिल्ली दुग्ध योजना की दूध की बोतलें	D.M.S. Milk Bottles .	2630
2569	अनुसूचित आदिम जातियों की सूची से कुछ आदिम जातियों का निकाला जाना	Exclusion of some Tribes from List of Scheduled Tribes .	2631
2570	मुगल लाइन्स लिमिटेड, बम्बई	Mogul Lines Limited, Bombay .	2531
2571	केन्द्रीय पहाड़ी क्षेत्र विकास समिति	Central Hill Development Committee	2631
2572	उद्यानों का विकास	Development of Gardens . .	2632
2574	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति की सूचियों का पुनरीक्षण	Revision of Lists of S.Cs. and S.Ts.	2632
2575	पिछड़े वर्गों के निदेशालय का कार्यालय	Office of Director of Backward Classes	2632–33
2576	मैसूर में छोटी सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Schemes in Mysore . . .	2633

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2577	गया जिले में हरिजन मतदाता	Harijan Voters in Gaya District	2634
2578	वजीराबाद (दिल्ली) में पुल	Bridge at Wazirabad (Delhi) .	2634
2579	मालाबार में टीपू सुल्तान सड़क	Tippu Sultan Road in Malabar	2634
2580	कोजीकोड जिले में हवाई अड्डा	Airport in Kozhikode District .	2634-35
2581	केरल में उचित मूल्य वाली दुकानों के द्वारा चावल का वितरण	Distribution of Rice through Fair Price Shops in Kerala . .	2635
2582	कुक्कुट पालन के लिये मत्स्य चूर्ण	Fishmeal for Poultry . .	2635
2583	केरल की उत्थापन सिंचाई योजनायें	Lift Irrigation Schemes of Kerala	2635-36
2584	केरल में सड़कों का विकास	Development of Roads in Kerala	2636
2585	अनाज व्यापारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Grain Dealers . .	2636
2585-क	मैसूर राज्य के कमी वाले क्षेत्रों में दुर्भिक्ष सहायता	Famine Relief in Scarcity Areas of Mysore	2636-37
2585-ख	अमरीका से चावल का आयात	Import of Rice from U.S.A.	2637
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	दुर्गापुर में तार-प्राधिकारियों द्वारा तारों को लेने से कथित इन्कार—	Alleged refusal by telegraph authorities at Durgapur to accept telegrams—	
	श्री कपूर सिंह	Shri Kapur Singh .	2637
	श्री सत्यनारायण सिंह	Shri Satya Narayan Sinha .	2637-38
	सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	2638-39
	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	Committee on Absence of Members—	
	चौदहवां प्रतिवेदन	Fourteenth Report . .	2639
	एकस्व विधेयक—पुरःस्थापित	Patents Bill—Introduced .	2639
	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विधेयक—	Jawaharlal Nehru University Bill—	
	संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य-सभा की सिफारिश से सहमति का प्रस्ताव—	Motion to concur in Rajya Sabha recommendation to refer to Joint Committee—	
	श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . .	2640
	डा० चन्द्रभान सिंह	Dr. Chandrabhan Singh	2640
	श्री श्यामलाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf . .	2641
	श्री खाडिलकर	Shri Khadilkar . .	2641
	श्री सिंहासन सिंह	Shri Sinhasan Singh . .	2642
	श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	Shri J. P. Jyotishi . .	2642

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री गौरी शंकर कक्कड	Shri Gauri Shankar Kakkar	2642–43
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh . .	2643
श्री भक्त दर्शन	Shri Bhakt Darshan .	2643–44
भारतीय प्रतिरक्षा निर्माण कार्य (संशोधन) विधेयक—	Indian Works of Defence (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
डा० द० स० राजू	Shri D. S. Raju . .	2645
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote . . .	2645
श्री मोरे	Shri K. L. More . .	2645
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	2646
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himmatsingka . .	2646
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh . .	2646
श्री सुब्बरामन	Shri Subbaraman .	2646
श्री दे० शि० पाटिल	Shri D. S. Patil . . .	2647
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . .	2647
श्री प्रिय गुप्त	Shri Priya Gupta . .	2647
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa .	2648
श्री गौरी शंकर कक्कड़	Shri Gauri Shankar Kakkar .	2648
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya . . .	2648
श्री म० ल० जाधव	Shri M. L. Jadhav . .	2648
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya	
खण्ड 2 तथा 1	Clauses 2 & 1 . .	2649
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to pass—	
डा० द० स० राजू	Dr. D. S. Raju . .	2649
न्यायाधीश (जांच) विधेयक—	Judges (Inquiry) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganatha Rao . .	2649–50
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	2650–51
श्री जोकीम आल्वा	Shri Joachim Alva . .	2651
श्री उ० मू० त्रिवेदी	Shri U. M. Trivedi . .	2651–52
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh .	2652–53
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee .	2653–54
श्री श्यामलाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf . .	2654
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	2655
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarakeshwari Sinha	2655–56

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री रंगा	Shri Ranga	2656
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	2656–58
श्री अ० शं० आल्वा	Shri A. S. Alva	2658
अत्यावश्यक वस्तुओं के कीमतों में वृद्धि के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	*Half-An-Hour Discussion Re :* Rise in Prices of Essential Commodities—	
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukum Chand Kachhavaiya	2659

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार 21 सितम्बर, 1965/30 भाद्र, 1887 (शक)
Tuesday, September 21, 1965/Bhadra 30, 1887 (Saka)

लोक-सभा दस बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Ten of the Clock.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

चावल तथा गेहूं का सम्भरण

*749. **श्री सुबोध हंसदा :**
डा० पू० ना० खां :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पूर्वी राज्यों में चावल तथा गेहूं का पहले ही सम्भरण कम है;

(ख) क्या इसी कारण इन क्षेत्रों में हाल के महीनों में खाद्यान्न के मूल्य बढ़ गये हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारें मूल्यों को बढ़ने से रोकने में कठिनाई अनुभव कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या अनाज के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के हेतु राज्य की अधिक गेहूं तथा चावल सम्भरण सम्बन्धी प्रार्थना को स्वीकार किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (घ) : सभी पूर्वी राज्य मुख्यत: चावल उत्पादक तथा चावल उपयोगी राज्य हैं। यह चावल की फसल के ऋतु का अन्तिम भाग है और कमी वाले राज्यों जैसा कि बिहार और पश्चिमी बंगाल में खुले बाजार में चावल सप्लाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो गेहूं का कुछ महत्वपूर्ण मात्रा में उत्पादन करता है। सब राज्यों को, जिन में बिहार भी शामिल है, आयातित गेहूं सप्लाई किया जाता है। पूर्वी राज्यों को गेहूं और चावल का सप्लाई केन्द्रीय संचिति से इन की समस्त प्राप्यता और देश में सभी राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ही की जाती है।

(ख) और (ग) : बिहार के अलावा पूर्वी राज्यों में चावल के मूल्यों पर नियंत्रण है और खुले बाजार के भाव प्राप्त नहीं हैं। बिहार में मन्दी ऋतु होने से अभी चावल के मूल्य बढ़ गये हैं। इसी कारण खुले बाजार में गेहूं के मूल्य भी तेज हो गये हैं। फिर भी उचित मूल्य दुकानों के द्वारा आयातित गेहूं का बड़े पैमाने पर वितरण किया जा रहा है। जनता के गरीब भाग को कठिनाई न हो इस लिये लगभग सभी पूर्वी राज्यों में उचित मूल्य दुकानों की काफी संख्या बढ़ा दी गई है।

श्री सुबोध हंसदा : जैसा कि माननीय ने माना कि पूर्वी राज्यों में खाद्यान्नों की सप्लाई कम है मैं जानना चाहता हूं कि देश में खाद्यान्नों के मूल्य नियत किये जाने की नीति ही पूर्वी राज्यों अन्न के प्राप्त न होने की उत्तरदायी है। और क्या इस नीति ने काले बाजार बनाने में सहायता नहीं की है ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जैसा कि मैंने उत्तर में बताया सभी पूर्वी राज्यों में चावल के मूल्यों पर नियंत्रण कर दिया गया है। मैंने कहा कि खुले बाजार के भाव प्राप्त नहीं हैं।

श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच है कि परिवर्तित राशन प्रणाली ने, विशेषकर पश्चिमी बंगाल में संतोषजनक काम नहीं किया है जिस से खाद्यान्नों के मूल्य बहुत चढ़ गये हैं ?

श्री दा० रा० चव्हाण : नहीं, कलकत्ता नगर के उद्योगिक क्षेत्रों में परिवर्तित राशन प्रणाली और कानूनी राशन ने बहुत संतोषजनक कार्य कर रहे हैं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने संघ सरकार को सूचित किया है कि यदि उनको 30 सितम्बर तक 30,000 टन चावल नहीं दिया जाता तो वह वर्तमान राशनिंग को चालू नहीं रख सकेंगे ?

खाद्य और कृषि मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यह ठीक नहीं है। सचाई यह है कि वर्तमान आपात का सामना करने के लिये और जब तक सम्भव हो इन भण्डारों को बनाये रखने के लिये हम ने सभी राज्य सरकारों से राशन 12 औंस से घटा कर 10 औंस कर देने को प्रार्थना की है। यह कार्यवाही पश्चिमी बंगाल सरकार ने इसी के अनुसरण में की है और इस लिये नहीं कि हम ने उनको भण्डार सप्लाई नहीं किये हैं।

Shri M. L. Dwivedi : I would like to know that how far it is correct that due to the shortage of rice in West Bengal that Government is going to take a decision in respect of reducing the ration by two ounces. No other rice is available in Delhi except for Sela.

Mr. Speaker : Delhi does not come under the eastern states.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : क्योंकि अन्न की आयात अनिश्चित है और खरीफ की फसल भी उतनी उत्सावर्धक नहीं हुई जितनी की आम मोनसून से होनी थी इस लिये राशन में कमी करने की कार्यवाही को केवल पश्चिमी बंगाल में ही नही अपितु सभी राज्यों में करना पड़ेगा। इसलिये यह कार्यवाही केवल पश्चिमी बंगाल में ही नहीं परन्तु सारे देश में की जा रही है।

श्री कपूर सिंह : माननीय के उत्तर से मैं यह समझा हूं कि वास्तव में जो प्रश्न पूछे गये थे उन का उत्तर दिया गया है। प्रश्न जो पूछा गया था वह यह

था कि क्या सप्लाई कम है और क्या मूल्य बढ़ गये है और उत्तर जो दिया गया है वह है कि प्राप्यता के अनुसार सप्लाई की जा रही है और मूल्यों पर उचित ढंग से नियंत्रण कर लिया गया है। वास्तव में जो प्रश्न पूछे गये थे उन के उत्तर यह नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि लोगों की खाने की सभी मांगों को पूरा किया जा रहा है, और दूसरे कि क्या आपात कालीन स्थिति के बाद मूल्य अचानक बढ़ गये हैं?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जिस हद तक सम्भव है लोगों की मांगों को पूरा किया जा रहा है। हम रातोरात अन्न का उत्पादन नहीं कर सकते। इस लिये जो कुछ केन्द्र सरकार के पास है हम उस का विभिन्न राज्यों को वितरण कर रहे हैं। मैं यह भी कहूंगा कि आपात के कारण विशेषकर अभी लोगों ने और व्यापारियों ने सभी जगह इसका अच्छा उत्तर दिया है और मूल्यों में उपर की ओर प्रवृत्ति होने के स्थान नीचे की ओर प्रवृत्ति रही है।

श्री कपुर सिंह : वह किसी प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देते।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मन्त्री ने बताया है कि आपात और चावल के आयात की अनिश्चितता के कारण पश्चिमी बंगाल में और पूर्वी राज्यों के दूसरे स्थानों में चावल के कोटा में 2 औंस की कटौती का सुझाव दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में यह कटौती अधिक आयातित चावल के न मिलने के कारण से है या सप्लाई के अभाव के कारण से या जैसा कि मुख्य मन्त्री ने कहा केन्द्र से अपर्याप्त सप्लाई के कारण से है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम इस वर्ष के दौरान पश्चिमी बंगाल को 3 लाख टन चावल देने के लिये सहमत हुये हैं। वह 3 लाख उन को दिया जायेगा परन्तु हम ने राज्यों को बताया है कि बाद में हो सकता है कुछ कठिनाई उत्पन्न हो जाये विशषकर यदि यह वर्तमान आपात कालीन स्थिति चालू रहती है और जहां तक सम्भव हो सके हमें वर्तमान भण्डारों पर ही निर्भर रहना चाहिये। इस लिये राशन में कटौती की जा रही है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या यह सच नहीं है कि प्रत्येक दिन व्यतीत होने के साथ साधारण जनता ही नहीं या संसद सदस्या परन्तु डा० राज कृशन जो कि कृषि मूल्य आयोग के भूतपूर्व सदस्य भी हैं जैसे विशेषज्ञों का मत है कि देश में खाद्यान्नों के ऊंचे मूल्यों में असंतुलन को रोकने का एक प्रभावशाली तरीका यह है कि खाद्य क्षेत्रों को हटा दिया जाये। यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इन को हटाने में सरकार को क्या बाधा है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : डा० राज कृशन के मत के विरुद्ध यहां और दूसरे अर्थ शास्त्रियों के मत हैं कि वर्तमान .....

श्री रंगा : गरीब किसानों के बारे में क्या है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कृपा करके इंतजार कीजिये। मैं उत्तर दे रहा हूं कमी के वर्तमान प्रसंग में कटिबन्धों का हटाया जाना खतरनाक होगा। कटिबन्धों के हटाये जाने में क्या कठिनाई है? विशेषकर जो लोग कटिबन्ध को हटाये जाने की वकालत करते हैं और अबाध व्यापार चाहते हैं और व्यापारीयों के एक राज्य से दूसरे राज्यों में वहन के आधार पर अन्न का अबाध वहन चाहते हैं।

हमें इस बात का अनुभव है कि जब कमी होती है तो व्यापारी लोग किस प्रकार का बर्ताव करते हैं। इसलिये विशषतः राज्य से राज्य को आधार पर एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न ले जाना आवश्यक हो गया। हम हर राज्य में फालतू खाद्यान्न का अनुमान लगा रहे हैं और उसका समाहार कर वह कमी वाले राज्यों के दे रहे हैं।

श्री ब० कु० दास : मुझे पता लगा है कि कलकत्ता में और औद्योगिक क्षेत्र में राशन में कटौती कर दी गयी है। क्या एम० आर० दुकानों में भी ऐसा किया गया है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां। एम० आर० दुकानों में भी।

श्री रंगा : इस बात को देखते हुए कि सभी बड़े नगरों में राशन-व्यवस्था लागू की जा रही है, हर स्थान पर उचित मूल्य वाली दुकानें खोली जा रही हैं और सभी औद्योगिक केन्द्रों को उनका राशन सुनिश्चित किया जा रहा है, यदि जोन समाप्त कर दिये जाते हैं तो इसमें सरकार को या जनता को क्या भय या जोखिम है विशेषतः जब कि महाराष्ट्र राज्य इन प्रतिबन्धों को हटाना चाहता है तो सरकार को इससे क्या विशेष प्रयोजन हल होगा? आखिर वे लोग गैर-जिम्मेदार तो नहीं हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जोन बनाये रखने के लिये भी जिम्मेदार व्यक्ति ही कहते हैं। यदि हम एक लाख या इससे अधिक की आबादी वाले सभी नगरों की राशन की आवश्यकता पूरी करें तो इस अनाज का देश के भीतर ही समाहार करना पड़ेगा और यदि अनियंत्रित रूप से खाद्यान्न एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने दिया जाय तो फिर समाहार नहीं हो सकता क्योंकि व्यापारी लोग खाद्यान्न एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जायेंगे। इसलिये समाहार के लिये भी राज्यों में क्षेत्रीय प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है।

Shri Bagri : In view of shortage of rice, are Government taking some action to purchase rice in border areas of Punjab where crop is ready for harvest, if so, the details thereof?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमें स्थिति का पता है। वास्तव में हम फसल काटने और धान कूटने वाली मशीनें भी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि इस फसल को को शीघ्र काटा जा सके और सरकार को जितनी भी मात्रा दी जायगी, वह खरीदने को तैयार है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : पूर्वी राज्यों को खाद्यान्न का संभरण करने से पहले क्या सरकार ने उन राज्यों में आन्तरिक समाहार के आंकड़े देखे है और वे किस हद तक लक्ष्य प्राप्त कर सके हैं ताकि वे सदैव केन्द्र पर निर्भर न रहें?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : समाहार के लक्ष्य के आंकड़े हमारे पास हैं। उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश राज्यों को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों ने लक्ष्य पूरे कर लिये हैं।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस आपातकाल में बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों द्वारा किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य को ध्यान में रखते हुए भी यदि बिहार को, जहां अधिकांश औद्योगिक संयंत्र हैं, खाद्यान्न न दिया गया तो क्या सरकार ने स्थिति की गंभीरता के बारे में सोचा है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने सोचा है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इसकी कोई कमी न हो।

श्री प्र० ना० तिवारी : मंत्री महोदय ने बताया है कि बाजार भाव कम हो गये हैं। क्या इसके कारणों का कोई अध्ययन किया गया है? ऐसा बाजार में अधिक खाद्यान्न आने के कारण है या किसी अन्य कारण?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह बाजार में अधिक आनाज आने के कारण है। स्थिति को देखते हुए जिन लोगों ने माल जमा कर लिया था वे अब वह मंडी में बेच रहे हैं।

Shri Gulshan : Different states had made stocks of wheat and rice. Now they want this wheat and rice. I want to know whether wheat & rice is given to those states which had made the stocks or there is some profiteering?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने मूल्य निश्चित कर दिये हैं और इसमें मुनाफा कमाने की कोई बात नहीं है। उनको भंडार में रखने, भाड़े और अन्य शुल्क को देने ही पड़ते हैं।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Certain profiteers are profiteering in supplying foodgrains to families of jawans fighting on the front. Do the Government intend to take some action against those traders by declaring them traitors?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कुछ हद तक मूल्य स्थिर हो गये हैं और जनता ने और व्यापारियों ने सहयोग दिया है।

केरल में चुनाव

+

*751. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मुहम्मद कोया :
श्री वारियर :
श्री वासुदेव नायर :
श्री प्रभात कार :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चुनाव करवाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : जी नहीं। आवश्यक कार्यवाही उचित समय पर की जाएगी।

श्री कपूर सिंह : प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : भाग (ख) प्रश्न है 'यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;' उत्तर इस प्रकार है 'आवश्यक कार्यवाही उचित समयपर की जायगी'।

श्री जगन्नाथ राव : इस उद्घोषणा का दोनों सभाओं द्वारा अनुमोदन किया गया था। राज्य सभा ने इसका अनुछेद 356(4) के अन्तर्गत 11 मई, 1965 को अनुमोदन किया था। छः महीने की अवधि 11 नवम्बर, 1965 को समाप्त होती है। भावी निर्वाचनों के बारे में अभी से निर्णय नहीं किया जा सकता।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या छः महीने की अवधि के बाद निर्वाचन कराये जायेंगे या इनको राजनीतिक कारणों से और टाला जायगा?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : नवम्बर के बाद भी निर्वाचन होने की बहुत थोड़ी संभावना है।

श्री स० मो० बनर्जी : इसके क्या कारण हैं ?

श्री अ० कु० सेन : कारण स्पष्ट है। एक निर्वाचन से कोई लाभ नहीं हुआ और जब देश में आपात काल है तो हम इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या केरल में निर्वाचन होंगे ही नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। श्री वारियर।

श्री वारियर : क्या निर्वाचन केवल तब ही कराये जायेंगे जब सरकार को यह निश्चय हो जाये कि केरल में कांग्रेस को बहुमत मिल जायगा ?

श्री अ० कु० सेन : यह बिल्कुल असम्बद्ध बात है। सरकार का पहले भी कभी यह ध्येय नहीं रहा है और नहीं भवीष्य में ऐसा कोई ध्येय रहेगा। बात केवल यह है कि 1962 से पूर्व हमने उनकी अवधि समाप्त होने से पूर्व दो बार निर्वाचन कराये और उनका परिणाम बड़ा असंतोषजनक रहा। पिछले सामान्य निर्वाचन से यह सिद्ध हो गया कि यह स्थिति जारी रहेगी और जब तक सरकार को यह निश्चय न हो जाये कि वहां पर कोई स्थायी सरकार बन सकती है, आपातकाल में सरकार का इस बारे में कोई व्यय करने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री कपूर सिंह : क्या "स्थायी सरकार" का मतलब कांग्रेस सरकार से है।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। केवल प्रश्न ही पूछे जा सकते हैं, तर्क नहीं किया जा सकता।

श्री वासुदेवन नायर : क्या सरकार ने राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों के विचार जानने के लिये कोई कदम उठाये हैं या सरकार निर्णय करने के लिये केवल अपने ही जानकारी-सूत्रों पर निर्भर कर रही है ?

श्री अ० कु० सेन : सरकार को अपने जानकारी के सूत्रों पर निर्भर करना पड़ता है और इस मामले में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी स्वयं अपने निर्णय पर निर्भर करता है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : इस आपात काल में सरकार के दृष्टिकोण की बात समझ में आती है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अथवा निर्वाचन आयोग ने केरल में अथवा अन्यत्र निर्वाचनों और उप-निर्वाचनों के बारे में कोई एकरूप सिद्धान्त बनाया है और क्या इस बारे में वे समरूप नीति अपना रहे हैं ?

श्री अ० कु० सेन : अभी अन्तिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है लेकिन विचार यह है कि जब तक आपात काल है और दो ओर से हमले होते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन कराना कठिन होगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचनों के बारे में मामला भिन्न है लेकिन जहां तक प्रत्यक्ष निर्वाचनों का सम्बन्ध है, देश में आम राय यह है कि अब निर्वाचन न कराये जायें।

Shri Bagri : When India is prepared to fight for the protection of democracy, so to prove the strength of democratic institutions will Govt. consider of holding elections in Kerala ?

श्री अ० कु० सेन : मैं समझता हूं कि इस संसदने और हर विधान मंडल ने देश में अपनी जनतांत्रिक सुदृढता का पर्याप्त परिचय दिया है ।

Shri Yashpal Singh : It is a fact that the Present Governor of Kerala will be there till elected Government is established there and after that he would come back ?

श्री अ० कु० सेन : इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

श्री बूटा सिंह : क्या सरकार ने निर्वाचन कराने या न कराने के बारे में केरल के सभी राजनीतिक दलों से परामर्श किया है ?

श्री अ० कु० सेन : किसी राजनीतिक दल से परामर्श नहीं किया गया है लेकिन जब सामान्य निर्वाचन कराने के लिये उपयुक्त समय आयेगा, तब उनसे परामर्श किया जायगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : हम समझते हैं कि उस राज्य में स्थायी सरकार होनी चाहिये । लेकिन सरकार, जब वहां पर निर्वाचन द्वारा या अन्य किसी पश्चिम जनतांत्रिक तरीके से स्थायी सरकार बन जायेगी, जनमत का कैसे पता लगायेगी ?

श्री अ० कु० सेन : यदि स्थिति सामान्य होती तो हम एक और निर्वाचन कराने और यह पता लगाने का जोखिम उठा सकते थे कि कोई स्थायी सरकार बनायी जा सकती है या नहीं लेकिन स्थिति ऐसी है कि कोई भी इस बात का समर्थन नहीं करेगा कि इस समय इतना धन व्यय किया जाय ।

पाकिस्तानी लड़ाकू (फाइटर) विमान द्वारा भारतीय स्काइमास्टर विमान का पीछा किया जाना

\+

*752. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री हुकुम चन्द कछवाय :
श्री बडे :
श्री बृजराज सिंह :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 जून, 1965 को अपनी निश्चित उड़ान पर गौहाटी से कलकत्ता लौट रहे इंडियन एयरलाइन्स के स्काइमास्टर विमान का एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान ने पीछा किया ;

(ख) क्या गौहाटी से कलकत्ता के किये उड़ान करते समय स्काइमास्टर ने अपने गन्तव्य स्थान के बारे में ढाका को सूचना दे दी थी;

(ग) क्या द्विपक्षीय करार की शर्तों के अनुसार भारतीय तथा पाकिस्तानी विमान किसी बाधा के बिना एक दूसरे देश के क्षेत्र पर उड़ान कर सकते हैं; और

(घ) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को इस मामले की जांच करने के लिये कहा था और यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही ।

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी, हां ।

(ख) विमान द्वारा ढाका से सम्पर्क बनाने के लिये कई बार प्रयत्न किये गये लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिली।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय अभि समय के अधीन, जिसके भारत और पाकिस्तान दोनों सदस्य हैं, अनुसूचित विमान दूसरे देश पर उड़ान कर सकते हैं। लेकिन इस उड़ान के नक्शे को उड़ान करने वाले विमान को अन्य देश के वायु क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व देना होता है।

(घ) पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने बताया है कि यह अवरोध केवल पहचान के लिये किया गया था क्योंकि ढाका में जहाज की उड़ान के बारे में कोई उड़ान संदेश प्राप्त नहीं हुआ था।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि निर्धारित मार्गों के बावजूद भी विदेशी विमानों को दूसरे देश पर उड़ान करने की अनुमति दी जाती है और ऐसा क्यों है और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उनको उड़ान आरम्भ करने का ठीक समय अथवा उड़ान के मार्ग के बारे में नहीं बताना चाहिये जैसी कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून में व्यवस्था है?

श्री राज बहादुर : उनको कुछ परम्पराओं का पालन करना पड़ता है। जब वे किसी स्थान के उड़ान सूचना क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि उन्होंने प्रवेश कर लिया है और जब वे जाते हैं तब भी बताना पड़ता है कि वे चले गये हैं। नौपरिवहन और सुरक्षा कार्यों और अन्य सम्बन्धित मामलों के लिये भी इनका समय रिकार्ड किया जाता है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या भारत ने भी कभी पाकिस्तान के विमान का हमारे क्षेत्र पर उड़ते हुए पीछा किया है?

श्री राजबहादूर : इस विशेष मामले में पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने हमें बताया है कि ढाका से सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सका। हमारे विमान ने भी बताया कि संचार सम्बन्ध खराब होने के कारण ढाका से सम्पर्क स्थापित नहीं किया जा सका। मौसम के कारण भी कुछ खराबी रही। अतः उनको उसके चलने के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन मामला यह है कि उसका एक लड़ाकू विमान द्वारा पीछा किया जाना कहां तक उचित है।

श्री प्र० चं० बरुआ : दोनों देशों में युद्ध आरम्भ होने के बाद से इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन के विमानों को लम्बे मार्ग से भेजना पड़ा। इस मार्ग की दूरी कितनी अधिक है और क्या निकट भविष्य में इन विमान सेवाओं को विलम्बित करने की कोई संभावना है?

श्री राज बहादुर : यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की पाकिस्तान क्षेत्र से होकर उड़ान बन्द कर दी गयी है। पाकिस्तानी विमानों की उड़ान के बारे में भी ऐसी ही कार्यवाही की गयी है। वे हमारे क्षेत्र पर उड़ान नहीं कर सकते। दूसरा मार्ग निश्चित ही लम्बा है लकिन कितने मील लम्बा है, यह मैं नहीं कह सकता।

Shri Hukam Chand Kachhaviya : For how long the Indian Skymaster, which was chased by Pak Fighter, was detained and the details of talks held by the Pakistan authorities?

Shri Raj Bahadur : Pakistan fighters came both ways & gave certain indications which were not understood. After that they went on their way & our plane on its way.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : विमान द्वारा यात्रा करने वाले असैनिक यात्रियों की सुरक्षा के लिये क्या सरकार का कोई संरक्षण देने का विचार है क्योंकि दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ है कि उस विमान को जिस में गुजरात के मुख्य मंत्री यात्रा कर रहे थे, गोली मार दी गयी थी ?

श्री राजबहादुर : जहां तक इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की उड़ान का सम्बन्ध है, आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं।

राजधानी में डेरियों का हटाया जाना

*753. **श्री बागड़ी :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी निजी डेरियों को दिल्ली तथा नई दिल्ली से हटा कर दूरस्थ स्थानों पर ले जाया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर लोग इन्हीं डेरियों से दूध लेते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना बहुत अधिक लोगों को दूध नहीं दे सकती; और

(घ) यदि हां, तो जो लोग बड़ी संख्या में निजी डेरियों से दूध लेते हैं उनको दूध देने के लिये क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) निजी डेरियों को शहरी क्षेत्र से हटा कर दूरस्थ स्थानों पर ले जाने के प्रश्न पर निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा स्थापित एक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है। समिति ने अभी अपना काम समाप्त नहीं किया है। निजी डेरियों के शहरी क्षेत्रों से निकट भविष्य में हटाये जाने की कोई संभावना नहीं है।

(ख) और (ग) : जी हां।

(घ) जैसे ही और जब भी निजी डेरियों को शहर से हटाया जायगा, दिल्ली दुग्ध योजना को समूचे शहर में दूध के संभरण का काम संभालना पड़ेगा।

Shri Bagri : May I know the average milk taken by a man in Delhi city & villages?

Mr. Speaker : He can know about Delhi Milk Scheme but how can he know about private dairies?

Shri Bagri : He does not know about the per capita consumption & they are proposing to remove private dairies. What is the position of milk in Delhi?

The Deputy Minister in the Ministry of Food & Agricultute (Shri Shahnawaz Khan) : It has been estimated as 5 ounces per head.

Shri Bagri : I want to know about the gradation of milk in the whole world?

Shri Shahnawaz Khan : I can only tell this much that the milk cattle which give more milk are only in India & their growth is the lesser than all other countries.

Mr. Speaker : He does not want to know about milk cattle but the value & gradation of milk.

Shri Shahanwaz Khan : In villages it is more & in cities it is less.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Last time private dairy owners were arrested, prosecuted & fined for mixing water in the milk, may I know whether Government are contemplating to take some serious action against the Delhi Milk Scheme who are selling toned & double toned milk ?

Shri Shahnawaz Khan : The milk supplied by the Delhi Milk Scheme is a powdered milk & contains 5 per cent fat, the toned milk contains 3 per cent fat & the double toned milk contains 1½ per cent fat. It is an open fact.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : No action is taken against them while private dairy owners are fined. How for this discrimination is correct & how the public will get pure milk?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : वहां स्वास्थ्यकर तरीके से दूध तैयार किया जाता है। विश्व भर में ही ऐसा होता है। केवल शुद्ध दूध ही पीने योग्य नहीं होता। जो दूध स्वास्थ्यकर तरीके से तैयार किया जाता है वही पीने योग्य होता है। दुर्भाग्यवश निजी डेयरी वाले हर प्रकार की चीजें इस में मिला देते हैं जिस से दूध स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो जाता है। यही वास्तविक कठिनाई है।

Mr. Speaker : The Hon. Member says that if other dairies also make adulteration in the milk as Delhi Milk Supply scheme does then there should be no harm.

Shri Shahnawaz Khan : The difference is that whatever Delhi Supply Scheme milk in the toned or double toned milk they mix openly and that is hygienically processed milk and they charge the price acording to the fat in the milk. Whereas in the private dairies they mix water in the milk and God knows what else they mix and they sell this adulterated milk at the price of the pure milk.

Shri Yashpal Singh : Sir, I want to know one thing. There is a practice in the whole world that ladies make arrangement for the milk and gents make arrangements for water but with our Government it is just the reverse. The arrangement of milk has been given to Shri Shahnawaz Khan and that of water to Dr. Sushila Nayar. May I know whether Government is considering to assign the work of milk to Dr. Sushila Nayar and that of water to Shri Shahanawaz Khan?

श्री उ० मू० त्रिवेदी : जो उत्तर दिया गया है उस को ध्यान में रखते हुये हमारे लिये यह जानना कठिन हो गया है कि क्या टोंड दूध तैयार करने के लिये उस में पानी मिलाया जाता है या जैसा कि खाद्य मिश्रण को रोको आदेश के अधीन नियत किये गये भारतीय प्रमाप संस्था की ओर से विहित क्या कोई विशेष प्रमाप है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, श्रीमान्। टोंड दूध और प्रमाप दूध के लिये स्तर विहित हैं। उन प्रमापों के अनुसार ही दूध तैयार किया जाता है।

Shri R. S. Pandey : May I know that in view of getting more milk what arrangements have been made to improve the breeding of animals?

Shri Shahnawaz Khan : That is a different matter but I want to state to the Hon. Member that many steps are being taken for that. All around Delhi intensive cattle breeding farms are being established.

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact as the Law Minister has stated in his answer that the people who bring milk to Delhi on cycles will be deprived of their livelihood? May I know whether Government has considered any alternative employment for these people as Government do for the educated people in the cities?

Shri Shahnawaz Khan : The village people have not been deprived of their livelihood on the other hand we go to their doors and collect the milk and pay them handsome returns.

Shri Bibhuti Mishra : Now when the Government purchases milk from villages themselves thousands of those milkmen who supplied milk here on cycles have been rendered jobless. May I know what arrangements Government have made to provide employment to them?

Mr. Speaker : That is the answer hon. Minister has given that one purchase milk from their homes in village and they do some other work in that time which now saved by them.

श्री पु० र० पटेल : हमारे देश में अधिकतर डेरियां दूध की क्रय और विक्रय के अभिकर्ता है और वे इस चाय को कुछ प्रक्रिया के अधीन कर रहे हैं। डेरी में पशुओं के अभिजनन के बिना आप दूध की प्राप्ति को कैसे सुधार रहे हैं और कि आप कैसे ध्यान रखेंगे कि यह असली मानों में डेरी ही है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम इस पहलू पर भी ध्यान दे रहे हैं और इन क्षेत्रों में विस्तारपूर्वक पशु अभिजनन की योजनाओं को हाथ में ले रहे हैं ताकि पर्याप्त सप्लाई हो सके विशेषकर इन डेरी परियोजनाओं को।

Shri Braj Bihari Mehrotra : Will the Hon. Minister be pleased to state whether the toned and double toned milk is prepared from milk powder?

Shri Shahnawaz Khan : Yes, Sir, that can be prepared from milk powder also. Toned and double toned milk is prepared by mixing 1½ per cent and 3 per cent respectively of butter in the skimmed powder.

विवाह विच्छेद

*754. **श्री यशपाल सिंह** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में विवाह-विच्छेद के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में दिल्ली में कितने विवाह-विच्छेद हुए हैं; और

(ग) क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख) : जी नहीं। विवाह विच्छेद के मामलों की कुल संख्या 1964 में 123 थी जबकि 1962 में यह संख्या 136 थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Mr. Speaker : Why the Hon. Member is so much worried about it?

Shri U. M. Trivedi : He received so many persons.

Shri Yashpal Singh : On one side they proclaim secularism in India and on the other side they interfere in the hindu religion. People after marriage are worshipped as God and Goddess in our couutry. There is such a tradition. This divorce system has come to our country from five thousand miles. I would like to know whether Government will withdraw this law in the interest of secularism?

Mr. Speaker : That law was passed by this Parliament. How can Hon. Minister reply about it.

Shri Yashpal Singh : I want to know the number of cases where divorce has been sought from women and men respectively?

श्री जगन्नाथ राव : मेरे पास इन सब मामलों का ब्यौरा नहीं है।

Mr. Speaker : The Hon. Member has asked about the number of cases where divorce has been sought from men and women respectively. He can also ask for the number of such cases from the third party.

Shri Yashpal Singh : What will be the fate of divorces?

Mr. Speaker : Shri Hem Barua.

श्री हेम बरुआ : मान लो, दिल्ली में एक सिपाही है जिस के पास बहुत काम है और जिस का परिवार उस से दूर रहता है वह कन्नाट प्लेस के जलपान गृह में कभी कभी एक लड़की ले जाता है तो क्या सरकार विवाह-विच्छेद के लिये इस को काफी समझेगी?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने हमारे समाज शास्त्र के सामाजिक विधान के अध्ययन की वांछनीयता और व्यवहार्यता और उस के लागू करने के ढंग पर विचार किया है यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Whether it is not a fact that only those couples who have received their education in English and also immitate English ways of life resort to divorce?

श्री अ० कु० सेन : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री उ० मु० त्रिवेदी : क्या सरकार के लिये यह बताना सम्भव होगा कि आजतक दिल्ली के न्यायालयों में विवाह-विच्छेद के कितने मामले लम्बित है और कि पिछले दो वर्षों से जो मामले लम्बित हैं उन की क्या संख्या है?

श्री जगन्नाथ राव : मेरे पास जानकारी नहीं है। मुझे इस के लिये सूचना चाहिये।

भिक्षावृत्ति का उन्मुलन

*755. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिये बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये एक विस्तृत योजना तैयार की जा चुकी है; और

(ग) क्या सरकार यह बता सकती है कि कब तक तथा किन तरीकों से भिक्षा वृत्ति का पूर्ण उन्मूलन कर दिये जाने की सम्भावना है?

विधि मन्त्रालय सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) भिक्षावृत्ति के नियंत्रण का मुख्यता उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। यदि पर्याप्त धन उपलब्ध हुआ तो चौथी योजना में भिक्षावृत्ति का चुने हुये स्थानों से जैसा कि तीर्थ स्थान, प्रर्यटन केन्द्र, बड़े नगरों इत्यादि में उन्मूलन करने का प्रस्ताव है।

(ख) योजना आयोग के साथ यह योजनायें विचाराधीन हैं।

(ग) देश की समाज और आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति में परम्परागत सामाजिक बुराईयों के उन्मूलन के लिये समय सीमा विहित करना या इसकी पूर्व-धारणा करना कठिन है। जैसे ही चौथी योजना की स्कीमों को अन्तिम रूप दिया जाता है इस के उन्मूलन के लिये अपनाये जाने वाले तरीकों के बारे में कुछ पता चल सकेगा।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी: क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिये कोई अखिल भारतीय नीति को बनाने और उस को कार्यान्वित करने के काम को हाथ में लिया है यदि हां, तो इस के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि और सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन): ऐसा ही करने का विचार है अर्थात् भिक्षावृति पर रोक लगाने के लिये अखिल भारतीय नीति को सर्वप्रथम निश्चित स्थानों पर लागू किया जायेगा और फिर क्रमशः इस का विस्तार दूसरे क्षेत्रों में कर दिया जायेगा। इस का उन्मूलन सारे देश में सम्भव नहीं है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी: क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री ऐसा विचार नहीं करते कि यह देश में सामाजिक सुरक्षा के किसी भी प्रोग्राम के महत्वपूर्ण कार्यों में से यह एक कार्य है और कि इस के वर्तमान रखा धन बिलकुल अपर्याप्त और असंतोषजनक है, यदि हां, तो इस के लिये धन के बंटवारे को बढ़ाने के क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री अ० कु० सेन: यह बिलकुल सच है कि इस बड़ी समस्या को सुलझाने के लिये हमें और अधिक साधन जुटाने पड़ेंगे।

श्री शिकरे: क्या सरकार को अवगत है देश में साधु, संन्यासी, महात्मा, स्वामी और फकीर लोग विभिन्न धर्मों के नाम से बडे निपण तरीकों से भिक्षावृत्ति के सिवाय और कुछ नहीं करते?

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य यह कहते हैं कि वे और कुछ नहीं करते। हमारे यहां एक स्वामी संसद् के सदस्य है।

श्री शिकरे: वह अपवादित हैं। यदि सरकार इस से अवगत है तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का इस प्रकार की भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है।

श्री अ० कु० सेन : यदि यह लोग उस कानून के अन्तर्गत आते हैं जो कि भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिये हम लागू करने वाले है तो इस कानून का उन पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा।

श्री श्रीनारायण दास : क्या सरकार विभिन्न राज्यों द्वारा, भिखमंगों को 'प्रयर-होमज़' में और काम के लिये आकर्षित करने के लिये किये गये प्रयासों से अवगत है।

श्री जगन्नाथ राव : हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि रेल प्लेटफारमों पर भिक्षा मांगने पर ध्यान दिया गया है और कि इस को रेल प्लेटफारमों से हटाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री अ० कु० सेन : भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिये रेल प्लेटफारमों को प्रथम वर्ग में रखने का प्रस्ताव है।

श्री दी० चं० शर्मा : भिक्षावृत्ति लोगों के चार वर्गों अर्थात् बुढ़े लोग, जवान लोग, औरतों और बच्चों तक सीमित है। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का दिल्ली में यदि देश के दूसरे भाग में नहीं, कम से कम बच्चों और औरतों में भिक्षावृत्ति रोकने का कोई प्रस्ताव है?

श्री अ० कु० सेन : मैंने सरकार के कार्यक्रम और योजनाओं जिन पर विचार किया जा चुका है, पहले ही बता दिया है। ये केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं होंगे अपितु इन का विस्तार दूसरे क्षेत्रों तक भी किया जायेगा।

डा० मा० श्री० अणे : वे रेलवे स्टेशन कौन से हैं जिन पर सरकार भिक्षावृत्ति के उन्मूलन का तजर्बा करने जा रही है।

श्री अ० कु० सेन : औद्योगिक क्षेत्र और शहरी क्षेत्र निःसन्देह सर्वप्रथम क्षेत्र होंगे जिन को इस नियंत्रण के अधीन लाया जायेगा। कुदरती तौर पर इन क्षेत्रों के रेल्वे स्टेशन भी इस नियंत्रण के अधीन आयेंगे। यह प्रस्ताव है।

श्री श्याम लाल सर्राफ : भिक्षावृत्ति के इस सारे प्रश्न को हल करने के लिये क्या मैं जान सकता हूं कि भिखमंगों का वर्गीकरण करने और भिक्षावृत्ति के कारण जानने के लिये और उन को मिटाने के लिये कार्यवाही करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

श्री अ० कु० सेन : इस के कारण विभिन्न हैं और उन को सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। हमे प्रश्न के इस पहलू पर समिति के प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं। इस के सामाजिक, आर्थिक और दूसरे कई कारण हैं। परन्तु कारण इतने महत्वपूर्ण नहीं है जब तक इन के उन्मूलन के लिये प्रयत्न न किया जाये। हम समस्या को क्षेत्र-वार निपटाने की कोशिश कर रहे हैं और क्रमशः इस रोक के क्षेत्र का विस्तार करेंगे।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the ministry which will do the work of investigation and whether some separate department will be opened for this work?

श्री अ० कु० सेन : प्रश्न प्रधान मन्त्री को सम्बोधित होना चाहिये।

Shri Sheo Narain : May I know whether the Government has made any survey about its categories and how much this problem has been solved till today?

श्री अ० कु० सेन : यह कार्य बहुत ही कठिन होगा और लाभदायक भी नहीं होगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the number of registered and unregistered beggars out of the total beggars who do this begging work at present and which State has got more beggars?

श्री अ० कु० सेन : हो सकता है कि आकड़ों की तयारी शिक्षा सम्बन्धी एक अच्छा व्यायाम हो परन्तु व्यवहार्य कदम उठाने की दृष्टि में यह लाभदायक नहीं है। दूसरे आंकड़े ऐसी चीज है जिन को दुर्लभता से ही ऐसे बिना वर्ग के लोगों पर लागू किया जा सकता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Which State has got more beggars?

Mr. Speaker : When he does not have the statistics how can he answer this question?

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि हिन्दुओं में कुछ वर्गों के लिये यह आवश्यक है कि वे केवल भिक्षा वृत्ति पर निर्वाह करें .....

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री कपूर सिंह : ..... यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की भिक्षा वृत्ति को समाप्त करेगी।

श्री अ० कु० सेन : मेरे विचार में यह बात हमारे धर्म को न समझने की बात है। यह ठीक है कि कुछ भिखारी हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ उठाते हैं परन्तु यह हिन्दु धर्म में नहीं है।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को मालूम है कि बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें लूले लंगड़े बना दिया जाता है? इस प्रकार देशमें भिक्षा वृत्ति पनपती है। इस सम्बन्ध में बच्चों के अपहरण से बचाने के लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री अ० कु० सेन : जब श्री गोविन्द वल्लभ पन्त गृह-कार्य मंत्री थे उस समय संसद ने बच्चों के अपहरण करने वालों के विरुद्ध एक कड़ा कानून बनाया था। ऐसे अपराध करने वालों को अपराध की जाँच के पश्चात उचित दण्ड दिया जाता है।

श्री पु० र० पटेल : भिक्षा–वृत्ति बढ़ती जा रही है और भिखारियों के बच्चे भी अधिक होते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार भिखारियों के बन्ध्यकरण का आदेश दे सकती है?

श्री अ० कु० सेन : ऐसी बात का किसी सभ्य सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

किसानों के लिये ऋण

*756. **श्री हेड़ा** : क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष कृषि ऋणों सम्बन्धी आवश्यकता कितने प्रतिशत पूरी की गई;

(ख) क्या ऋण-प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने के सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन सरकार को मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति, (क) कृषि प्रयोजनों के लिये दिये गये कुल ऋण की मात्रा मालूम नहीं है। अतः सहकारी संस्थाओं को इस बारे में दिये गये ऋण के प्रतिशत का पता नहीं लग सकता। 1961–62 में भारत के रिज़र्व बैंक के अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण तथा विनियोजन सर्वेक्षण के अनुसार, सभी प्रयोजनों के लिए खेतिहर परिवारों के द्वारा किये गये कुल ऋण का 24 प्रतिशत सहकार समितियों ने दिया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री हेडा : क्या सरकार को इस बारे में किसानों के कई संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन में सुझाव दिये गये हैं, यदि हां, तो क्या इन पर विचार किया गया है और क्या निर्णय किया गया है ?

श्री शिन्दे : मैंने पहले ही उत्तर के भाग (ख) में बताया है कि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

श्री हेडा : क्या सरकार को मालूम है कि किसानों को ऋण देने की प्रणाली में यह दोष है कि उनको धन बहुत विलम्ब से मिलता है। क्या नीचे के स्तर पर विकेंद्रीकरण करने का विचार है ताकि किसानों को समय पर ऋण मिल जाये ?

श्री शिन्दे : इस समस्या पर विचार किया गया था और एक नया कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में चालू किया जा रहा है।

Shri Bhagwat Jha Azad : Very small percentage of credit needs of farmers is met through co-operatives and Co-operative Banks. Government has set big Corporations to give financial assistance to industries. I want to know why a Corporation is not set up to render help to farmers.

श्री शिन्दे : पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के बारे में माननीय सदस्य की बात कुछ ठीक मालूम पड़ती है रिज़र्व बैंक के अनौपचारिक दल ने इस प्रश्न पर हाल ही में विचार किया था। इसने कहा है सहकारी संस्थायें ही यह कार्य कर सकती हैं। कुछ राज्यों जैसे आसाम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और राजस्थान में यह काम तुरन्त ही सहकारी समितियों को नहीं सौंपा जा सकता। इस दल ने सिफारिश की है कि प्रत्येक राज्य में कृषि के लिये ऋण देने के लिये एक ऋण कार्पोरेशन होनी चाहियें। यह भी कहा गया है कि ये कार्पोरेशनें वहां कार्य करेंगी जहां सहकारी संस्थायें सुदृढ़ नहीं हैं। जब सहकारी संस्थायें सुदृढ़ हो जायेंगी तो ये कार्पोरेशनें समाप्त कर दी जायेंगी। सरकार सिफारिशों पर विचार कर रही है।

Shri Sinhasan Singh : The Minister of Agriculture has recently said at Agra that Companies will open agricultural farms on the lines of big industrial concerns. What assistance would be provided to those companies and whether any arrangement has been made for providing credit?

श्री शिन्दे : माननीय सदस्य का प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता।

Shri Yudhvir Singh : This question has been raised many times. The farmers has to undergo many difficulties.

Twenty-five per cent of that credit goes waste in these circumstances and absurd replies are given here. It seems as if there is no problem before Government. The question providing credit is a complicated one. I want to know whether Government are going to do something to resolve this?

श्री शिन्दे : मेरे विचार में .....

Mr. Speaker : Chaudhuri Sahib has uttered some very strong words. Such words should not be used in supplementaries in Parliament.

Shri Yudhvir Singh : What was that word ?

Mr. Speaker : You said 'absurd'.

श्री फिरोदिया : 'कमज़ोर वर्गों' को ब्याज के किस दर पर ऋण दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार के अनुसार 'कमजोर वर्गों' की परिभाषा क्या है? 'कम वर्गों' को कितना ऋण दिया जाता है ?

श्री शिन्दे : 'कमजोर वर्गों' में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों तथा भूमिहीन मजदूर और ऐसे लोगों को जिन के पास कानून द्वारा अधिकतम नियत की भूमि के नवें भाग से भी कम भूमि हैं आते हैं। इस समय बहुत कम ऋण दिया जा रहा है और सरकार इसे बढ़ाना चाहती है।

श्री मलाइछामी : क्या सरकार सहकारी ऋण की सुविधा को ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित रखने पर विचार कर रही है क्यों नागरिक क्षेत्रों के लिये बहुतसी संस्थायें हैं ?

श्री शिन्दे : ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने वाली बहुत सी संस्थायें नहीं हैं।

श्री बुटा सिंह : ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सुविधायें देने के लिये चौथी योजना में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री शिन्दे : चौथी योजना में बड़े पैमाने पर अल्प कालीन, मध्यम कालीन और दीर्घ कालीन ऋण दिये जायेंगे। लक्ष्य 650 करोड़ रुपये का है। बढ़े कामों के अनुसार ढांचे को मज़बूत किया जा रहा है।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : सरकार ब्याज के दर को कम करने के लिये क्या कर रही है ? रिज़र्व बैंक तो 2 प्रतिशत के ब्याज दर पर दे रहा है परन्तु किसानों को 91/2 प्रतिशत के दर पर पड़ता है। सरकार इसमें कमी करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिन्दे : यह प्रश्न अक्सर ही यहां उठाया जा रहा है। रिज़र्व बैंक ने हाल ही में दर में वृद्धि की है। इस समय दर में कमी करना कठिन है। सरकार का यह प्रयत्न रहता है कि बैंक के दर में और किसान द्वारा दिये जाने वाले दर में अधिक अन्तर न हो।

राशन-व्यवस्था

*757. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

डा० रानेन सेन :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन स्थानों की खाद्य स्थिति का अध्ययन कर लिया है, जहां पर पूर्ण रूप से राशन व्यवस्था लागू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकला है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) कम आय वालों को राशन-व्यवस्था से विशेष रूप से लाभ हुआ है। उन्हें खाद्यान्न नियत दर तथा मात्रा में नियमित रूप पूरे वर्ष मिलते हैं।

डा० रानेन सेन : जैसा कि मालूम है राशन-व्यवस्था शीघ्र ही एक लाख या अधिक जन संख्या वाले नगरों में जारी कर दी जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात को सोचा है कि राज्य सरकारें पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त करती रहे ताकि बाद में राशन व्यवस्था असफल न हो ?

श्री दा० रा० चव्हाण : जब एक लाख या इससे अधिक जन संख्या वाले नगरों में कानूनी राशन व्यवस्था जारी कर दी जायेगी तो जितनी मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होंगे प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

डा० रानेन सेन : प्रश्न का (क) भाग खाद्य स्थिति के बारे में है। देश में यह समझा जाता है कि खाद्य स्थिति ठीक नहीं रहेगी। देश में खाद्यान्नों के बारे में आगामी कठिन स्थिति के बारे में क्या अध्ययन किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : इस समय बृहत् कलकत्ता (औद्योगिक तथा नगर) म राशन व्यवस्था लागू है। वहां के लोग बहुत संतुष्ट हैं। उन को खाद्यान्न नियन्त्रित मूल्य पर मिलते हैं। निर्धन वर्गों को विशेष रूप से कोई कठिनता नहीं होती। राशन-व्यवस्था लागू होने से आंदोलन कराने वाले बेकार हो गये हैं। अतः कानूनी राशन व्यवस्था लाभदायक सिद्ध हुई है। इसी लिये हम इसे अन्य नगरों में भी लागू कर रहे हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : सरकार ने निर्णय किया है कि एक लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में राशन व्यवस्था लागू की जाये। सरकार उन औद्योगिक क्षेत्रों के लिये क्या व्यवस्था करने जा रही है जो रेल तथा अन्य साधनों द्वारा जुड़े हुए है परन्तु उन की जनसंख्या एक लाख से कम है और बाहर से आने वाले खाद्यान्नों पर निर्भर करते हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : राशन के क्षेत्रों में वे शहरी क्षेत्र भी शामिल किये जायेंगे जो औद्योगिक क्षेत्र होंगे चाहे उनकी जनसंख्या एक लाख से कम हो।

श्री सिंहासन सिंह : क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों के इस समाचार की ओर भी गया है, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आयात की हुई गेहूं न लेने और राज्य ही में उत्पादित गेहूं पर निर्भर करने का निर्णय किया है ? क्या इस बात में कुछ तथ्य है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने भी यह समाचार पढ़ा है। यदि यह ठीक है तो मुझे इस पर बहुत प्रसन्नता होगी।

श्री नाथ पाई : क्या सरकार को मालूम है कि अब तक उसने अब तक केवल नागरिक क्षेत्रों को संतुष्ट करने के लिये प्रयत्न किया है ? सरकार की विशाल ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में क्या योजना है ? वहां पर लोग कमी वास्तविक रूप से महसूस कर रहे हैं।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वहां पर कमी इस कारण से है क्योंकि ऊंचे मूल्यों पर खरीदने वाले लोग वहां से अन्न खरीद लेते हैं। जब नागरिक क्षेत्रों कानूनी राशन व्यवस्था हो जायेंगी तो गांवों में भी स्थिति में सुधार होगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय को मालूम है कि देश के सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के श्रमिक वर्ग ने चीन तथा पाकिस्तान के आक्रमण के समय में प्रधान मंत्री को पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। सरकार ने इन औद्योगिक एककों को पर्याप्त मात्रा में उचित दामों में अनाज उपलब्ध करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने कहा है कि एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों तथा नागरिक औद्योगिक क्षेत्रों में कानूनी राशन व्यवस्था लागू की जायेगी तो इसका मिलना सुनिश्चित कर दिया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह नहीं है। आप को याद होगा कि एक औद्योगिक शास्ति संकल्प मंजूर किया गया था। उसके अनुसार प्रत्येक उस औद्योगिक एक में उचित मूल्य वाली दुकानें खोली जायेंगी जिसमें 300 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। खेद की बात है कि इसको न तो सरकारी क्षेत्र और न ही गैर-सरकारी क्षेत्र ने कार्यान्वित किया है। इन लोगों को पर्याप्त मात्रा में चावल तथा अन्य वस्तुएं उचित मूल्यों वाली दुकानों द्वारा दिलाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्न श्रम मंत्री को किया जाये।

श्री हेम बरुआ : पाकिस्तान तथा चीन के साथ संघर्ष को दृष्टि में रखते हुए हमारे खाद्यान्नों सम्बन्धी आयात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में नगरों में राशन व्यवस्था चलाने तथा गांवों में खाद्यान्न उपलब्ध करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे विचार में मैंने इसका उत्तर दे दिया है। इसी प्रयोजन के लिये मैंने कल प्रतिपक्ष के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। मुझे आशा है कि उसके पश्चात मुझे उनसे अधिक सहयोग तथा सहायता मिलेगी।

श्री हेम बरुआ : क्या इसका अभिप्राय यह है कि हमें कल तक प्रतीक्षा करनी होगी ?

अध्यक्ष महोदय : वह बैठक बुला रहे हैं।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : एक लाख या उससे अधिक जन संख्या वाले नगरों में राशन व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, सरकार का एकाधिकार वाली वसूली अनिवार्य उदग्रहण तथा लाभदायक मूल्यों के बारे क्या विचार है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमने राज्य सरकारों की चरणों में किसानों की भूमि के अनुसार उदग्रहण लागू करने को कहा है। इस पर विचार हो रहा है।

श्री प्रिय गुप्त : रेलवे मंत्री श्री पाटिल ने कहा है कि वे रेलवे कर्मचारियों को उचित मूल्यों पर चावल तथा आटा उपलब्ध करने को तैयार है अगर खाद्य मंत्रालय इन्हें देता रहे। क्या यह विषय खाद्य मंत्रालय के समक्ष आया है; यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मुझे मालूम नहीं। मैं इसके बारे में पूछूंगा और उत्तर दूंगा।

Shri J. B. Singh : I want to know whether in towns with population of 40 or 50 thousand where weavers live and purchase their requirements daily, Government is going to introduce rationing; if not, what arrangements are being made for them?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां पर एक लाख और पांच हजार के बीच जनसंख्या होगी वहां अनौपचारिक राशन व्यवस्था लागू करने का निर्णय है परन्तु यह स्टाक के होने पर निर्भर करता है।

श्री प्रभात कार : क्या कलकत्ता में राशन व्यवस्था लागू होने के पश्चात वहां पर राशन के खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : क्योंकि हम उत्पादकों को अधिक मूल्य देने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह दोनों बातें नहीं हो सकती कि आप उत्पादक को लाभदायक मूल्य दें और नगरों में कम मूल्य पर दें।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know whether Government will take into consideration at the time of introducing statutory rationing that wheat is selling at Rs. 18 per maund in some states and it is being sold at Rs. 60 per maund in others? I want to know whether abolition of zonal system will be considered?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस समय मूल्यों में विषमतायें हैं परन्तु राशन लागू होने पर यह नियन्त्रित मूल्यों पर बेची जायेगी।

Shri Gulshan : What steps are being taken to remove the difficulties of village people?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने बताया है कि गांव के लोगों को इसलिये कठिनाई होती है क्योंकि नगर वाले धनी लोग उनका अनाज़ खरीद लेते हैं। जब नगरों में राशन व्यवस्था लागू हो जायेगी तो गांवों में स्थिति में सुधार होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री प्रभात कर का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने कहा है कि कलकत्ता में राशन वाले खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि की गई है ताकि उत्पादकों को अधिक अच्छे दाम मिल सकें। यह मूल्य पिछले जून में बढ़ाये गये थे अर्थात पिछली फसल के बहुत पश्चात तथा अगली फसल से बहुत पहले। उस समय फसल उत्पादक के पास नहीं होती। ऐसी स्थिति में यह बात ठीक मालूम नहीं पड़ती।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : बात यह है कि हम नगर के उपभोक्ताओं को कुछ सहायता दे रहे हैं। इसे अधिक समय नहीं किया जा सकता। हमारे विचार में यह बिना लाभ या हानि के आधार पर होना चाहिये।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने खान मज़दूरों की इस मांग पर विचार किया है कि उनके कठिन तथा खतरे वाले काम के कारण राशन में वृद्धि की जाये ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, राशन की मात्रा निर्धारित करते समय हम शारीरिक परिश्रम करने वालों के लिये अधिक राशन निर्धारित करते हैं।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

पश्चिम बंगाल को चावल का सम्भरण

अ० सू० प्र० 7. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार से पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने यह अभ्यावेदन किया है कि अगर 30 सितम्बर, 1965 तक केन्द्रीय स्टाक से उनके राज्य को 40,000 टन चावल नहीं भेजा जाता तो कलकत्ता के कानूनी राशनिंग क्षेत्र में राशन की मात्रा प्रति व्यक्ति 2 औंस घटानी पड़ेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मन्त्री महोदय इस तथ्य से अवगत है कि सोमवार से राशन की मात्रा पहले ही कम कर दी गई है और कि मुख्य मन्त्री ने इस का कारण यह बताया है कि केन्द्र भण्डारों से जितनी सप्लाई का वचन मिला था वह सप्लाई नहीं हो रही है और कि उन के पास और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इस के कि राशन में कटौती कर दी जाये ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने दूसरे प्रश्न में बताया है कि 2 औंस की कटौती क्यों की गई है। प्रत्यक्षता माननीय सदस्य उस समय उपस्थित नहीं थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब दूसरे प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है उस समय मेरा उपस्थित रहना क्या आवश्यक है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसी आशा की जाती है।

श्री प्रिय गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह अल्प सूचना प्रश्न है जिस की आप ने आज्ञा दी है। माननीय खाद्य मन्त्री ने पहले जो कुछ कहा वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता उन को सभा की प्रक्रिया के अनुसार अपने उत्तर को अवश्य दोहराना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ऐसा विचार नहीं है कि इस में कोई व्यवस्था का प्रश्न है, यद्यपि मैं इस बात से सहमत हूं कि माननीय मन्त्री को अपने पहले उत्तर दोहराने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये थी।

श्री प्रिय गुप्त : क्या यह अनिवार्य है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यह अनिवार्य नहीं है।

श्री प्रिय गुप्त : सदस्यों के लिये अनिवार्य है कि जब दूसरें प्रश्नों का उत्तर दिया जाये तो वे उपस्थित रहें।

अध्यक्ष महोदय : समझा तो यही जाता है कि वह सारी कार्यवाही से अवगत होंगे। माननीय सदस्य की अनुपस्थिति में होने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध वह लौट कर उन को यह नहीं कहना चाहिये कि उस कार्यवाही की उनको जानकारी नहीं है इस लिये वह सारी कार्यवाही फिर से दोहराई जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : फिर भी मैं इस पर बाध्य नहीं हूं और मेरा विचार है कि मैं उस उत्तर से अवगत हूं जो पहले दी गई थी।

क्या मैं स्पष्टता यह जान सकता हूं कि मात्रा में यह कमी मुख्यता राज्य सरकार के अपने आप की है और वह अपने भण्डारों को सुरक्षित रखना चाहती है या जैसा कि कलकत्ता में संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों के प्रतिनिधि मण्डल को अभी बताया है कि उन के पास इस के सिवा और कोई विकल्प नहीं था क्योंकि केन्द्र सरकार से सप्लाई नहीं हो रही थी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : नहीं, महोदय, यह इसलिये नहीं कि केन्द्र सरकार ने संभरण नहीं किया है परन्तु मैंने ही राज्य सरकारों को राशन में कटौती के लिये कहा था ताकि वर्तमान आपात और देश में खाद्यान्नों के कम सम्भरण का सामना किया जा सके। मैं इस कार्यवाही का उत्तरदायित्व अपने उपर लेता हूं परन्तु इस बारे में अन्तिम निर्णय तो राज्य सरकारों को ही करना है।

श्री हरि विष्णु कामत : माननीय मन्त्री को मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि गत वर्ष उन्होंने कहा था कि देश में अन्न की यह कमी बनावटी है और कि यह बड़े उत्पादकों और बड़े व्यापारियों में सांठ-गांठ के कारण थी ? क्या माननीय मन्त्री अब भी उस दृष्टिकोण से सहमत हैं और यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि आपात में बतियान करने चाहिये और बोझ सब को बराबर सहन करना चाहिये, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने, इन बड़े उत्पादकों से जबरदस्ती कर वसूल करने और बड़े व्यापारियों को इस बात पर बाध्य करने के लिये कि वे अपने आसंचित भण्डारों को निकाले, के लिये, क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने बताया था कि राशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आवश्यक मात्रा में अन्न को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उपकर लगाया जायेगा विशेषकर बड़े उत्पादकों पर। हम ने राज्य सरकारों को लिखा है और वे इस आधार पर कार्यवाही कर रही हैं। वास्तव में कुछ राज्य सरकारों ने दर्जावार कर लगा भी दिये है। एक एकड़ की हद से लेकर थोड़ी संचिति वालों को कम और बड़ी संचिति वालों को अधिक के हिसाब से उपकर लगाया गया है। इन आकारों पर हम उपकर वसूल करने का प्रयत्न कर रहे हैं और यदि हम एक बार उत्पादकों से वसूल करने में सफल हो गये तो फिर व्यापारियों की कोई बात नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने बड़े व्यापारियों से आसंचित भण्डारों को निकालने के बारें में पूछा था। क्या इसके लिये कोई कार्यवाही की गई है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां, प्रतिरक्षा कानून के अन्तर्गत आसंचित भण्डारों के बाहर निकलवाने के लिये विशेषकर पश्चिमी बंगाल में कदम उठाये गये हैं परन्तु मैं यह नहीं जानता कि उन में कितनी सफलता प्राप्त हुई है।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या मुझे यह समझना चाहिये कि केन्द्र सरकार ने पश्चिमी बंगाल को चावल और गेहूं के संभरण के अपने वचनों को पूरा कर दिया है और पूरा किया जायेगा और कि मुख्य मन्त्री के इस वक्तव्य का, कि केन्द्र सरकार ने अपने वचनों को पूरा नहीं किया है, कोई आधार नहीं है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जैसा कि मैंने पहले बताया है हम ने 1965 के दौरान 3 लाख टन अन्न देने का वचन किया है और ये 3 लाख टन उन को दे दिये जायेंगे ।

श्री प्रिय गुप्त : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि और अधिक क्षेत्रों को राशन की व्यवस्था की जा रही है क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है इस क्षेत्र की जनसंख्या के लिये कितने चावल और गेहूं की आवश्यकता होगी और प्रति व्यक्ति को कितना राशन दिया जायेगा ? क्या सरकार इतना अनाज सप्लाई कर सकेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जिन क्षेत्रों में कानून द्वारा राशन की व्यवस्था की गई है उन के लिये अनाज की प्रमात्रा नियत कर दी गई है और वह प्रमात्रा उन के बिना किसी रोक के उपलब्ध की जायेगी । जहां तक उन क्षेत्रों का सम्बन्ध है जहां कि कानून द्वारा राशन की व्यवस्था नहीं है वहां यह राशन प्रणाली अनौपचारिक है । वहां भी विभिन्न वर्ग के लोगों को दी जाने वाली राशन की मात्रा की घोषणा कर दी है और प्राप्य भण्डारों के अनुसार उन को अनाज की इस मात्रा उपलब्ध की जा रही है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह कटौती केवल पश्चिमी बंगाल में ही की जा रही है और वह भी केवल चावल के मामले में या यह कटौती सभी राज्यों में की जाने वाली है और यदि हां, तो क्या इस 2 औंस की कटौती के स्थान को पूरा करने के लिये कोई और चीज या अनाज दिया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह कटौती सभी राज्यों में, बिना यह भेद किये कि यह फालतू अनाज वाला राज्य है या इस राज्य में अनाज की कमी है, की जायेगी । उदाहरणतः मद्रास राज्य ने भी राशन को 12 औंस से घटा कर 10 औंस कर दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या इस कटौती को किसी चीज से पूरा किया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सरकार की ओर से नहीं । इस कटौती को सब्जीयों और विभिन्न दूसरी चीजों से जहां कहीं यह उपलब्ध हों, से पूरा किया जाना है । कमी के समय में विकल्प यह है कि क्या हम इस 10 औंस का बिना रोक के लगातार सप्लाई करने की स्थिति में रहे या हमें किसी विशेष समय संकट का सामना करना चाहिये । इसलिये हम ने यह निर्णय लिया है कि कम से कम नीचे स्तर पर हमें लगातार सप्लाई को बनाये रखना चाहिये । वास्तव में पिछली लड़ाई में हम ने छः औंस राशन की कानूनी व्यवस्था की थी ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भूमिगत जल का सर्वेक्षण

*758. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 9 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 332 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भमिगत जल वाले क्षत्रों का सीमांकन करने की दृष्टि से, जहां से सिंचाई कार्य के लिये भूमिगत जल निकाला जा सके, राज्य सरकारों द्वारा योजना-बद्ध भूमिगत जल का सर्वेक्षण तथा खोज करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : भूमिगत जल वाले क्षेत्रों का सीमांकन करने की दृष्टि से, जहां से सिंचाई कार्य के लिये भूमिगत जल निकाला जा सके, राज्य सरकारों द्वारा योजनाबद्ध भूमिगत जल का सर्वेक्षण तथा खोज करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें इसके पक्ष में हैं। केरल की सरकार राज्य में भूमिगत जल का सवक्षण करना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि वहां पर भूमिगत जल के उपयोग की बहुत कम गुंजाइश है। आसाम तथा जम्मू और काश्मीर की सरकारों ने अपने विचार नहीं भेजे हैं।

उड़ीसा में चुनाव

*759. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **विधि** मंत्री 17 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 53 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की राज्य विधान सभा के लिये आगामी आम चुनाव कब होने चाहियें क्या इस प्रश्न पर विचार किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्री (अ० कु० सेन) : (क) जी, नहीं। मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि-कार्यों की लागत के आंकड़े

*760. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कृषि कार्यों के संबंध में, विशेष रूप से ऐसे अनाजों के बारे में, जिनके न्यूनतम मूल्य कृषि-मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किये जाते हैं, लागत संबंधी प्रामाणिक तथा व्यापक आंकड़े संग्रह करने के लिये जिस के संबंध में आयोग ने सिफारिश की थी, कोई कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : जी हां। इसका अध्ययन करने का निर्णय कर लिया गया है; उसका तकनीकी और संगठन सम्बन्धी ब्यौरा तयार किया जा रहा है।

चीनी उद्योग के लिये बैंकिंग की सुविधायें

*761. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारत के रक्षित बैंक द्वारा बैंकों पर निश्चित अनुपात में रक्षित राशि रखने की रोक लगाये जाने के कारण इस वर्ष गन्ना पेरने के मौसम में चीनी उद्योग को बैंकों से प्राप्त होने वाली ऋण-सुविधा की कमी अनुभव हुई है;

(ख) क्या चीनी उद्योग ने इस वर्ष 32 लाख टन का अभूतपूर्व उत्पादन किया है;

(ग) क्या उपरोक्त भाग (ख) को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष की कमी तथा अगले वर्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, बैंकों द्वारा अपेक्षित मात्रा में धन दिये जाने की व्यवस्था कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) बैंक से प्राप्त होने वाले ऋण में कमी के बारे में कुछ चीनी कारखानों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जी हां, चालू चीनी के वर्ष के अन्त तक, अर्थात् 31 अक्टूबर को इतना उत्पाद होने की आशा है।

(ग) और (घ) : विषय विचाराधीन है।

दिल्ली में अत्यावश्यक वस्तुओं के भाव

*762. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छम्ब क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर आक्रमण किये जाने की तिथि के बाद से दिल्ली में अत्यावश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से गेहूं, दालों, खाने वाले तेलों तथा सब्जियों के भाव ऊंचे चढ़ गये हैं।

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस अवधि में कुछ अत्यावश्यक वस्तुएं, अथात् अच्छी किस्म का चावल, बाजार से गायब हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) : इधर उधर मूल्यों में कुछ वृद्धि को छोड़कर सितम्बर के महीने में दिल्ली में मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं ई। दिल्ली में अगस्त के महीने में और सितम्बर के पहले दो सप्ता हों में आटे, चावल, दालों, वनस्पति घी, आलू और प्याज के मूल्यों को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4907/65]**

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार मूल्यों पर और दिल्ली में खाद्य वस्तुओं की उपलब्धि पर ध्यान द रही है और जब कभी आवश्यक होता है, आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।

पूंजी लगाने से पहले वन-संसाधनों का सर्वेक्षण

*763. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री वाडीवा :
श्री चांडक :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन संसाधनों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों का समेकित औद्योगिक विकास करने के उद्देश्य से सभी उपलब्ध वन संसाधनों का उपयोग करने के लिये पूंजी लगाने से पहले बाहुल्य वाले इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सर्वेक्षण करते समय वन संसाधनों का उपयोग तथा भविष्य की उपज तथा विकास की गुंजाइश और संभावना को ध्यान में रखा जायेगा;

(ग) क्या सर्वेक्षण में वन संसाधनों पर आधारित सभी प्रकार के उद्योगों की, जिसमें बड़े, बीच के दर्जे के तथा छोटे उद्योग शामिल हैं, सम्भावताओं की जांच की जायेगी ; और

(घ) अगले खुले मौसम में सर्वेक्षण के लिये किन किन क्षेत्रों का चुनाव किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) संयुक्त राष्ट्र संघ विशेष निधि की सहायता से, भारत सरकार की "पूंजी लगाने से पहले वन संसाधनों का सर्वेक्षण" परियोजना के कार्य की योजना, पहली फरवरी, 1965 को मंजूर की गई। इस परियोजना मे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मैसूर और केरल राज्यों में अल्प विकसित वन के 11,500 वर्ग मील क्षेत्र का, सर्वेक्षण करने का विचार है।

(ख) और (ग) : जी, हां।

(घ) अगले खुले मौसम में केन्द्रीय जोन (जिसमें महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश शामिल हैं) और उत्तरीय जोन (जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं) के कुछ भागों का सर्वेक्षण किया जायेगा।

कृषि अनुसन्धान

*764. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलहन, कपास, गन्ना जैसी अनेक महत्वपूर्ण फसलों के संबंध में अखिल भारतीय आधार पर गहन और समन्वित अनुसन्धान करने के लिये समितियां स्थापित करने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) : कई महत्वपूर्ण फसलों के सम्बन्ध में समन्वित अनुसन्धान परियोजनाओं को तैयार करने के लिये विशेषज्ञ

समितियां नियुक्त की गई हैं। यह समितियां तकनीकी कार्यक्रम की सिफारिश करेंगी और कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये मुख्य और उपकेन्द्रों का सुझाव देंगी तथा केन्द्रों और समन्वय यूनिट के लिये कर्मचारियों तथा अन्य सुविधाओं के बारे में सुझाव देंगी।

(ग) प्रत्येक योजना के लिये एक ऐसे परियोजना समन्वय कर्त्ता की, कुछ सहायक कर्मचारियों के साथ, नियुक्ति करने का विचार है, जो चुने हुए मुख्य और उपस्टेशनों में जिनका संगठन प्रादेशिक आधार पर किया जायेगा, अनुसंधान कार्य का समन्वय करेगा। इन स्टेशनों को पर्याप्त संख्या में कर्मचारी और सामान देने का विचार है।

भारतीय खाद्य निगम

*765. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के लिये कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भर्ती की प्रणाली तथा कसौटी क्या है;

(ख) क्या खाद्य विभाग में काम करने वाले अधिकारियों को निगम में समरूप पदों पर लगाया जा रहा है;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य संवर्गों से आने वाले अधिकारियों को स्थानान्तरित केन्द्रीय अधिकारियों की अपेक्षा अधिक अच्छे वेतन क्रम (ग्रेड) दिये जा रहे हैं;

(घ) क्या इस विषय में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) भारतीय खाद्य निगम के लिये कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती की प्रणाली निगम के प्रारूप कर्मचारी विनियमों के पैरा 4.12 में दी हुई है। (इस पैरा की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गई है।) [**पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4908/65।**] योग्यता, अनुभव और सेवा के पिछले रिकार्ड के आधार पर छान बीन करने के पश्चात्, उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिये चुनाव साक्षात्कार और जहां आवश्यक हो लिखित परीक्षा द्वारा किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस प्रकार की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के पदों के बीच कोई समानता नहीं है। राज्य सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी योग्यता, अनुभव और वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए, भर्ती के नियमों के अनुसार की जाती है। इन अधिकारियों को सामान्यतः प्रतिनियुक्ति के शर्तों के अनुसार रखा जाता है। निगम में राज्य सरकारों से इन प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के वेतनक्रम निर्धारित करते समय इन बातों को ध्यान में रखा जाता है :—

(1) कि साधारणतया राज्य सरकार में उनका वेतन और 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलाकर निगम में उसी पद वेतन मान के न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिये।

(2) ऐसे व्यक्तियों को, निगम में नियुक्ति हो जाने पर, प्रतिनियुक्ति भत्ते के रूप में उनके ग्रेड के वेतन से 20 प्रतिशत से अधिक नहीं मिलना चाहिये।

खाद्य विभाग के जिन कर्मचारियों की सेवायें निगम को दी गई हैं, उनको उसी पद पर रखा गया है जिसपर वह खाद्य विभाग में काम कर रहे थे और वही वेतन मिलना चाहिये जो उनको केन्द्रीय कर्मचारी होने के नाते मिलता।

(घ) जी, हां।

(ङ) भाग (ग) के उत्तर में बताई गई स्थिति को देखते हुए, वर्तमान प्रक्रिया में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

दिल्ली में टैक्सियों और स्कूटरों का किराया

*766. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में पेट्रोल और डीजल तेल के मूल्य के बढ़ जाने के बाद दिल्ली और नई दिल्ली में स्कूटरों तथा चार सीटों वाली रिक्शा का किराया बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना तथा क्या इस वृद्धि को सरकार ने मंजूर किया है; और

(ग) क्या दिल्ली में टैक्सियों के किराये भी बढ़ाने का विचार है?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली में टैक्सी के किरायों में पहली मार्च, 1965 से परिवर्तन किया गया था। इन किरायों में और परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकार, दिल्ली, के विचाराधीन नहीं है।

डेनियल वाल्काट के भाग निकलने से संबंधित जांच समिति का प्रतिवेदन

*767. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेनियल वाल्काट के भाग निकलने के कारणों की जांच करने वाली समिति ने कुछ अधिकारियों को दोषी पाया है;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या आरोप अथवा दोष लगाये गये हैं; और

(ग) सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) संचार विभाग के सचिव, श्री एल० सी० जैन ने डेनियल वाल्काट के भाग निकलने पर अपनी रिपोर्ट में, जो इस सम्बन्ध में सरकार के निर्णयों के साथ 28 सितम्बर, 1964 को सभा पटल पर रखी गई थी, हवाई अड्डे के सम्बन्धित अधिकारियों को कर्त्तव्य न निभाने का दोषी पाया है, क्योंकि उन्होंने विमान को निकल भागने से रोकने के लिये पर्याप्त कदम नहीं उठाये, जो कि वे भारतीय विमान नियमों के अधीन उठा सकते थे।

(ख) दोनों अधिकारियों के नाम सर्वश्री बी० हाजरा और एस० डब्ल्यू० जे० नार्टन हैं, यह उस समय सफदरजंग हवाई अड्डे पर क्रमशः वरिष्ठ एयरोड्रोम आफिसर और एयरोड्रोम आफिसर थे उनके विरुद्ध यह आरोप थे :—

अपने सरकारी कर्त्तव्यों को निभाने में घोर चूक —

(1) इस बात का अनुभव न करना कि 26 सितम्बर, 1964 को डेनियल वाल्काट सफदरजंग हवाई अड्डे से अपने पाइपर अपेक विमान (रजिस्ट्रेशन संख्या एन—3146पी०) में अनधिकृत उड़ान करने की कोशिश कर रहे थे; और

(2) बिना उचित आज्ञा के श्री वाल्काट को रोकने के लिये आवश्यक कदम न उठाना।

(ग) दोनों अधिकारियों को घोर दंड देने के लिये उनके विरुद्ध अनुशासिक कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों के लिये पुर्जे

*768. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम की अनेक बसें पुर्जों के न मिलने के कारण बेकार खड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी बसें बिल्कुल बेकार खड़ी हैं तथा कितनी बसें कुछ पुर्जों के न होने पर भी चल रही हैं;

(ग) क्या इन सब पुर्जों का आयात करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा चाहिये; और

(ङ) दिल्ली परिवहन की सभी बसों का पूर्ण उपयोग करने के लिये पुर्जे प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : आयात किये जाने वाले पुर्जों के अभाव के कारण दिल्ली परिवहन उपक्रम की कुल 940 बसों में से 132 पुरानी बसे बेकार पड़ी हैं। यह उस मेक की बसें हैं जो देश के निर्माण कार्यक्रम में नहीं हैं। पुर्जों के अभाव के बावजूद 299 बसें चल रही हैं।

(ग) जी हां।

(घ) मार्च 1966 तक उपक्रम को आयात किये जाने वाले पुर्जों के लिये विदेशी मुद्रा की कुल आवश्यकता 43.00 लाख रुपये थी।

(ङ) (1) आयात नीति के अनुसार जनवरी 1965 तक जो 13.29 लाख रुपये का आयात लाइसेंस उपक्रम को दिया गया था, उसके अतिरिक्त, उपक्रम को चालू वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये का तदर्थ लाइसेंस दिया गया है।

(2) पुरानी गाड़ियों के काम में लाये जाने वाले पुर्जों को भी प्रयोग में लाया जा रहा है। कुछ पुराने पुर्जों की मरम्मत करके प्रयोग में लाया जा रहा है।

(3) कुछ पुर्जों का निर्माण उपक्रम की वर्कशाप में किया जा रहा है।

उत्थापन सिंचाई योजनायें

2505. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के त्रिचुर जिले में उत्थापन सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि त्रिचुर जिले की अंतीकोड, मानावूर-तन्नियम पंचायतों की उत्थापन सिंचाई योजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) केरल सरकार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि केरल राज्य के त्रिचुर जिले के मानालूर पंचायत क्षेत्र में उठाव सिंचाई योजना की क्रियान्विति में देरी की जा रही है।

(ख) मानालूर पंजायत क्षेत्र की उठाव सिंचाई योजना तथा अंतीकोड पंचायत की उठाव सिंचाई योजना की क्रियान्विति के कार्य में देरी हुई है।

(ग) देरी का मुख्य कारण यह है कि योजना की क्रियान्विति के लिये जिस भूमि की आवश्यकता है वह अभी तक पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं की गई है।

(घ) मानालूर उठाव सिंचाई योजना पर पहले ही कार्य शुरू हो गया है। आशा है कि इस योजना का बाकी कार्य मौजूदा वित्तीय वर्ष की अवधि में पूरा हो जायेगा। अपेक्षित भूमि मिलते ही अंतीकोड उठाव सिंचाई योजना की क्रियान्विति की जायेगी।

फसल मौसम वेधशाला

2506. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फसल मौसम वेधशालाएं 1964–65 में किसानों के लिये कहां तक और किस प्रकार उपयोगी सिद्ध हुई हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : फसल मौसम वेधशालाओं से जो सामग्री प्राप्त होती है उस से कृषि के उचित आयोजन के लिये फसल और मौसम के सम्बन्ध का पता चलता है। फसल मौसम वेधशालाओं के इन आकड़ों से फसल उगाने की विभिन्न बातों और इस से सम्बंधित अन्तरिक्षविज्ञान सम्बन्धी कारकों का हिसाब लगाया जाता है। वर्ष के आधार पर फसल मौसम सम्बन्धी रेखा चित्र भी तैयार किये जाते हैं जिन से मौसम परिवर्तन और ऋतु की प्रगति के साथ फसल की वृद्धि का पता लगता है। यह ब्यौरे सभी कृषि अधिकारियों को उपलब्ध किये जाते हैं। इस सूचना से कृषि विभाग और समुदाय विकास के अधिकारी कृषक को ऋतु के विभिन्न कालों में मौसम और फसल के बीच सम्बन्धों के अनुभव के बारे में सलाह देने योग्य होते हैं ताकि कृषक इस के अनुसार ही उन्हें व्यवहार में ला सके। वास्तव में किस हद तक इससे लाभ हुआ है यह जानना बिना विस्तृत जांच और अध्ययन के सम्भव नहीं है।

सहकारी ऋण व्यवस्था

2507. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64 और 1964–65 में विभिन्न राज्यों में सहकारी ऋण व्यवस्था के विस्तार में कितनी प्रगति हुई थी ; और

(ख) पिछड़े हुए राज्यों में ऋण व्यवस्था को बढ़ाने की गति तेज करने की दृष्टि से वर्तमान प्रक्रियाओं और नियमों के अन्तर्गत क्या प्रशासनिक अथवा अन्य उपाय किये जा रहे हैं जिससे कि वे राज्य एक निश्चित अवधि में विकसित राज्यों के समान स्तर पर आ सकें ?

सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1961–62 से 1963–64 तक की प्रगति की दर दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4909/65।]** 1964–65 के बारे में अभी आंकड़े प्राप्त नहीं हैं।

(ख) पिछड़े राज्यों की समस्याओं के बारे में विशेष अध्ययन किए गए हैं। पूर्वी क्षेत्र के राज्यों में केन्द्रीय बैंकों और भूमिबन्धक बैंकों को अधिक उदार रूप में कर्मचारी उपदान दिया गया है। असम और पश्चिमी बंगाल में कुछक सहकारी बैंकों को पुनर्वास अनुदान दिए गए हैं। सहकारी ऋण ढांचे को मजबूत करने के लिए सभी राज्य सरकारों को एक 'एक्शन प्रोग्राम' कार्यान्वित करने के लिए भेजा गया है। इसके अतिरिक्त एक केन्द्रीय टोली जिसमें इस मन्त्रालय, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, भारत के रिजर्व बैंक और योजना आयोग के अफसर हैं, राज्यों का दौरा कर रही है और राज्यों के अफसरों तथा बैंकों के महत्वपूर्ण पदधारियों के साथ समस्याओं की जांच करने तथा ऋण की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उपाय तैयार करने के लिए बैठकें कर रही है।

श्रम ठेके तथा निर्माण सहकारी समिति सम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड

2508. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम ठेके तथा निर्माण सहकारी समितियों संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड ने 1964–65 में क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ख) इन सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :—

(1) अकुशल कार्य बिना सीमा के और कुशल कार्य कम से कम 50,000 रु० तक के मूल्य के श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा करने के लिए बिना टेंडर मांगे आरक्षित किए जाने चाहिए।

(2) जब भी 50,000 रुपए से कम मूल्य वाले अकुशल कार्यों अथवा कुशल कार्यों के लिए टेंडर मांगे जाएं, तो श्रमिक सहकारी समितियों के टेंडर मंजूर किए जाने चाहिए चाहे वे निम्नतम स्वीकार्य टेंडर से 5 प्रतिशत तक अधिक हों।

(3) जिन ठेकों का मूल्य 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है उनके बारे में श्रमिक सहकारी समितियों को 25 प्रतिशत राशि अग्रिम में दे जा सकती है।

(4) बयाने तथा जमानत की रकम की अदायगी के बारे में पूरी छूट दी जानी चाहिए।

(5) बिलों का पाक्षिक भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(ख) इन सिफारिशों पर राज्य सरकारों और काम देने वाले मंत्रालयों ने विचार किया है। सिफारिशों की कार्यान्विति में हुई प्रगति नीचे दी गई है :—

(1) **आरक्षण :** उड़ीसा, गुजरात और केरल में 50,000 रुपए तक के मूल्य के कार्य बिना टेंडर मांगे श्रमिक सहकारी समितियों को दिए जाते हैं। पंजाब में सभी अकुशल कार्य, मैसूर में 25,000 रुपए तक के मूल्य के कार्य, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और रक्षा मंत्रालय में 20,000 रु० तक के मूल्य के कार्य और आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा मनीपुर में 10,000 रु० तक के मूल्य के कार्य, बिना टेंडर मांगे श्रमिक सहकारी समितियों को दिए जाते हैं।

(2) **मूल्य अधिमान :** गुजरात में 50,000 रु० से 1 लाख रुपए तक के कार्यों से सम्बन्धित टेंडरों के लिए 5 प्रतिशत की तरजीह दी जाती है। राजस्थान में 20,000 रु० से 1 लाख रुपए तक के कार्यों के लिए उतनी ही तरजीह दी जाती है। महाराष्ट्र में 20,000 रु० से 1 लाख रुपए की सीमा के बीच तथा उड़ीसा में 50,000 रु० से 1 लाख रुपए की सीमा के बीच यह तरजीह दी जाती है।

(3) **प्रारम्भिक पेशगी :** मैसूर और उड़ीसा में प्रारम्भिक पेशगी का 25 प्रतिशत दिया जाता है।

(4) **छूट :** मद्रास, मैसूर, केरल, उड़ीसा और राजस्थान में श्रमिक सहकारी समितियों को बयाने और जमानत की अदायगी से छूट दी जाती है जबकि दूसरे कुछ राज्यों में सशर्त या सीमित छूटें उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश, असम और हिमाचल प्रदेश में बयाने से छूट दी जाती है, महाराष्ट्र में जमानतकी राशि और सम्पन्नता प्रमाण-पत्रों के लिए आग्रह नहीं किया जाता है, जबकि गुजरात में छोटे कार्यों के लिए कोई ज़मानत की राशि नहीं रखी गई है।

(5) **बिलों का पाक्षिक भुगतान :** असम, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस सिफारिश को मान लिया है।

सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों का सम्मेलन

2509. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1964 में कलकत्ता में हुए पूर्वी क्षेत्र के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों विशेष सम्मेलन द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : एक विवरण, जिसमें 9 तथा 10 नवम्बर, 1964 को कलकत्ता में हुए पूर्वी क्षेत्र के संघ क्षेत्रों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों के सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें तथा उन पर की गई कार्यवाही दी गई है, सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-4910/65]**

निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

2510. **श्री लखमू भवानी :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सभी आदिम जातियों के लोगों के लिये प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा निशुल्क तथा अनिवार्य करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) : लगभग सभी राज्यों में सभी बच्चों के लिये शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य है। इस तरह आदिम जातियों के बच्चे भी इस में आ जाते हैं। इस लिये आदिम जाति के बच्चों के लिये अलग से कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जहां तक माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध है, आदिम जाति के बच्चों को शुल्क में छूट देने या छात्रा-वृत्ति देने, होस्टल की सुविधायें देने, पुस्तक देने और दूसरी शिक्षा सम्बन्धी सहायता देने के लिये अभी कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

सेलम में हवाई अड्डा

2511. **श्री राजाराम :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को सेलम की जनता की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें वहां शीघ्र ही एक हवाई अड्डा बनाये जाने की प्रार्थना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : सेलम में हवाई अड्डे के निर्माण के लिये समय समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। इंडियन एयर लाइनज़ कारपोरेशन के परामर्श से हम नें इन पर विचार किया है चूंकि सेलम में हवाई यातायात के लिये अभी पर्याप्त संभावना नहीं है, इस लिये वहां हवाई अड्डे के निर्माण की मांग मंजूर नहीं की जा सकती।

मद्रास में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

2512. **श्री राजाराम** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1961 की जनगणना में मद्रास राज्य की प्रत्येक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति की जनसंख्या का पूरा विवरण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जाति की कितनी संख्या है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) यह सूचना भारत जनगणना, 1961, पुस्तक के खण्ड 9 भाग 5–क (1) और भाग 5–क (2) मद्रास राज्य की अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित आदिम जातियाँ (सारणी) में दी गई है।

पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

2513. **श्री हेमराज :**
श्री कृ० चं० पंत :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पहाड़ी क्षेत्र समिति ने योजना आयोग से चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास के लिए अधिक धन दिये जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका मुख्य ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम हुआ है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक धन दिये जाने के प्रश्न पर योजना आयोग के साथ परामर्श किया जा रहा है। अन्तिम नियतन का पता लगने के पश्चात ही ब्यौरा तैयार किया जायेगा।

सिन्दखेड में आदिम जाति विकास खंड

2514. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1961-62 अथवा 1962-63 में बुलथाना जिले के सिन्दखेड में एक आदिम जाति विकास खंड मंजूर किया था;

(ख) यदि हां, तो 1961 की जनगणना के अनुसार उस खंड की कुल जनसंख्या और उस में आदिम जातियों की कुल जनसंख्या कितनी कितनी थी;

(ग) क्या खंड यह महत्वपूर्ण शर्त पूरी करता है कि खंड की कुल जनसंख्या का $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत भाग आदिम जातियों का होना चाहिये; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) 1962-63 के दौरान नान्देड जिले (बुलडाणा जिला नहीं) में सिन्दखेड में एक आदिम जाति विकास खण्ड आरम्भ किया गया था। बाद में यह मालूम हुआ कि इस क्षेत्र में अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या की गणना समय बहुत से गैर-आदिम जाति लोगों को भी गलती से गिन लिया गया है। अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या वास्तव में बहुत कम थी और वह खण्ड की कुल जनसंख्या के 66⅔ प्रतिशत से भी बहुत कम थी जो कि आदिम जाति विकास खण्ड के लिये मुख्य शर्त थी। इस लिये इस आदिम जाति विकास खण्ड को समाप्त करना पड़ा था।

(ख) तीसरी पंच वर्षीय योजना में आदिम जाति विकास खण्डों को आरम्भ करने के लिये 1951 की जनगणना के आंकड़ों को ध्यान में रखा गया था और 1961 की जनगणना के आंकड़ों को नहीं। 1951 की जगगणना के अनुसार सिन्दखेड खण्ड की कुल जन संख्या 22,518 है जिस में 6,628 आदिम जाति के लोग हैं जो कुल संख्या का केवल 29 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते क्योंकि सिन्दखेड के आदिम जाति विकास खण्ड को इस बीच समाप्त कर दिया गया है।

मानवीय आधार पर जेलों में प्रयोग

2515. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दशरथ देव :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में जेलों को आत्म-निर्भर तथा सुधार-संस्थाएं बनाने के लिये मानवीय आधार पर किये गये सफल प्रयोगों के सम्बन्ध में कोई जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो समस्त जेलों को सुधार-संस्थाओं के रूप में परिवर्तित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सरकार को इस बात का पता है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ जेलें, विशेषकर नैनीताल जिले के सितरगंज में सम्पूर्णानन्द कृषि तथा औद्योगिक कैम्प, मिर्जापुर जिले के घुरमा मरकण्डी स्थान पर सम्पूर्णानन्द कैम्प, लखनऊ में मॉडल जेल और प्रिजनर्स कोअपरेटिव, सांगानेर में मानवीय और सुधार के आधारों पर चलाई जा रही हैं और आत्म-निर्भर इकाइयों की तरह काम करने का प्रयास कर रही हैं।

(ख) आम जेलों को सुधारने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि वे सुधार-संस्थाओं की तरह काम कर सकें। सारी जेलों को उपर बताई गई लाइनों पर बनाना न तो व्यवहार्य और न ही वांछनीय होगा क्योंकि बहुत से लोग जो जेलों में भेजे जाते हैं या तो उन पर मुकदमा चलता रहता है या उन की बहुत कम समय की सज़ा होती है। इसी प्रकार सिद्ध अपराधियों को खुली जेलों में रखने में कठिनाई हो सकती है। जेलों में उत्पादन के स्थान प्रशिक्षण पर अधिक जोर दिया जाता है इस लिये जेलों को पूरी तरह आत्म-निर्भर नहीं बनाया जा सकता।

Hindi Law Commission

2516. Shri M. L. Dwivedi : **Shri S. C. Samanta :**
Shrimati Savitri Nigam : **Shri Subodh Hansda:**

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the annual expenditure incurred on the Hindi Law Commission; and

(b) the number of Acts transcribed or translated in Hindi by the Commission, year wise since its inception?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : (a) The annual expenditure incurred on the Official Language (Legislative) Commission is as follows:—

	Rs.
1961-62	1,85,535
1962-63	5,33,003
1963-64	6,66,559
1964-65	9,20,990

(b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in the Library. See No. L.T. 4911/65.]**

All-Weather Air Ports

2517. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme for the construction of all-weather airports in each district; and

(b) if so, the broad outlines of the scheme?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

वनस्पति तथा केला उत्पादकों को माल भाड़े की दरों में रियायत

2518. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति उत्पादक संस्था और केला उत्पादक संस्था से उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष माल भाड़े में कमी करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) तथा (ख) : इन संस्थाओं से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु इस विषय में रेलवे मंत्री जी को लिखे हुए कुछ प्रतिवेदनों की प्रतियां खाद्य और कृषि मंत्रीजी को प्राप्त हुई हैं। ये प्रतिवेदन आन्ध्र फ्रूट मर्चेन्टस एसोसिएशन, राजामुन्द्री, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट (गण्डेवी), अमलताद, गुजरात तथा फ्रूट एण्ड वेजीटेबल मर्चेन्ट्स यूनियन, सब्ज़ी मन्डी, दिल्ली से प्राप्त हुई है। इस मामले पर रेलवे मंत्री जी को लिखा गया था जिन्होंने कहा है कि इस मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया है कि केवल वैगन लोड के लिए ही विशेष रियायत दी जायेगी।

चावल की प्रति एकड़ उपज]

2519. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन बढ़ाने का कार्य करने वाली प्रयोगशालाओं ने ही कृषि सम्बन्धी कोई नये वैज्ञानिक तरीके निकाले हैं तथा हाल ही में चावल की उपज को बढ़ाने के लिये प्रदर्शन किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में क्या सफलता मिली है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां, वैज्ञानिक तकनीकों में ये सामिल हैं :—

(1) प्रजनन तथा अच्छी उपज का चयन, उर्वरक प्रतिचारी नांन-लाजिंग किस्में ;

(2) नमक, बाढ़ तथा रोग प्रतिरोध किस्मों और उन किस्मों को जो गहरी जल परिस्थितियों के लिये उपयुक्त हैं, का विकास;

(3) अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कृषि शास्त्र से सम्बन्धित तकनीकों तथा उर्वरक सूचियों का तैयार करना;

(4) उपयुक्त हरी खाद फसलों का अध्ययन ; और

(5) विभिन्न कीड़ों, रोगों तथा कुतृणों को नियंत्रित करने के लिये प्रभावशाली पौद रक्षा उपाय तैयार करना;

देशव्यापी पैमाने पर इन तकनीकों के नतीजों को प्रदर्शित किया जा रहा है।

(ख) इन तकनीकों के प्रयोग से 5,000 पौंड प्रति एकड़ स्थानीय किस्मों सहित और 8,000 पौंड कुछ हाल ही में शुरू की गई विदेशी किस्मों में धान की उपज प्राप्त करना सम्भव हो सका है।

समुद्री मोती वाली सीपियां

2520. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन तटों पर समुद्री मोती वाली सीपियां पाई गई हैं ; और

(ख) क्या इन सीपियों को निकालने के लिये कोई संगठित प्रयत्न किये जा रहे हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) समुद्री मोती वाली सीपियां मद्रास राज्य के तिरूनेलवैली और रामनाथपुरम के जिलों के तटों से दूर मन्नार की खाड़ी में मोतियों के क्षेत्र में मिलती हैं।

(ख) राज्य मात्स्यकी विभाग द्वारा मोतियों के क्षेत्रों का निरीक्षण प्रति वर्ष किया जाता है। जब कभी पर्याप्त मात्रा में मोती मिलते हैं तब उनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है। सीपियां निकालन की अन्तिम श्रृंखला 1955 से 1961 तक थी।

Sugar Mills in U. P.

2521. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that with a view to increasing the crushing capacity and production of sugar, Government propose to merge the uneconomic sugar mills in Eastern Uttar Pradesh ;

(b) if so, when the scheme is likely to be implemented ; and

(c) the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) to (c). Such a suggestion has been made by the Committee appointed by the Government on rehabilitation and modernisation of sugar factories in India whose report is at present under consideration.

Export of Fruit Porridge from North Bihar

2522. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are plenty of resources in North Bihar for preparing fruit porridge from mango, jack-fruit, blackberry and lichies;

(b) if so, whether Government have formulated any scheme for the export of fruit porridge from this area; and

(c) if so, the nature of the scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculure (Shri D. R. Chavan) : (a) There are plenty of resources in North Binar for processing and canning of mangoes and litchies.

(b) & (c). No specific scheme for the export of fruit porridge from this area has been formulated. At the suggestion of the Co-operative Department of Bihar, investigations are under way to explore possibilities of setting up Growers Co-operative Fruit Processing Units at suitable places in the region.

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजपथ

2523. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजपथ को सीमा सड़क संगठन से अपने हाथ में लेने का है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ग) इसको अपने हाथ में लेने के पश्चात् क्या सुधार करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सीमान्त सड़क विकास मंडल से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 1 ए के लिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

चावल अनुसन्धान संस्था, कटक

2524. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चावल अनुसन्धान संस्था, कटक, धान उत्पादन के सम्बन्ध में कोई विशेष तथा प्रभावोत्पादक सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है;

(ख) क्या फार्म घाटे में चल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच करवाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : संस्थान का फार्म एक अनुसन्धान-फार्म है और इसे वाणिज्यिक आधार पर नहीं चलाया जा रहा है। अतः लाभ या हानि का प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

लट्ठे बनाने का प्रशिक्षण देने वाले केन्द्र

2525. **श्री विद्या चरण शुक्ल :**
श्री वाडीवा :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री चांडक :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्रीमती मिनीमाता :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र विशेष सहायता निधि की सहायता से देश में लट्ठे बनाने का प्रशिक्षण देने वाले चार केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो अगर उन केन्द्रों के लिए स्थान चुन लिये गये हैं ; तो वे कौन से हैं ; और

(ग) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है और वे चुने जाने के लिये कैसे उपयुक्त हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्र दक्षिणी तथा उत्तरी क्षेत्रों के लिये क्रमशः कोयमबेटोर तथा देहरादून में स्थापित किए जाएगें। अन्य दो केन्द्रों के लिए स्थानों का अभी निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) लट्ठे बनाने का प्रशिक्षण देने वाले केन्द्रों के चयन में निम्नलिखित साधनों कों दृष्टि में रखा गया है :—

(1) सड़क तथा रेल द्वारा केन्द्र की सुगम अभिगम्यता और केन्द्र में आवश्यक स्थान तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धि ।

(2) परियोजन के अन्तर्गत लट्ठे बनाने का प्रशिक्षण देने के लिए वन वर्गों के आस-पास के स्थानों की उपयुक्तता ।

(3) विभागीय व्यवस्थित बनों के काफी बड़े क्षेत्र की उपलब्धि जिससे आधुनिक लट्ठा बनाने की तकनीकों को शुरू करने में सुगमता होगी।

(4) केन्द्र के समीप सुव्यवस्थित वन क्षेत्रों की उपलब्धता जो वन महा विद्यालयों की श्रेणियों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त हो।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा खरीदे गये दूध की कीमत

2526. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूध तथा दूध उत्पाद संस्थाने सरकार से अभ्यावेदन किया है कि दिल्ली दूध योजना के प्राधिकारियों से अपना क्रय मूल्य घटाने के लिए कहा जाए ताकि व्यापारी राजधानी में उचित दरों पर दूध बेच सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) बाज़ार की परिस्थितियों तथा उत्पादकों को उचित मूल्य देने की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर ही समय समय पर दिल्ली दुग्ध योजना के क्रय मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। यदि इन बातों को दृष्टि में न रखकर मूल्य निर्धारित किया जाये तो अपनी सप्लाई बनाये रखने के लिये दिल्ली दुग्ध योजना को पर्याप्त मात्रा में दूध न मिल सकेगा।

Bye Election in Punjab

2527. Shri Bagri : Will the Minister of **Law** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 190 on the 23rd February, 1965 regarding a complaint relating to the bye-election in the Jind Constituency of the Punjab Legislative Assembly and state :

(a) whether the Central Government have since received the report from the State Government ; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao) : (a) Yes, Sir. The Election Commission has received a report from the Chief Electoral Officer stating that there was a dispute as to which party should be permitted to hold election meeting near the Town Hall. The Returning Officer first granted permission to the opposition group to hold the meeting but thereafter he cancelled the permission on the ground that it would clash with the meeting earlier fixed by the Congress party at that place.

(b) The Election Commission has found the Returning Officer's action unreasonable and his explanation unconvincing and has directed the Chief Electoral Officer that the Election Commission's observations should be communicated to the Returning Officer and the State Government. Apart from this implied censure, the Election Commission does not consider it necessary to take any further action.

मैसूर में खाद्य स्थिति

2528. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य फालतू अनाज वाला राज्य है अथवा कमी वाला ;

(ख) यदि कमी वाला राज्य है, तो किन खाद्यान्न की वहां कमी है ;

(ग) यह कमी किस प्रकार पूरी की जायेगी ; और

(घ) पिछले छः महीनों में राज्यने कितना गेंहू तथा चावल मांगा है और वास्तव में कितना दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क)और (ख) : औसत उपज के वर्ष में, मैसूर को खाद्यान्न की के दृष्टि से कमी वाला राज्य समझा जाता है। प्रयेक खाद्यान्न विशेष के बारे में स्थिति का अन्दाज़ा लगाना कठिन है क्योंकि एक खाद्यान्न के स्थान पर दूसरे खाद्यान्न का प्रयोग करना सम्भव होता है और इस प्रकार की स्थानापन्नता वास्तव में सप्लाई या भाव स्थिति के प्रतिकूल होने की हालत में की जाती है।

(ग) और (घ) : मैसूर सहित सभी कमी वाले राज्यों के बारे में जहां व्यापारिक खाते में खाद्यान्नों का लाना ले जाना नियन्त्रित है, खाद्यान्नों की आवश्यकताएं सम्भव सीमा तक केन्द्रीय सरकार के पास

उपलब्ध स्टाक से पूरी की जाती हैं। अधिशेष राज्यों से राज्य से राज्य के आधार पर खाद्यान्नों के संचलन के लिये भी प्रबन्ध किये जाते हैं।

राज्य सरकार के परामर्श से मैसूर के लिये 1.25 लाख मीट्रिक टन चावल का कोटा 1965 के लिये निर्धारित किया गया है। इसमें से 87,000 मीट्रिक टन से थोड़ा कम चावल केन्द्रीय स्टाक से अगस्त के अन्त तक वास्तव में सप्लाई किया जा चुका है। केन्द्रीय स्टाक से गेहूं की सप्लाई मासिक आधार पर की जाती है। मार्च से अगस्त, 1965 के इन 6 महीनों में मैसूर को 65,000 मीट्रिक टन से थोडा अधिक गेहूं सप्लाई किया जा चुका है।

खाद्यान्न जमा करना

2529. **श्री बागड़ी :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने मार्च-जुलाई, 1965 में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न जमा किया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितनी मात्रा जमा की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) मार्च से जुलाई, 1965 की अवधि में अधिकांश राज्य सरकारों के पास खाद्यान्नों के भण्डार में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। इसी अवधि में कुछ राज्यों के भण्डारों में कमी हुई थी।

(ख) पहली मार्च से 31 जुलाई, 1965 की अवधि के बीच राज्य सरकारों के पास खाद्यान्नों के भण्डारों में हुई निवल वृद्धि या कमी बताने वाला एक विवरण नीचे दिया जाता है।

विवरण

(हज़ार मीट्रिक टनमें)

राज्य सरकारें	वृद्धि	कमी
आन्ध्र प्रदेश	30.8	..
आसाम		5.5
बिहार	..	14.7
गुजरात	56.2	..
केरल	4.8	..
मध्य प्रदेश	14.0	..
मद्रास	123.1	..
महाराष्ट्र	82.6	..
मैसूर	37.2	
उड़ीसा	2.8	
पंजाब	93.6	..
राजस्थान	88.6	..
उत्तर प्रदेश	..	1.4
पश्चिमी बंगाल	6.57	
जम्मू तथा कश्मीर	3.1	..

कश्मीर में शीतकालीन पर्यटन

2530. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काश्मीर में शीत कालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : पर्यटन के लिये केन्द्रीय सरकार की तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में कश्मीर में गुलमर्ग को शीतकालीन खेलों के केन्द्र के रूप में विकसित करने की एक योजना शामिल है। प्रारंभिक आंकड़े इकट्ठा करने उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने, विदेशी विशेषज्ञों की राय लेने और विस्तृत योजना तैयार करने का काम केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत तंगमार्ग से गुलमर्ग तक एक मोटर चलने योग्य सड़क, गुलमर्ग पर एक केन्द्रीय तापित होटल स्कीस्कूल और स्को-लिफ्ट, गुलमार्ग से खिलनमार्ग तक एक रज्जुमार्ग बनाने और अन्य संबंधित सुविधायें देने का विचार है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1.25 करोड़ रुपये हैं जिसमें विदेशी मुद्रा भी शामिल है। इस वर्ष मई में भारत सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर विचार किया था और विदेशी मुद्रा की कठिनाई की दृष्टि से यह निर्णय किया गया कि पहले केवल तंगमार्ग से गुलमार्ग तक की सड़क का काम शुरू किया जाये। योजना के अन्य कार्य स्थगित कर दिये गये।

इस संबंध में जम्मू और कश्मीर सरकार ने स्थगित करने के प्रश्न को पुनर्विलोकन करने के लिये केन्द्रीय सरकार को लिखा है। यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संस्थाओं का संघ

2531. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संस्थाओं के संघ के नई दिल्ली में हुये सातवें वार्षिक सम्मेलन में प्रकट किये गये विभिन्न मतों और दिये गये सुझावों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने इन मतों और सुझावों का एक नोट लिया है। जहां आवश्यक है, वहां कार्यवाही की जा रही है।

बरेली अमीनगांव सड़क

2532. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में केन्द्रीय सहायता प्राप्त बरेली अमीनगांव सड़क परियोजना वित्तीय कठिनाइयों में पड़ गई है और उक्त परियोजना की क्रियान्विति के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के लिये अब तक कितना धन दिया है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार की अतिरिक्त राशि सम्बन्धी मांग के बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) से (ग) : बरेली अमीनगांव बाजू सड़क उत्तरी सीमा की आर्थिक व अन्य आवश्यकतायें पूरी करने के लिये विकसित की जा रही है। समस्त परियोजना की प्राक्कलित लागत लगभग 111.00 करोड़ रुपया है। बनाई जाने वाली या सुधार की जाने वाली सड़क की 966 मील की संपूर्ण लंबाई में से 425 मील उत्तर प्रदेश में पड़ती है। इन 425 मीलों में से 106 मील राष्ट्रीय मुख्यमार्ग संख्या 28 का खंड है और शेष 319 मील राज्य सड़कें हैं। राष्ट्रीय मुख्यमार्ग खंड के विकास की लागत की पूर्ति राष्ट्रीय मुख्यमार्ग निधि में से की जाती है और राज्य सड़कों की उत्तर प्रदेश की सरकार को दी हुई सहायता अनुदान से।

2. उत्तर प्रदेश में सड़कों के भागों के और कई बड़े तथा मझले पुलों के लिये लगभग 23.34 करोड़ रुपये की औसत का प्राक्कलन अभी तक अनुमोदित किया जा चुका है और राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग से योजना तथा प्राक्कलन प्राप्त करने के बाद और अधिक के अनुमोदित होने की संभावना है। परियोजना को वित्तीय कठिनाई नहीं हुई है और नहीं राज्य सरकारने अतिरिक्त फंड मांगा है।

तम्बाकू का उत्पादन

2533. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी मंडियों में अधिक पसन्द किये गये तम्बाकू की किस्मों के उत्पादन के लिये प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : निर्यात किए जाने योग्य तम्बाकू की किस्मों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) नए उपयुक्त क्षेत्रों को ढूंढने और तम्बाकू उगाने के हेतु उन्हें विकसित करने के लिए परीक्षण करना,

(2) उत्पादन सम्बन्धी उन्नत रीतियों का प्रदर्शन;

(3) उत्पादकों को उन्नत किस्मों के शुद्ध बीज सप्लाई करना;

(4) फासफैटिक उर्वरकों के लिए उत्पादकों को 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता की अदायगी ;

(5) उत्पादकों के लिए उर्वरकों के विशेष कोटे का प्रबन्ध तथा वितरण ; और

(6) तम्बाकू संग्रहागार बनाने के लिए तम्बाकू उत्पादकों को जी० सी० हीटों के विशेष कोटे की सप्लाई।

चुकन्दर से चीनी

2534. श्री हेडा :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गन्ना अनुसन्धान संस्थान ने चुकन्दर से चीनी तैयार करने के लिये विभिन्न राज्यों में अग्रिम परियोजनाएं आरम्भ करने के सम्बन्ध में, अपनी सिफारिशें दे दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर ;

(ग) क्या चुकन्दर से चीनी बनाने के लाभ-हानि सम्बन्धी अध्ययन के परिणाम प्राप्त हो चुके हैं, और उन पर विचार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : नहीं। राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर ने पंजाब के यमुनानगर में चुकन्दर से चीनी का उत्पादन करने की सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिये एक पाइलट संयंत्र स्थापित किया है।

(ग) और (घ) नहीं। पाइलट संयंत्र के केवल आगामी सीजन में पूरी तरह परीक्षण के तौर पर चलने की आशा है और इसके बाद ही चुकन्दर से चीनी के उत्पादन के लाभालाभ जानने सम्भव होंगे।

तृतीय राष्ट्रमंडल तथा साम्राज्य विधि सम्मेलन

2535. श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम हरख यादव :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 अगस्त, 1965 से 1 सितम्बर, 1965 तक सिडनी में हुए तृतीय राष्ट्रमंडल तथा साम्राज्य विधि सम्मेलन में भारत को आमंत्रित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो भारत की ओर से सम्मेलन में भेजे गये प्रतिनिधि मंडल में कौन-कौन व्यक्ति थे ;

(ग) सम्मेलन में किन-किन विषयों पर विचार किया गया;

(घ) सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया; और

(ड़) सम्मेलन में क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गईं तथा सुझाव दिये गये ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) जी हां।

(ख) से (ड़) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.–4912/65।]**

भारत-जापानी फार्म

2536. श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 20 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 2415 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में भारत-जापानी फार्म प्रयोग के परिणामस्वरूप क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस योजना का और विस्तार करने का क्या कार्यक्रम है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.–4913/65।]**

(ख) 17 दिसम्बर, 1964 को हस्ताक्षर किए गए एक भारत-जापानी अनुबन्ध के अन्तर्गत केरल के चेंगामन्ड, आन्ध्र प्रन्देश के वपाटला, मैसूर के मन्दया और महाराष्ट्र के खोपोली में स्थापित की गई चार अतिरिक्त फार्मों ने चालू खरीफ मौसम से कार्य करना शुरू कर दिया है। इस समय और अधिक फार्म स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मछली पकडने का ट्रालर

2537. **श्री रघुनाथ सिंह :**
डा० महादेव प्रसाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के केन्द्र बम्बई का मछली पकड़ने का ट्रालर, जिसमें 15 व्यक्ति थे और जो बम्बई से 15 जुलाई को रवाना हुआ था, अभी तक वापस नहीं लौटा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे ढूंढने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) मछली पकड़ने का ट्रालर जो 14 व्यक्तियों को (न कि 15 को) लेकर बम्बई से 15 जुलाई, 1965 को रवाना हुआ था, अभी तक वापिस नहीं आया है।

(ख) इस ट्रालर को 22 जुलाई, 1965 को बम्बई वापिस आना था। जब यह वापिस नहीं लौटा तब गहरा समुद्र मत्स्य-हरण केन्द्र, बम्बई के अधीक्षक अभियन्ता ने 23 जुलाई, 1965 को समुद्र में सभी जहाजों को रेडियों सन्देश भिजवाए ताकि वे इस ट्रालर का ध्यान रखें। अगले दिन अर्थात् 24 जुलाई, 1965 को उन्होंने दो और ट्रालर समुद्र में इसकी खोज के लिए भेजे और भारतीय वायुसेना से विमानों द्वारा खोज का भी प्रबन्ध किया। जब अत्याधिक खराब मौसम के कारण हवाई/समुद्री खोज करना कठिन था, तब केवल उन दिनों को छोड़कर यह हवाई और समुद्री खोज जिस में भारतीय नौ-सेना ने भी 28 जुलाई, 1965 को भाग लिया था, 31 जुलाई, 1965 तक चलती रही। इस खोज के परिणामस्वरूप, बम्बई के निकट दो मानव अस्थि पंजर, खोये हुए ट्रालर की एक रक्षा बोया और मछली रखने के लकड़ी के थाल मिले जिनसे इस ट्रालर के नष्ट हो जाने की सम्भावना हो गयी। 4 अगस्त, 1965 को दुबाई (फारस की खाड़ी) में भारतीय एसोशियेशन का एक तार मिला जिस में इस ट्रालर के सवारों में से एक व्यक्ति के सुरक्षित पहुंचने की सूचना दी गयी थी। इस व्यक्ति को किसी नौका ने समुद्र से निकाला था। इस ट्रालर के लिए और खोज करनी बन्द कर दी गयी। बचा हुआ व्यक्ति बम्बई में 10 अगस्त, 1965 को पहुंचा था।

"कैराबिल" विमान सेवा

2538. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की "कैराविल" विमान सेवा की कुशलता बहुत घट गई है तथा अब यह समय की पाबन्दी नहीं रही और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : नहीं, श्रीमान्। एक "कैराविल" विमान दिन में निश्चित 4 से 5 उड़ाने भरता है। यदि एक की उड़ान में मौसम या किसी दूसरे कारण से विलम्ब हो जाता है तो फिर यह विलम्ब सभी उड़ानों में होता है। दो और "कैराविल" विमानों के आ जाने से स्थिति में सुधार हो जायेगा और यह विमान इस वर्ष के अन्त में आने वाले हैं।

कृषि-अनुसन्धान के लिये अवकाश-प्राप्त वैज्ञानिक

2539. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसन्धान सम्बन्धी उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए अवकाश-प्राप्त वैज्ञानिकों की नियुक्ति का प्रश्न विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की अन्तरंग सभा द्वारा इस समस्या पर विचार होने के पश्चात ही निर्णय किया जायेगा।

नागालैंड में पर्यटन

2540. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड में पर्यटन बढ़ाने के लिये पर्यटक गृहों (लांजेज) और केन्द्र की योजना बनाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : चतुर्थ योजना काल में नागालैंड के लिये पर्यटन कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न दो परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है :—

	रु०
1. दीमापुर, कोहिमा, अम्गुरी, मोकोकचुंग, ट्यून सांग . .	4.00 लाख
2. मौजूदा पर्यटक निवासस्थानों में सुधार और मनोरंजन स्थानों का विकास, मछली तथा शिकार के लिये सुविधायें इत्यादि।	4.00 लाख
योग .	8.00 लाख

ब्रिटेन-भारत जहाज सेवा

2541. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन और भारत के उपमहाद्वीप के बीच ऐंकर लाइन यात्री जहाज सेवा फरवरी, 1966 से "सिरकासिया" के बम्बई स्थित कार्यालय से अपने देश को प्रस्थान करते ही बन्द कर दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी हां।

(ख) हमारी जानकारी के अनुसार सेवा के बन्द करने का मुख्य कारण कम्पनी के अधिकांश जहाजों के बदलने में अधिक लागत का होना है, और जो युद्ध पूर्व बने होने के कारण बहुत पुराने व कमजोर हो गये हैं। कम्पनी का ऐसा विचार है कि जिस संकुचित क्षेत्र में सेवा चलाई जा रही है उससे नये और खर्चीले टनभार के अर्जन का आश्वासन नहीं हो सकेगा। फिर भी इस मार्ग पर यात्री सेवा चलाने के लिये चार विदेशी नौचालन कम्पनियां रहेगी जो ऐंकर लाइन सेवा बन्द हो जाने के बाद भी प्रतिमास लगभग 4.6 यात्राओं की व्यवस्था करती रहेगी।

Use of Chemical Fertilizers

2542. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the speech delivered by the Minister of Petroleum and Chemicals at the 78th Annual Meeting of Bengal National Chambers in which he made a mention that self-sufficiency in the production of foodgrains could be attained within five years and the capacity to export foodgrains within ten years provided chemical fertilisers are used properly ; and

(b) if so, whether Government have formulated any comprehensive and effective scheme for this purpose ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b). Yes. Self-sufficiency in foodgrains could be achieved provided all the physical inputs, *e.g.*, improved seeds, fertilisers, pesticides, irrigation etc., are made available to the extent necessary. In so far as fertilizers are concerned, these are being used properly, even now, but the problem is primarily of supplies. Indigenous production is still inadequate and, on account of shortage of foreign exchange, it has not been possible to import adequate quantities of fertilisers to cover the deficit in full. It is, however, too early to think of exporting foodgrains.

A special programme is proposed to be launched for increased production of fertilisers in the country and for large scale cultivation of new varieties of Paddy, Wheat, Millets and Cash crops like groundnut, cotton etc., which are responsive to high doses of fertiliser application.

चीनी कारखानों द्वारा जले हुए गन्ने के लिये भुगतान

2543. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकस्मिक लगी आग में जले हुए गन्ने के लिये चीनी कारखानों द्वारा किये गये असंतोषजनक भुगतान के सम्बन्ध में, सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने जले हुए गन्ने के लिये कारखानों द्वारा भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में कोई नियम बनाये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी एक प्रति सभा के पटल पर रखेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) कोई नियम नहीं बनाये गये हैं। तथापि, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि वे जले हुये गन्ने के लिये, सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने की न्यूनतम कीमत में यथोचित कटौती दें लेकिन यह कटौती जले हुये गन्ने में से चीनी की उपलब्धि में हुई कमी से अधिक नहीं हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उपभोक्ता स्टोरों के लिये स्थान

2544. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के सहकारी स्टोरों की राज्यवार संख्या क्या है जिन्हें अब तक गोदाम और बिक्री काउंटरों के लिए समय पर उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण घाटा हुआ है ; और

(ख) कितने अवसरों अथवा किस राज्य अथवा राज्यों में उपभोक्ता स्टोरों की स्थान सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने के लिये भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग किया गया ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय सरकार कोई सहकारी भण्डार नहीं चलाती है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत प्रतिरक्षा नियमों का प्रयोग, 30 अवसरों पर पश्चिमी बंगाल में, 18 अवसरों पर पंजाब में, 6 अवसरों पर राजस्थान में, 3-3 अवसरों पर बिहार तथा उत्तर प्रदेश में और एक-एक अवसर पर मद्रास, केरल तथा महाराष्ट्र में उपभोक्ता भण्डारों को उपयुक्त स्थान मुहैया कराने के लिये किया गया।

असैनिक उड्डयन विभाग में अवशिष्ट कार्य

2545. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन् विभाग में, विशेष रूप से दिल्ली क्षेत्र (पालम) में, बहुत बड़ी राशि के राजस्व की वसूली का काम तथा समयोपरि भत्ता एवं यात्रा भत्ता देने का बहुत सा बकाया काम है ;

(ख) क्या अनुसचिवीय संवर्ग के विस्तार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तथा वर्तमान पद तदर्थ आधार पर बनाये जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्रेड का वेतन और भत्ते तथा यात्रा भत्ते के बिलों के भुगतान में कई वर्षों का विलम्ब हो जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) (1) दिल्ली क्षेत्र में 18 हवाई अड्डों (जिन में पालम भी शामिल है) की ओर 31 मार्च, 1965 तक निम्नलिखित राजस्व बकाया था :

	रूपये
उतारने, आवास और खड़े करने के मूल्य	65,200
भाटक, पानी, बिजली मूल्य	12,30,800

जिसमें 9 लाख रुपया दावा भी शामिल है जिस के बारे में झगड़ा है।

(2) पालम पर काम करने वाले कर्मचारियों के 11,857.35 रुपये यात्रा भत्ता बिल और 18,040.25 रुपये के समयोपरि बिल बकाया है। यह बिल तीन महीने से भी कम पुराने है।

(ख) इस समय अनुसचवीय पदों के बनाने पर रोक है फिर आवश्यक स्थिति पर इस रोक को नये ऐसे पद बनाये जा सकते हैं।

(ग) पालम हवाई अड्डे को अभी अभी वायु सेना अधिकारियों से लिया गया है। तदर्थ आधारों पर हवाई अड्डे के लिये अनुसचिवीय कर्मचारियों की मंजूरी दी गई है और काम कितना है इस की जाँच की जा रही है। विभिन्न अड्डों के लिये जिस में पालम भी शामिल है लिपिक पदों के बनाने के लिये नियम विचाराधीन हैं।

असैनिक उड्डयन विभाग के चौकीदारों और मेहतरों के लिये समयोपरि भत्ता

2546. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन विभाग के चौकीदारों तथा मेहत्तरों को समयोपरि भत्ता कम दर पर, अर्थात् 10 पैसे प्रति घंटे की दर से दिया जाता है, और यह उसी प्रकार का काम करने वाले रेलवे के मेहतरों को मिलने वाले दर से बहुत कम है ; और

(ख) क्या असैनिक उड्डयन विभाग में समयोपरि कार्य करने से इन्कार करना अनुशासनिक अपराध है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) असैनिक उड्डयन विभाग के चौकीदार तथा मेहत्तर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेशों में दिये गये श्रेणियों के आधार पर ही समयोपरि भत्ता पाने के हकदार हैं जैसा कि :

रविवार और छुट्टी के दिन : . .	एक दिन में अधिकतम रु० 1.85 पैसे परन्तु प्रत्येक आधे घंटे के लिये 15 पैसे।
कार्य दिवस :	एक दिन में अधिकतम एक रुपया 25 पैसे परन्तु प्रत्येक आधे घंटे के लिये 10 पैसे।
	विहित कार्यसमय के बाद पहले एक घंटे में कोई समयोपरि भत्ता नहीं मिलता है।

रेल कर्मचारियों जिन में चौकीदार और मेहत्तर भी शामिल है, के लिये कार्य का समय तथा समयोपरि भत्ता की दर, भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 के उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं इस के हिसाब से रेलवे कर्मचारियों को विहित समय से अधिक समय से किये गये कार्य के लिये सादाहरण वेतन की दर दे $1\frac{1}{2}$ गुना अधिक समयोपरि भत्ता मिलता है।

(ख) कोई कर्मचारी यदि उस को समयोपरि कार्य करने के लिये कहा जाता है और वह इन्कार कर दे तो उस के विरुद्ध सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत अनुशासनीय कार्यवाही की जा सकती है।

असैनिक उड्डयन विभाग के परिचालन कर्मचारी

2547. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन विभाग के परिचालन कर्मचारियों की पूरे दिन की एक छुट्टी रद्द कर दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) और (ख) : असैनिक उड्डयन विभाग के परिचालन कर्मचारी केवल तीन राष्ट्रीय छुट्टीयों के हकदार है। वे हैं 26 जनवरी, आजादी दिवस, 15 अगस्त और महात्मा गांधी जन्मदिन 2 अक्तूबर। और छः छुट्टीयों को राजपत्रित छुट्टीयों की सूची में से चुना जाता है। वे किसी साप्ताहिक 'आफ' के हकदार नहीं है परन्तु उन के काम के समय का इस प्रकार प्रबन्ध किया जाता है कि उन को दो सप्ताहों में 'लोंग आफ' के रूप में तीन बार आवश्यक आराम मिल सके।

असैनिक उड्डयन विभाग में पर्यवेक्षक संवर्ग के लिये पदोन्नति

2548. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असैनिक उड्डयन विभाग में पर्यवक्षक संवर्ग में उपलब्ध पदों में से कम से कम 50 प्रतिशत पदों पर डाक तथा तार अथवा आयकर तथा अन्य सरकारी विभागों की तरह वरिष्ठता की आधार पर कर्मचारियों को पदोन्नति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : असैनिक उड्डयन विभाग में पर्यवेक्षक पदों के लिये पदोन्नति का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन था। तब से निम्नलिखित निर्णय किये गये हैं।

(1) फायर फोरमैन : फायर फोरमैन के पदों को शतप्रतिशत, फायर ओपरेटरों के वर्ग से जिन्होंने अपने पद पर तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जिन्होंने रिफरैशर पाठयक्रम उत्तीर्ण किया हो उन में से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर भरा जायेगा।

(2) फायर फोरमैन, ऐयरोड्राम ओपरेटरज़, रेडियो ओपरेटरज़ और रेडियो तकनिशिन की पेदालि में वरणग्रेड के पदों को शतप्रतिशत: वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर भरा जायगा।

(3) संचार सहायक और तकनीकी सहायक :—इन के 75 प्रतिशत पदों रेडियो औपरेटरों (वरणग्रेड) और रेडियो तकनीशिन (वरण ग्रेड) में से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति से भरा जायेगा। शेष 25 प्रतिशत पदों को अहर्क परीक्षा से पदोन्नति द्वारा, जिस में दोनों सादाहरण तथा वरण ग्रेड के रेडियो ओपरेटरज़ और रेडियो तकनीशिन जिन की कम से कम अपने ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा हो चुकी हो बैठ सकते हैं ; भरा जायेगा।

पैकेज प्रोग्राम

2549. **श्री रा० बरुआ :** क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विद्यमान पट्टेदारी व्यवस्था वांछित लाभ प्राप्त करने के हेतु बनाये गये पैकेज प्रोग्राम की समुचित कार्यान्विति में सहायक होती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) और (ख) : कुछ क्षेत्रों में वर्तमान पट्टेदारी व्यवस्था में पैकेज प्रोग्राम को प्रभावात्मक रूप से कार्यान्वित करने में लाभदायक सिद्ध नहीं हुई हैं। संबन्धित राज्य सरकारें उचित भूमि सुधार द्वारा इन व्यवस्थाओं का सुधारने के साधनों पर विचार कर रही हैं।

किसानों के लिये ऋण-पत्रक

2550. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसके अन्तर्गत किसानों को ऋण-पत्रक दिये जायेंगे, जिनको दिखा कर वे डीजल तेल और उर्वरक खरीद सकेंगे तथा भुगतान जिन्स में कर सकेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : उर्वरकों के लिए क्रेडिट कार्ड का विचार सहकारी ऋण समितियों के सदस्यों को फसल ऋण देने की सरलीकृत प्रक्रिया में सन्निहित है, जिसे तैयार करके राज्य सरकारों को इस सिफारिश के साथ भेजा गया है कि वे इसे लागू करें। इस प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक सदस्य के लिए एक सामान्य ऋण विवरण तैयार किया जाएगा जिसमें उसकी अल्पकालीन ऋण की पात्रता का उल्लेख होगा, जो प्रत्येक फसल के अन्तर्गत काश्त किए जाने वाले रकबे पर आधारित होंगी। कुल ऋण नकद और जिंस दो भागों में विभक्त है। एक बार सदस्य की ऋण सीमा निश्चित हो जाने पर वह ऋण ले सकेगा बशर्ते समिति से लिए किसी पहले ऋण का उस पर बकाया न रहता हो। यदि ऋण समिति उर्वरक वितरित करती है, तो सदस्य ऋण के जिन्स वाले भाग के अन्तर्गत समिति से अपनी आवश्यकता का उर्वरक ले सकेगा। यदि समिति उर्वरक वितरित नहीं करती है तो सदस्य समिति द्वारा जारी की गई पर्चियों अथवा वितरण कूपनों के आधार पर सम्बन्धित वितरक से उर्वरक ले सकेगा। इस तरह यह प्रक्रिया उर्वरक के लिए क्रेडिट-कार्ड के विचार को सामान्य ऋण विवरण के साथ मिला देती है ताकि सदस्य वर्ष में एक बार अपनी ऋण सीमा को नकद तथा जिंस के रूप में निर्धारित करवा सके और उसके अन्तर्गत अपनी आवश्यकता के अनुसार ऋण ले सके। इस प्रक्रिया को सहकारी समितियों को समझाने तथा उनके द्वारा इसे लागू करवाने के लिए क्षेत्र कार्यकर्ताओं के सम्मेलन आयोजित करके कदम उठाने आरम्भ कर दिए गए हैं।

जिस प्रक्रिया की रूप रेखा ऊपर दी गई है उसे, जहां तक व्यवहार्य हों, डीज़ल आयल तथा उत्पादन के लिए आवश्यक दूसरी वस्तुओं की खरीद के बारे में भी अपनाया जा सकता है।

जिस के रूप में अदायगी करने के बारे में काश्तकारों को विपणन समितियों के माध्यम से अपनी उपज बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऋण समितियों के माध्यम से दिए गए ऋणों की वसूली विपणन समिति और ऋण समिति के बीच समंजन की प्रणाली द्वारा फसलों की बिक्री से की जा सकती है।

Akhil Bhartiya Banjara Sewak Sang

2551. Shri D. S. Patil :
Shri Tulshidas Jadhav :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a delegation of Akhil Bhartiya Banjara Sewak Sang met the Prime Minister on the 30th July, 1965 ; and

(b) if so, their main demands ?

The Deputy Minister in the Department of Social Security (Smt. Chandrasekhar) : (a) A delegation of the Akhil Bhartiya Banjara Sewak Sang met the Prime Minister on the 30th August and not the 30th July, 1965, and presented a letter to him.

(b) The main demand made by them in the letter was that Government should examine the existing lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes very carefully and revise them on a uniform, sound, rational and humanitarian basis with a view to rendering constitutional justice to the Banjara community by enlisting them in the list of Scheduled Tribes.

राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड

2552. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **परिवहन** मंत्री 30 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1736 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4914/65।]**

Development of Horticulture in Maharashtra

2553. Shri D. S. Patil :
Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount allocated as loans and grants to the State of Maharashtra for the development of Horticulture during 1964-65 and 1965-66 ; and

(b) the amount utilized by the Maharashtra Government during 1964-65 and 1965-66 so far ?

Th Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b). The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Prices of Jowar

2554. Shri D. S. Patil :
Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the ceiling prices of Jowar have been fixed in Maharashtra, Madhya Pradesh and Andhra Pradesh ;

(b) if so, the prices fixed for 1965-66 ; and

(c) the price of Jowar that prevailed in the markets of these States during the last three months ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) & (b). The Government of Madhya Pradesh have fixed maximum wholesale prices of jowar at Rs. 43 per quintal for the fair average quality. The Government of Maharashtra introduced a scheme of monopoly procurement and for that purpose fixed the purchase-*cum*-procurement price of Rs. 45 per quintal. In respect of Andhra Pradesh, the information is not readily available, but it appears that the State Government did not fix any maximum price. Information about the ceiling prices fixed by these States for 1965-66 is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

(c) A statement is enclosed. [**Placed in the Library. See No. LT. 4915/65**]

कीटनाशक दवाइयों संबंधी समिति

2555. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री 31 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 304 तथा उसके अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रोफेसर थकर की अध्यक्षता में बनाई गई कीटनाशक दवाइयों सम्बन्धी विशेष समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां और निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) ऐसी सम्भावना है कि समिति दिसम्बर, 1965 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

तीसरी योजना में सड़कों के निर्माण की नागपुर योजना के लक्ष्य

2556. श्री जसवन्त मेहता :
श्री अल्वारिस :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन से राज्य तीसरी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के निर्माण के लिए बनाई गई नागपुर योजना में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में पीछे रह गये हैं ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लक्ष्य की पूर्ति के लिये उन राज्यों की सहायता करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : राज्य सरकारों द्वारा भेजे गये प्रारम्भिक ज्ञापनों के अनुसार केवल गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों ने 1943 में बनायी गयी उत्तर-विश्व युद्ध सड़क विकास की नागपुर योजना के फार्मूले की दृष्टि से सड़क मील दूरी से कमी होना बताया है। इस कमी को पूरा करने के प्रश्न पर जुलाई, 1964 में श्रीनगर में हुई परिवहन विकास परिषद की पांचवी बैठक में विचारविमर्श हुआ था। उस बैठक में विभिन्न प्रकार की सड़कों के सड़क तंत्र की कमी को पूरा करने के लिये विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता पर सहमति प्रकट की गयी। परंतु यह सुझाव दिया गया कि संबद्ध राज्य सरकारें कुल आवश्यकता का हिसाब लगाने और तब कमी को पूरा करने के लिये एक क्रमिक कार्यक्रम तैयार किया जाये। ऐसे कार्यक्रमों के लिये राज्य सरकारों द्वारा अपनी अपनी राज्य आयोजनाओं में आवश्यक व्यवस्था की जाती है क्योंकि सड़क संचार के सुधार के सामान्य प्रश्न से वह ही प्रधानतः संबंधित है। परिवहन विकास परिषद की सिफारिशें सब राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही के लिये पहले ही भेज दी गयी हैं।

उड़ीसा के लिये चावल का अभ्यंश

2557. **श्री जेना** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि उस राज्य से खरीदे जाने वाले खाद्यान्नों के विशेषतः चावल के निर्धारित अभ्यंश का पुनरीक्षण किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उस राज्य से खरीदे गये अनाज का कितने प्रतिशत उड़ीसा राज्य के कमी वाले क्षेत्रों में वितरण करने के लिये संग्रह किया जाता है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री द० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : केवल चावल ही उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के लिये खरीदा जा रहा है। उड़ीसा में केन्द्रीय सरकार के खाते में चावल की अधिप्राप्ति का लक्ष्य 3 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया था। इसमें से 2 लाख मीट्रिक टन चावल केन्द्रीय सरकार ने स्वयं रेल-पर्यन्त केन्द्रों पर मिलमालिक से खरीदना था और शेष राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की ओर से रेल केन्द्रों से दूर छोटी छोटी मिलों से खरीदना था। इस लक्ष्य में कमी करने के बारे में राज्य सरकार से कोई विशिष्ट प्रार्थना नहीं मिली है लेकिन जहां राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की ओर से चावल की खरीदारी करनी थी विशेषता उन क्षेत्रों में वास्तव में खरीदारी आशा से भी बहुत कम रही थी।

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार के खाते में खरीदारी निर्धारित लक्ष्य से बहुत ही कम हुई थी उड़ीसा में ही केन्द्रीय सरकार के खाते में खरीदे गये चावल को वहां रखना सम्भव या आवश्यक नहीं समझा गया। राज्य सरकार कमी वाले क्षेत्रों में वितरण करने के लिये अपने आप अलग से खरीदारी कर रही है।

उर्वरकों सम्बन्धी शिवरामन समिति

2558. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरकों सम्बन्धी शिवरामन समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां। सरकार को 2-9-1965 को रिपोर्ट पेश की गई थी।

(ख) समिति के मुख्य परिणाम तथा सिफ़ारिशों की एक सूची सभा पटल पर रख दी गई है। रिपोर्ट की प्रतियां भी संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4916/65।**]

(ग) समिति की सिफारिशें विचाराधीन है।

राष्ट्रीय सहकारी बैंक

2559. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा बनाई नई सहकारिता समिति ने सिफारिश की है कि एक राष्ट्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की जाये जो कि सहकारी वित्तीय ढांचे का सब से बड़ा बैंक हो ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) सिफारिश की जांच की जा रही है।

पत्तन के सामान की चोरी

2560. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **परिवहन** मंत्री 1 अगस्त, 1965 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित "जांच अधिकारियों को भण्डार खाली मिला" शीर्षक वाले एक समाचार के सम्बन्ध में, जो एक पत्तन प्राधिकार के भण्डार के सम्बन्ध में था, यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भण्डार की कथित चोरी से संबंधित जांच-परिणामों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) दोषी व्यक्तियों को सजा दिलवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) और (ख) : 1 अगस्त, 1965 के हिन्दुस्तान टाइम्स में जो समाचार प्रकाशित हुआ था वह भ्रामक था। 31 जुलाई 1965 को प्रवर सचिवों की एक बैठक में यह बताया गया था कि बम्बई पत्तन में जो माल चोरी गया था उसका लगभग 90 प्रतिशत पत्तन पुलीस और पहरा तथा निगरानी कर्मचारियों ने 1965 ही में बरामद कर लिया था। 1963 में चोरी गये माल का केवल 65 प्रतिशत ही बरामद हुआ था। बम्बई पत्तन अधिकारियों द्वारा अपनाये गये कई उतमतर चोरी न होने वाले उपायों (रोकथाम और पकड़) के परिणाम स्वरूप पत्तन में रखे गये माल की सुरक्षा में सुधार हो सका।

बिहार में गथमी घाट पर पुल

2561. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को मिलाने के लिए गुथमी घाट (बिहार) में छोटी गंडक नदी पर एक पुल का निर्माण करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : पुल के निर्माण के लिये 18.44 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे, मगर लागत 27.00 लाख रुपये (पहुंच मार्गों की लागत सहित) तक बढ़ जाने की संभावना है। दूसरी बार जो टेंडर मांगे गये थे उनमें मुख्य पुल के लिये सब से कम टेंडर की राशि 22.00 लाख रुपया थी। टेंडर को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और निर्माण कार्य की शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

कृषि के लिये भूमि का परिरक्षण

2562. श्री दे० जी० नायक : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया तथा सुदूर पूर्व सम्बन्धी आर्थिक आयोग ने भारत सरकार को मंत्रणा दी है कि कृषि भूमि को शहरी बस्तियों तथा उद्योगों के विकास के लिए प्रयोग में लाने से रोका जाये तथा दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में बहु-मंजिली इमारतें बनाई जायें ताकि भूमि कृषि कार्य के लिये प्रयोग में लाई जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

अमरीका से गेहूं

2564. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमरीका सरकार ने पी० एल० 480 के अन्तर्गत 29,056,000 डालर के मूल्य का गेहूं देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई करार हो गया है ;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा का व्यय बचाने के लिये गेहूं भारतीय जहाज़ों द्वारा ही लाया जायेगा ; और

(घ) गेहूं कब तक आ जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) और (ख) : 30 सितम्बर 1964 के पी० एल० 480 करार जिसमें पिछली बार 26 जुलाई, 1965 को संशोधन किया गया था, के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र सरकार ने 20-8-1965 को इस राशि के लिये एक क्रय प्राधिकरण जारी किया गया था।

(ग) संयुक्त राष्ट्र सरकार के विनियमों में यह व्यवस्था है कि पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत आयात खाद्यान्नों का कम से कम 50 प्रतिशत गैर सरकारी अमरीकी वाणिज्यिक ध्वज पोतों में लाया जाना चाहिये। भारत सरकार शेष 50 प्रतिशत खाद्यान्नों को गैर अमरीकी ध्वज पोजों में लाती है। जहां तक भारतीय जहाज़ उपलब्ध होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है।

(घ) इस गेहूं की भारत में दिसम्बर, 1965 के अन्त तक पहुंचने की आशा है।

असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी संघ

2565. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी संघ के इस निश्चय की ओर आकर्षित किया गया है कि वह सेवा की उत्तम शर्तों सम्बन्धी अपनी मांग को मनवाने के लिये विरोध प्रदर्शन तथा भूख हड़ताल करेगा;

(ख) यदि हां, तो उनकी सही सही मांगे क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादूर): (क) से (ग) : असैनिक उड्डयन विभाग कर्मचारी संघ के महा सचिव ने 12 अगस्त 1965 को असैनिक उड्डयन विभाग के महानिदेशक को लिखा था कि वह कर्मचारियों की ओर से जल्दी की कार्यवाही को रोकने और उन की मांगों के बारे में फैसले में लगातार विलम्ब और उदासीनता के विरूद्ध संकेत मार्क विरोध प्रकट करने के लिए 19 अगस्त, 1965 को प्रातः 7-30 बजे सफदरजंग हवाई अड्डे की कंटीन के बाहर भूक हड़ताल आरम्भ कर देंगे ।

संघ की 6 मांगे निम्नलिखित हैं :-

(1) (एक) वर्कशाप समिति ;

(दो) सटोर समिति :

(तीन) यूनिफार्म समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति :

(2) (एक) एम० टी० ड्राइवर और

(दो) टैलीफोन आपरेटर के वेतन स्तरों का पुनरीक्षण ।

(3) चौकीदारों के कार्यसमय में कमी

(4) (एक) समयोपरी दरों का पुनरीक्षण और

(दो) परिचालन कर्मचारियों को 9 छुट्टियों का दिया जाना

(5) अराजपत्रित पर्यवेक्षी पदों के लिये 50 प्रतिशत की हद तक केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति ।

(6) (एक) आयकर विभाग और डाक व तार घर विभाग में चालू नियमों के आधार पर सीनियर क्लर्क ।

(दोन) हेड क्लर्क और सुपरिटैंडेंट के पदों का बनाया जाना ।

संघ की मांगों संख्या 1(दो) और (तीन), 2 (एक) और (दो) 3, 4 (एक) और (दो) और 5 के बारे में निश्चिय कर लिया गया हैं और संघ को बता दिया गया है शेष मांगों संख्या 1 (एक) और 6 के बारे में दूरगामी प्रभाव हैं और इसलिए वे विचाराधीन हैं ।

बिहार में चीनी मिलें

2566. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **सामुदायिक विकास** तथा **सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बिहार में कुछ सहकारी चीनी मिलें खोलने के लिये अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां , तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

बिहार सरकार ने नयी सहकारी चीनी मिलों की स्थापना के लिए 11 आवेदन-पत्रों को मंजूरी के लिए भेजा है ।

(ख) जब नयी चीनी मिलों के अगले समूह को लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार किया जाने लगेगा तब अन्य राज्यों से प्राप्त आवेदन-पत्रों के साथ बिहार से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाएगा। आवेदन-पत्रों की जांच की जा रही है ।

Collection of Land Revenue

2567. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the farmers of Delhi, from whom the collection of land revenue was stopped in 1954, are being asked again to deposit the same for 11 years in lump sum ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government propose to recover the same in easy instalments ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b): The collection of land revenue was never stopped. It is, however, a fact that due to the rural area in the Union Territory of Delhi being almost in constant grip of natural calamities including floods and water-logging, the recovery of the land revenue was kept in abeyance for a number of years. As with a good crop this year, the financial condition of the farmers had improved, a special drive for the recovery was started in July last. But none of the defaulters was forced to pay the arrears in a lump sum. Every care was taken to see that no avoidable hardship was caused.

(c) As stated in reply to parts (a) & (b) of the question, all recoveries are being made without causing undue hardship. In fact in most cases only part of the dues has been recovered. The balance will also be recovered in easy instalments, wherever necessary.

D. M. S. Milk Bottles

2568. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Bade : Shri Balmiki :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Delhi Milk Scheme is now refusing to accept the empty milk bottles manufactured by it ;

(b) whether it is also a fact that the price of aforesaid empty bottles has also been increased; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The Delhi Milk Scheme does not manufacture any milk bottles. It purchases these from the market and sells them to the card holders. The arrangement for the re-sale of bottles by the card holders back to the Delhi Milk Scheme was introduced for the benefit of those who might leave Delhi or stop purchasing milk from the Scheme. This arrangement led to theft of empty bottles from the Central Dairy and their being sold to the D. M. S. depots. That is why the arrangement was discontinued.

(b) No.

(c) Does not arise.

अनुसूचित आदिम जातियों की सूची से कुछ आदिम जातियों का निकाला जाना

2569. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने केन्द्र को यह सुझाव दिया है कि कुछ आदिम जातियों अथवा अन्य जातियों को अनुसूचित आदिम जातियों की अनुसूचि से निकाल दिया जाये क्योंकि उन्होंने काफी प्रगति कर ली है और उनमें आदिम जाति की विशेषतायें नहीं रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति की सूचियों के पुनरीक्षण सम्बन्धी सारे प्रश्न को सरकार की ओर से बनाई गई अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति की पुनरीक्षण सम्बन्धी सलाहकार समिति के सम्मुख रखा गया था। समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है।

मुगल लाइन्स लिमिटेड, बम्बई

2570. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगल लाइन्स लिमिटेड, बम्बई के गैर-सरकारी अंश खरीदने तथा उसे जहाजरानी निगम में मिलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादूर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वाणिज्यिक तथा प्रशासनिक कारणों से भारत की जहाजरानी निगम लिमिटेड से मुगल लाइन लिमिटेड को मिलाना उचित नहीं समझा जाता है क्योंकि ये कम्पनियां विभिन्न प्रकार का व्यापार बड़े पैमाने पर करती हैं और हम जहाजरानी निगम को जो अनन्य सार्वजनिक क्षेत्र संस्था है उस में भारतीय और विदेशी दोनों तरह के गैर सरकारी अंशधारी रखना उचित नहीं समझते।

केन्द्रीय पहाड़ी क्षेत्र विकास समिति

2571. **श्री हेमराज :**
श्री कृ० चं० पन्त :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी क्षेत्र विकास समिति के कार्यकारी दलों ने अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है ताकि चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये योजना आयोग को दी जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने उसे योजना आयोग को सौंप दिया है तथा उसके परिणाम क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिये प्रस्ताव तैयार करने के लिये खाद्य और कृषि मन्त्रालय में एक कार्यकारी दल तथा इसके उप-दलों की स्थापना हुई थी। इन कार्यकारी दलों ने अपना कार्य प्रायः पूरा कर लिया है। परन्तु उन द्वारा सुझाये गये कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिये अपेक्षित धन के बारे में विस्तृत ब्यौरा पहले से ही उपलब्ध है और इस प्रयोजन के लिये धन नियतन करने के प्रश्न पर योजना आयोग विचार कर रहा है।

उद्यानों का विकास

2572. **श्री प० ह० भील :**

श्री राम सिंह :

क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचवर्षीय योजना के अधीन दिल्ली में उद्यानों के विकास की योजना के अन्तर्गत लोगों को बाग लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया था और उसके लिये लोगों को ऋण सहायता भी दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितना ऋण दिया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त योजना के अनुसार अलीपुर खंड में और विशेषत: भोरगढ़ और कुरानी में कई बाग लगाये गये थे ;

(घ) क्या यह भी सच है कि अनेक बाग सरकार द्वारा भूमि अर्जन में ले लिये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे बागों की संख्या क्या है और उनका कितना क्षेत्रफल है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) 1961–62 से 1964–65 तक 0.715 लाख रुपये की राशि ।

(ग) जी हां ।

(घ) अभी तक कोई ऐसा बाग भूमि अर्जन में नहीं लिया गया है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति की सूचियों का पुनरीक्षण

2574. **श्री दे० शि० पाटिल :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति की सूचियों के पुनरीक्षण संबंधी सलाहकार समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) उन पर क्या निश्चय किये गये हैं ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति की सूचियों का पुनरीक्षण सम्बन्धी सलाहकार समिति की रिपोर्ट अभी विचाराधीन है ।

पिछड़े वर्गों के निदेशालय का कार्यालय

2575. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के पिछड़े वर्गों के निदेशक के कार्यालय में कुल कितने पद मंजूर है तथा त्येक श्रेणी में कितने-कितने पद हैं ;

(ख) अब तक वास्तव में कुल कितने पदों पर नियुक्तियां की गई हैं ;

(ग) यदि सभी मंजूर पद भरे नहीं गये हैं तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) इन पदों पर नियुक्ति करने के लिये क्या पग उठाने का विचार है ; और

(ङ) प्रत्यक श्रेणी में से कितने पदों पर रक्षित अभ्यंश से नियुक्तियां की जायेंगी ?

सुरक्षा विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) चार ।

(1) सहायक निदेशक (वर्ग–2–राजपत्रित)	एक
(2) अन्वेषण अधिकारी (वर्ग–2–राजपत्रित)	एक
(3) इन्वेस्टिगेटर (वर्ग–3–अराजपत्रित)	दो

(ख) से (घ) : इन पदों के लिये अभी नियुक्तियां नहीं की गई हैं क्योंकि अभी भरती के नियमों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और आवेदकों के सेवा अभिलेख और आवेदन पत्र प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा । आशा है कि जल्दी ही चुनाव कर लिये जायेंगे ।

(ङ) नियमों के अनुसार रक्षित स्थान रखे जायेंगे ।

मैसूर में छोटी सिंचाई योजनायें

*2576. **श्री हू० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में (अब तक) छोटे सिंचाई कार्यक्रम के लिये कितनी राशि मांगी थी ; और

(ख) मैसूर सरकार ने अब तक कितनी राशि खर्च की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) और (ख) : तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए मैसूर की सरकार के पास 16 करोड़ रुपये की लागत की एक अनुमोदित योजना है । अपनी वार्षिक योजनाओं के लिये राज्य सरकार ने जो खर्च प्रस्तावित किए हैं, वार्षिक योजना विचार-विमर्श के समय स्वीकृत खर्च, राज्य को निर्धारित अतिरिक्त खर्च तथा राज्य में लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत तीसरी योजना के पहले चार वर्षों के दौरान वास्तविक खर्च निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	स्टेट एनुअल क्लास में प्रस्तावित खर्च	भारत सरकार द्वारा मान्य खर्च			वास्तविक खर्च
		मूल	अतिरिक्त	कुल	
1961–62	428.13	230.00	250.00	480.00	392.74
1962–63	413.00	320.00	305.00	625.00	591.91
1963–64	450.00	450.00	232.00	682.00	864.73
1964–65	800.00	500.00	250.00*	860.00	509.72
			110.00		(31-12-64 तक)
कुल .	2091.13	1500.00	1147.00	2647.00	2359.10

*लघु सिंचाई तथा कृषि कार्यक्रमों दोनों के लिये ।

चालू वित्तीय वर्ष 1965–66 के दौरान राज्य सरकार ने लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिये 842 लाख रुपये का खर्च प्रस्तावित किया । इसके मुकाबले, 6 करोड़ रुपये का खर्च अनुमोदित हो चुका है । बाद में मई, 1965 के दौरान एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी राज्य को निर्धारित की गई । 1965–66 के दौरान वास्तविक खर्च कितना हुआ यह वर्ष के अन्त में मालूम होगा ।

गया जिले में हरिजन मतदाता

2577. **श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** क्या विधी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गया जिले के नवादह तथा जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में हरिजन मतदाताओं की कुल संख्या क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : जी नहीं। गया जिले के नवादह और जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में हरिजन मतदाताओं की संख्या के बारे में जानकारी देना संभव नहीं है क्योंकि निर्वाचक नामावलियों में निर्वाचकों की जाति नहीं दी गई है।

Bridge at Wazirabad (Delhi)

2578. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the recently constructed bridge at Wazirabad (Delhi) has broken down ;

(b) if so, the causes thereof ; and

(c) the persons responsible therefor ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) No. The road bridge over Wazirabad is intact and has not broken down. Some minor repairs to the wearing surface and expansion joints were, however, carried out. The traffic is passing over the bridge.

(b) & (c). Do not arise.

मालाबार में टीपू सुल्तान सड़क

2579. **श्री इम्बीचिबावा :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मालाबार तट पर मत्स्य ग्रहण उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये टीपू सुल्तान सड़क को संचार योग्य बनाने के लिये किसी योजना का विचार किया है ;

(ख) क्या यह योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर): (क) से (ग) : केरल राज्य में मालाबार की टीपू सुल्तान सड़क राज्य सड़क है। अतः इस मामले में केरल सरकार से परामर्श किया गया है। उस ने बताया कि इस सड़क को सुधारने का निर्माण कार्य उसकी चौथी पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप में शामिल किया गया है। इस कार्य की लगभग कीमत 5 लाख रुपया बताई गई है।

कोजीकोड जिले में हवाई अड्डा

2580. **श्री इम्बीचिबावा :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन वशषज्ञों ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है जिन्होंने हवाई अड्डे के निर्माण के लिये कोजीकोड जिले में कन्डोटी की उपयुक्तता पर विचार किया था ;

(ख) क्या सरकार ने हवाई अड्डा बनाने का अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ग) क्या यह योजनाचौथी योजना में शामिल कर ली गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर): (क) और (ख): जी हां श्रीमान । विशेषज्ञों के प्रतिवेदन की जांच की जा रही है ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केरल में उचित मूल्य वाली दुकानों के द्वारा चावल का वितरण

2581. **श्री इम्बीचिबावा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उचित मूल्य वाली दुकानों के द्वारा चावल के वितरण के लिये, जो अर्थ-सहायता 1957 में आरम्भ की गई थी, उस पर 31 दिसम्बर, 1964 तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ख) अब प्रतिवर्ष उसमें से कितनी राशि बचाई जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) सरकार की इकानामिक लागत से कम मूल्यों पर खाद्यान्न देने में जो अर्थसहायता की राशि निहित होती है प्रत्येक राज्य के लिये उसकी गणना अलग से नहीं की जाती है। सरकार की इकनामिक लागत और उसके निगम मूल्य के बीच औसत अन्तर के आधार पर और यह मानते हुए कि केरल में उस अवधि में दिया गया चावल कोर्स चावल था (जैसा कि आमतौर पर होता है) केरल में 1957 से 1964 के वर्षों में दिये गये चावल पर भारत सरकार द्वारा दी गयी अर्थ-सहायता की राशि 27 करोड़ रुपये आंकी जा सकती है ।

(ख) 1965 में केरल में कोर्स चावल पर दी गयी अर्थ-सहायता 1964 में दी गयी अर्थ-सहायता की तुलना में 1.13 रुपये प्रति क्विंटल कम है ।

कुक्कुट पालन के लिये मत्स्य-चूर्ण

2582. **श्री इम्बीचिबावा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्डीन से मुर्गीपालन के लिये मत्स्य-चूर्ण बनाने का एक संयंत्र लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र पर कितना व्यय होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) सार्डीन से पोल्ट्री के लिये मत्स्य-चूर्ण बनाने के लिये सरकारी मत्स्य-चूर्ण संयंत्र लगाने का इस समय कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल की उत्थापन सिंचाई योजनायें

2583. **श्री इम्बीचिबावा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के अनेक उत्थापन सिंचाई कार्य, जैसे तवानूर, बिजली न मिलने के कारण बेकार पड़े हैं ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कितनी उत्थापन सिंचाई योजनाएं इसी कारण बेकार पड़ी हैं ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने क्षेत्र को पानी नहीं मिल रहा है; और

(घ) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) से (घ): अपेक्षित जानकारी केरल सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में सड़कों का विकास

2584. श्री वारियर : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में सड़कों के विकास के लिये एक बृहत योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उसकी अनुमानित लागत क्या है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने योजना का अनुमोदन कर दिया है ?

परिवहन मंत्री (श्री राजबहादूर) : (क) राज्य मुख्य इंजीनियर ने बताया है कि केरल में चौथी पंचवर्षीय आयोजना में सड़क विकास की मास्टर योजना तैयार की जा रही है और इसे अभी अनुमोदन के लिये भारत सरकार के पास भेजना है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता है ।

Arrest of Grain Dealers

2585. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Onkar Lal Berwa : Shri Yudhvir Singh :
Shri Prakash Vir Shastri : Shri Bade :

Will the Minister of **Food** and **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that various States have arrested traders to check the rise in prices of foodgrains ; and

(b) if so, the extent of fall or rise in prices of foodgrains registered in these States during the last one year after the arrest of these traders ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) To check the rise in prices of foodgrains is not the only objective of the enforcement of food laws. Many persons including traders are arrested from time to time for suspected violation of various food laws.

(b) Does not arise.

मैसूर राज्य के कमी वाले क्षेत्रों में दुर्भिक्ष सहायता

2585-क. श्री ह० चा० लिंग रेड्डी : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने राज्य के कमी वाले क्षेत्रों में दुर्भिक्ष सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस योजना में कितना व्यय होगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज़ खां) : (क) मैसूर सरकार ने दुर्भिक्ष सहायता के लिये कोई योजना नहीं भेजी है। हां, मैसूर सरकार से ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिये (जो कि प्रायः दुर्भिक्ष से पीड़ित रहते हैं) एक मार्गदर्शी योजना प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग): अपेक्षित जानकारी प्रदर्शित करन वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4917/65।]**

(घ) राज्य सरकार से कहा गया है कि वह कुछ आवश्यक ब्यौरा भजे। ब्यौरा प्राप्त होने पर ही प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

अमरीका से चावल का आयात

2585-ख. श्रीमती सावित्री निगम : क्या **खाद्य** तथा **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने भारत को अमरीकी संभरण-कर्त्ताओं से बहुत बड़ी मात्रा में चावल की खरीद के हेतु राशि देने के लिये पी० एल० 480 के अन्तर्गत क्रय-प्राधिकार दे दिया है?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : हाल ही में कोई क्रय-प्राधिकार नहीं दिया गया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दुर्गापुर में तार प्राधिकारियों द्वारा तारों को लेने से कथित इनकार

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : श्रीमान्, मैं संचार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर एक वक्तव्य दें :

"3 सितम्बर, 1965 को दुर्गापुर के तार प्राधिकारियों द्वारा रिफाइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर के सिख कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय सरकार को सम्बोधित तारें लेने से कथित इन्कार करने और उनके द्वारा दिल्ली में अकाली संसद् सदस्यों को भेजे गये तारों के न पहुंचाया जाना।"

संचार तथा संसद-कार्यमंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : 3 सितम्बर, 1965 को दुर्गापुर इस्पात प्रायोजना के तारघर में कई तार बुक किये जाने के लिये पेश किए गए जिनमें करीब-करीब एक जैसा ही समाचार था और जिनका आशय मामूली ढंग के स्थानीय झगड़े को साम्प्रदायिक रूप देना था। ये तार भारत सरकार के मंत्रियों, लोक-सभा अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों तथा साथ ही चार अन्य निजी व्यक्तियों के पते पर भेजे गए थे। उक्त सभी तार स्वीकार कर लिए गए और उन्हें आगे भेजे जाने के लिए कलकत्ता प्रेषित कर दिया गया। कलकत्ता से उन चार तारों को छोड़कर जो निजी व्यक्तियों के पते पर भेजे जाने थे, अन्य तार आगे प्रेषित कर दिये गए और उन्हें बाक़ायदा उनके पतों पर वितरित कर दियां गया। जो चार तार चार निजी व्यक्तियों के पते पर भेजे जाने थे, उन्हें भारतीय तार नियम 17 के अन्तर्गत, विशेष रूप से देश की अत्यधिक नाजुक स्थिति के कारण, आपत्तिजनक समझा गया और सलाह के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार के पास भेज दिया गया। पश्चिमी बंगाल सरकार ने इन तारों को आपत्तिजनक समझा और केन्द्रीय तारघर, कलकत्ता को आदेश दिया कि वह भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5(1) (ख) के अन्तर्गत उन्हें रोक ले।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि दुर्गापुर में सिख कर्मचारियों पर इसलिये आक्रमण किया गया जिससे कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कई को गम्भीर चोटें आयीं कि उनका मूल दोष सिख और ग़ैर-बंगाली होना था और यदि हां, तो इन तारों को न पहुंचाये जाने का भी यही कारण था?

श्री सत्य नारायण सिंह : मेरे विचार में ऐसे प्रश्नों की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये और मैं इस प्रश्न का उत्तर भी देना नहीं चाहता। मैं कह चुका हूं कि यह एक स्थानीय झगड़ा था इसलिये तारें रोक ली गयीं थीं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न किया जा चुका है। वह इसके उस कारण से इन्कार कर सकते हैं।

श्री सत्य नारायण सिंह : यह कारण हो ही नहीं सकता। यह कारण बिल्कुल नहीं है।

श्री रंगा (चित्तूर) : वह कैसे इस स्थिति में हैं, क्या वह बंगाल अथवा यहां के गृह मंत्री हैं ?

अध्यक्ष महोदय : शांन्ति । शान्ति ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार जानती है कि तार प्राधिकारी देश भर में हर ऐसे पत्र अथवा तार को लेने अथवा पहुंचाने से इंकार कर देते हैं जिसे वे बहुसंख्यक जाति के हितों के प्रतिकूल समझते हैं ? **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति। शान्ति। पहला प्रश्न भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि उसे पूछा जाता। मंत्री महोदय कह चुके हैं कि यह निर्णय करना राज्य का कार्य है कि कौन सी तारें आदि भेजी जाएं अथवा नहीं ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मुझे तो आप के द्वारा इस प्रश्न की आज्ञा दिये जाने पर आश्चर्य हुआ था क्योंकि इससे पाकिस्तान को प्रचार के लिये सामग्री मिलेगी ।

श्री कपूर सिंह : यदि बहुसंख्यक जाति किसी बात का यहां कहा जाना पसंद नहीं करती तो यह इसके न कहे जाने का ठीक कारण नहीं हो सकता ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : इस सारी बात को सभा की कार्यवाही से हटा दिया जाना चाहिये ।

श्री कपूर सिंह : जी हां । इसे भी हटा दिया जाए और मुझे भी सदन से बाहर कर दिया जाए ।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या 2 सितम्बर को सिख नेता सरदार रतन सिंह की हत्या करने पर किसी व्यक्ति को पकड़ा गया है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और न ही इसका संचार मंत्रालय से कोई सम्बन्ध है ।

श्री बूटा सिंह : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस निन्दनीय घटना के 24 घंटे के अन्दर अन्दर वहां पहुंच गया था और मेरा विश्वास है कि इसका कारण साम्प्रदायक विवाद नहीं है। 100 से अधिक व्यक्ति पकड़ लिये गये हैं और इसकी जड़ घरेलू झगड़ा था जो एक बकरी के स्वामित्व से आरम्भ हुआ था ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) जी० एस० आर० 1166, दिनांक 14 अगस्त, 1965 जिस के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 का मैग्नेसाइट की खानों पर विस्तारण किया गया। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 4905/65।]**

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (ग्यारहवां संशोधन) योजना, 1965 जो दिनांक 28 अगस्त, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1241 में प्रकाशित हुई थी । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4906/65 ।]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

चौदहवां प्रतिवेदन

श्री र० के० खाडिलकर (खेड़) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का चौदहवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

एकस्व विधेयक
PATENTS BILL

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि एकस्व संबंधी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि एकस्व सम्बन्धी विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । / *The motion was adopted.*

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय विधेयक—जारी
JAWAHARLAL NEHRU UNIVERSITY BILL—*Contd.*

संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य-सभा की सिफारिश से सहमति का प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 20 सितम्बर, 1965 को श्री भक्त दर्शन द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी, अर्थात् :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 1 सितम्बर, 1965 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 3 सितम्बर, 1965 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा दिल्ली में एक विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने संबंधी विधेयक पर दोनों सभाओं को संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये लोक-सभा के निम्नलिखित 20 सदस्यों को नाम-निर्देशित किए जाएं, अर्थात् :—

श्री अंजनप्पा, श्री फ्रैंक एन्थनी, चौधरी ब्रह्मप्रकाश, श्रीमती कमला चौधरी, राजा पू० चं० देव भंज, श्री शिव चरण गुप्त, श्री हेम बरुआ, पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी, श्री लहरी सिंह,

[अध्यक्ष महोदय]

श्री बाकर अली मिर्ज़ा, श्री फ० ह० मोहसिन, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री वि० तु० पाटिल, श्री ना० गो० रंगा, श्रीमती रेणुका राय, श्रीमती जयाबेन शाह, श्री म० प० स्वामी, श्री अमरनाथ विद्यालंकार, श्री भीष्म प्रसाद यादव, और श्री भक्त दर्शन ।"

3 घंटे जो इसके लिये निर्धारित हैं, उसमें से 2 घंटे 35 मिनट चर्चा हो चुकी है। श्री दी० चं० शर्मा अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : इस विश्वविद्यालय का नाम तो नेहरु जी के नाम पर है परन्तु वास्तव में यह दिल्ली विश्वविद्यालय का एक घटिया प्रतिरूप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीयता, शान्ति, भारत को सांस्कृतिक एकता, जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि का जो श्री नेहरु को इतने प्रिय थे, इसमें कोई स्थान न होगा। दूसरे यह विश्वविद्यालय दिल्ली में न होकर गंगा के तटवर्ती किसी स्थान पर होना चाहिये था क्योंकि गंगा भी उन्हें बहुत प्रिय थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह विश्वविद्यालय भारत का 'एसेक्स विश्वविद्यालय' होगा परन्तु वे एसेक्स विश्वविद्यालय से परिचित नहीं जान पड़ते। वहां तो न प्राध्यापक होते हैं न उनका व्याख्यान ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित करने में हमें 20 वर्ष लग जाएंगे। खेद है कि मौलाना आज़ाद मैडिकल कालेज इस विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होगा जबकि यहां औषधि विषयक अध्ययन का भी प्रबन्ध होगा ।

आवासिक (रेज़ीडेंशल) विश्वविद्यालयों में अधिकतर झगड़ों का मूल सह-उपकुलपति सिद्ध हुये हैं और यहां भी हम इसीकी नियुक्ति करने जा रहे हैं। इसलिये मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यहां भी वह गड़बड़ का साधन ही सिद्ध होगा। साथ ही सदस्यों का नामनिर्देशन कोर्ट द्वारा किया जाना भी लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है क्योंकि वे सरकार के 'जी हजूरी' करने वाले हो जाते हैं। और तो और इसका वार्षिक प्रतिवेदन भी संसद् में पेश नहीं किया जाएगा। खेद है कि जिस महान जनतंत्रवादी के नाम पर यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसी में यह सभी बातें जनतंत्र विरोधी होंगी। इसलिये इस विश्वविद्यालय और इस विधेयक का नाम नई दिल्ली विश्वविद्यालय विधेयक रख दिया जाए तो ठीक होगा नहीं तो इसे वापिस ले लिया जाए ।

डा० चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर) : श्री नेहरू के नाम पर जो विश्वविद्यालय बन रहा है वह उनके नाम के अनुकूल ही होना चाहिये और इस में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं तो होनी ही चाहिएं जो उनमें थी। यहां तो वही पुरानी शराब नई बोतल में वाली बात दिखाई देती है। हमारे कई राज्यों के और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बारे में हमारा अनुभव कुछ अच्छा नहीं है और वहीं यहां भी होगा।

यद्यपि आज शरीर को सुख देने के नवीनतम और चमत्कारी साधन हैं और विश्व के बड़े बड़े विज्ञान केन्द्रों में अब भी नय नये अविष्कार होते रहते हैं और हो रहे हैं परन्तु जो ज्ञान, जो शक्ति और जो सुख हमारे ऋषि मुनियों के वश की बात थी उस ओर ध्यान नहीं दिया गया। मेरा सुझाव है कि इस विश्व-विद्यालय में बुद्धि के इस क्षेत्र की ओर ध्यान दिया जाए। मेरा यह भी सुझाव है कि यह एक ग्रामीण विश्वविद्यालय होना चाहिये और नगरों के कोहराम से दूर एक ऐसे मार्ग की खोज करनी चाहिये जिससे चिरकालिक शान्ति और सुख सम्भव हो सके और जो नेहरु जी को अत्यन्त प्रिय था और जिसकी आज विश्व को अत्याधिक आवश्यकता है।

मेरा विश्वास है कि संयुक्त समिति इन सभी सुझावों पर विचार करेगी, इस आशा के साथ मैं विधेयक समर्थन करता हूं।

श्री शामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : मेरा निवेदन है कि इस विश्वविद्यालय का स्वरूप और गुणप्रकार उसी महान आत्मा के अनुरूप हो जिस का नाम उसे दिया जा रहा है। यह विश्वविद्यालय उन सभी त्रुटियों और अव्यवस्थाओं से मुक्त होना चाहिये जो वर्तमान विश्वविद्यालयों में पाई जाती हैं। इस विश्वविद्यालय में पहले तो आवास का उचित प्रबन्ध किया जाए और यह उपकरणों से सुसज्जित होना चाहिये। यहां शिक्षिकों और विद्यार्थियों का अनुपात पहले ही ही निश्चित कर लिया जाना चाहिय। यहां के अध्यापक देश भर में सब से अधिक योग्य और विद्वान होने चाहियें। यहां का वातावरण राजनैतिक दबाव से मुक्त शुद्ध शिक्षा वाला होना चाहिये और इसमें प्रवेश का आधार केवल योग्यता होना चाहिये। यहां विभिन्न विषयों में गवेषणा के काफी अवसर उपलब्ध होने चाहियें।

पहली चीज़ तो यह है कि विद्यार्थियों के दाखले के संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिये। दूसरे यह कि इस विश्वविद्यालय में संसार की मुख्य भाषाओं को रखा जाना चाहिये क्योंकि सभी भाषाओं को रखना तो बहुत कठिन होगा। तीसरे यह कि विदेशी विद्यार्थियों को भी इस में दाखले के अवसर दिये जाने चाहियें। विद्यार्थियों के रहने सहने और उनकी शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये। संयुक्त समिति को इन सब सुझावों पर विचार करना चाहिये।

अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में केवल योग्यता को आधार माना जाये और केवल सर्वोत्तम अध्यापकों को ही लिया जाना चाहिये। अध्यापकों और विद्यार्थियों की संख्या में जो अनुपात है उसे आरम्भ से ही बनाया जाये।

श्री खाडीलकर (खेड) : इस विश्वविद्यालय के साथ श्री जवाहरलाल नेहरु जैसे महान व्यक्ति के नाम के जोड़ने के मैं विरुद्ध हूं। कई वर्षों से शिक्षा मंत्रालय यह अनुभव कर रहा है कि दिल्ली की शिक्षा संबंधी जरूरतों के लिये एक विश्वविद्यालय कम है। इस कमी को दूर करने के लिये अर्थात् उपाधियों के वितरण के लिये इस विश्वविद्यालय को खोला जा रहा है। यदि वास्तव में बात यह है तो इसके साथ उसका नाम क्यों जोड़ा रहा है? केवल उनका नाम जोड़ने से ही यह विश्वविद्यालय शिक्षा का एक बड़ा केन्द्र नहीं बन जाएगा।

क्योंकि यह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होगा इसलिये उनके नाम में कोई और केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित नहीं होगा। यदि हम उनकी स्मृति में कोई विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं तो हमें एक ऐसा संस्थान स्थापित करना चाहिये जो उनके विचारों की पूर्त्ति करे। उदाहरणार्थ, 'स्कूल आफ इन्टरनेशनल स्टडीज़' है जिसे विश्वविद्यालय का स्थान दिया गया है। उस क्षेत्र में पंडित जी ने कुछ उद्देश्यों को लेकर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के संबंध में काम किया है। हमने विश्वविद्यालयों के पुराने तरीकों में परिवर्तन लाना है। इस समय केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में नौकरशाही का बोलबाला है।

मैं चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसा विश्वविद्यालय हो जो स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करे और जो पंडितजी और उनके विचारों की स्मृति में हो। इस दिशा में हमें विशेष प्रयत्न करने चाहिये।

इस समय हमारे देश में भाषाई राज्य हैं और इससे भाषा की समस्या और भी गंभीर हो गई है। इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये मेरा दूसरा सुझाव यह है कि नेहरु विश्वविद्यालय के क्षेत्र में ही एक अखिल भारतीय भाषा संस्थान स्थापित किया जाये।

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में शब्द 'हिन्दु' और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शब्द 'अलीगढ़' किन्हीं विरोध साम्प्रदायिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिये इस विश्वविद्यालय में हमें एक अन्तर्राष्ट्रीय भावना पैदा करनी है।

आजकल विज्ञान का दुरुपयोग किया जा रहा है। ओपनहीफर और बर्नल जैसे बड़े वैज्ञानिक विज्ञान को छोड़ कर दर्शन की ओर झुक गये हैं। मैं चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय को विज्ञान के स्तर से उठा कर दार्शनिक स्तर पर ले जाया जाये।

Shri Sinhasan Singh (Gorakhpur) : I completely agree with the views expressed by the hon. Members that this University should have something special about it, it should aspire to bring about a union of the Science and the spirituality.

Everybody admits that our system of education is defective. So many Commissions and Committees have been appointed but no one is clear in his mind as to what our system of education should be.

Government announced the other day that new university will be set up in the 4th Five Year Plan, but now the Government is going to set up this university. Government speaks something and does the other thing.

I do not see anything new or original in this university. There is no such thing in it which can guide the Country. Which can show the right path to the Country, which can generate new ideas in the social and the economic field.

In this Bill it has been said that the Court is a Supreme body. But section 14 says that if any further statutes are to be enacted for the University they will be enacted by the Executive Committee. There are two contradictory things.

So far Parliament retained the power of framing rules for all the Universities. But I do not know why this right is being given to the Executive Committee. Panditji's name is being linked to such a reactionary institution in which Minister will be all in all. My suggestion is that Nehruji's name should be dropped and Government may do whatever it likes. There is no tinge of democratic ideals in it which Panditji loved so much. In this University the Ministry or the executive Committee will dominate.

Why Panditji's name has been dragged into this Bill. We should not make Panditji a subject of controversy in the Parliament. As one of my friends suggested either this Bill should be withdrawn or necessary changes should be made in this Bill for the encouragement of research in Science and Spirituality.

Shri J. P. Jyotishi (Sagar) : There should be some such provision in the Constitution of this University as would enable the propagation of those ideas for which Pandit Nehru dedicated his life and sacrificed himself.

I want that the youngmen of India and the world should congregate in this University and get encouragement from the message of love, peace and sacrifice of Pandit Nehru. I want that such atmosphere should be created in this University where we can forget our individuality and think on the question of welfare of the Country. Through this university we should develop a culture which combines in itself all the faiths. This university should seek to bring about the coordination between, science and spirituality.

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur) : I strongly object to the attaching of name of Pandit Jawaharlal Nehru to this University. Today there is the tendency of using the name of great men in a cheap way. Every tom-dich and berry starts an institution by the name of Jawahar or Gandhi and makes it a thing of market place. In the objects of Shanti Niketan, Vishwa Bharati it has clearly been mentioned that international cultures and international civilisations will be specially studied there, but if you look to the working of Shanti Niketan you will find that it has been reduced almost to the standard of other universities. I had been to that University and there I found that the science courses have been introduced and the high ideals of Shri Rabindra Nath Tagore

do not seem to be achieved. If we want to start a university by the name of Pandit Nehru, we must first know the ideals and aspirations of Panditji and then start the university to achieve those objectives.

There is nothing special in this Bill. Generally University Bills are like that. I think there is nothing wrong in having a second University in Delhi. But if we want to associate Shri Nehru's name with it, we should see that his ideals are adequately implemented through the medium of this University. For instance, we should do something to help poor people and people belonging to the villages to get an opportunity in this University to get education in science and technology. If ideals of Nehru are not to be kept here, then I object to associate his name with this University.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : I congratulate the Deputy Minister in the Ministry of Education for presenting this University Bill. But I feel since he has been elevated to the office of the Deputy Minister he has stopped speaking in English. As far as the question of Nehru University is concerned, I feel that it should be set up in some rural area. We must not forget that the development of our villages is one of the tasks to which Shri Nehru had devoted most of his energy and time. I would have been according to the ideal of Nehru if the University would have been opened in some village.

I would like to emphasise that the university should lay stress on imparting education according to the ideals of Gandhiji and Shri Nehru. Suitable arrangements should also be made for giving military training to the students. We should have such type of education that should produce independent persons and not slaves. The modern education has not produced men like Swami Vivekananda, Swami Dayananda and Shri Ram Tirath.

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं। स्पष्ट है कि सदन के बहुमत ने इस विधेयक के सिद्धान्त का समर्थन किया है। यह बड़ी सन्तोषजनक बात है कुछ थोड़े से ही सदस्यों ने विरोध किया है मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि संयुक्त समिति माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी सुझावों पर बड़ी गम्भीरता से विचार करेगी।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। दिल्ली में एक अन्य विश्वविद्यालय हो इस बात को सभी ने कहा है। इस विश्वविद्यालय के साथ श्री नेहरू का नाम जोड़ कर वास्तव में इस मंत्रालय ने अपने ऊपर एक भारी जिम्मेदारी ले ली है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसके साथ नेहरू जी के नाम जोड़ने से उसकी कोई ख्याति नहीं बढ़ेगी परन्तु इससे स्वयं विश्वविद्यालय का ही गौरव बढ़ेगा। साथ ही साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जायेंगी। अतः हम उन उच्च आदर्शों तथा सिद्धान्तों को अपनाने के लिये हार्दिक प्रयत्न करेंगे जिनके लिये श्री नेहरूने जीवन भर कार्य किया था। जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है कि यह विश्वविद्यालय देश में वर्तमान विश्वविद्यालयों का एक प्रतिरूप मात्र ही नहीं होगा।

उद्देश्य यह है कि इस विश्वविद्यालय में न केवल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के सामंजस्य पर ही बल दिया जायेगा परन्तु इसमें एक ओर जहां विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के सामंजस्य पर ही बल दिया जायेगा परन्तु इसमें एक ओर जहां विज्ञान तथा मानव शास्त्र दोनों में एकीकृत पाठ्यक्रम का विकास किया जायेगा दूसरी ओर वहां सामाजिक विज्ञानों में उन्नत तथा विशिष्ट पाठ्यक्रमों का भी विकास किया जायेगा।

[श्री भक्त दर्शन]

इस विश्वविद्यालय में वैदेशिक-कार्य विभाग भी होंगे जिनमें संसार में विभिन्न देशों की भाषाओं, जीवन तथा संस्थाओं पर अध्ययन करने की भी व्यवस्था होगी । फिर भी इस बात पर बल दिया जा सकता है कि किसी विश्वविद्यालय में विद्या सम्बन्धी कार्यक्रमों के बहुल्य को प्रतिबिम्बित नहीं किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों को तैयार करना पड़ेगा तथा विश्वविद्यालय का स्वरूप वह होगा जिस तरीके से उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा ।

मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं कि अफ्रीकी एशियाई देशों से वि ार्थियों को आमंत्रित किया जाना चाहिये तथा संसार के सभी भागों से सुविख्यात विद्वानों तथा वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया जाना चाहिये । हम इस दिशा में कार्यवाही करने का प्रयत्न करेंगे । इस विधेयक को जानबूझ कर संक्षिप्त रखा गया है क्योंकि हम अपने अनुभवों से सीखना चाहते हैं। यह कहा गया है कि परिनियमों को बनाने की जिम्मेवारी "विजिटर" तथा मंत्रालय पर छोड़ दी गई है। यदि हम इस विधेयक के खण्ड 14 को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि "विज़िटर" द्वारा बनाये गये सभी परिनियमों को संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखा जायेगा ।

इस सुझाव पर कि संविधियों पर सभा में चर्चा हो, संयुक्त समिति द्वारा विचार किया जायेगा । इस सुझाव पर कि विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जाये विचार किया जायेगा । यह कहा गया है कि हमारी शिक्षा का आधार नैतिक होना चाहिये । वास्तव में मंत्रालय इस पर विचार करता रहा है। कुछ वर्ष पूर्व श्री श्रीप्रकाश की अध्यक्षता में इस विषय पर एक समिति गठित की गई थी और उनके द्वारा इस समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति के प्रश्न को अब हाथ में लिया गया है ।

श्री खाडिलकर के इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि विधेयक को वापिस ले लिया जाय। राज्य सभा ने तो इसे पारित कर दिया है और उन्होंने संयुक्त समिति में आना भी मान लिया है। इस विधेयक पर 19 सदस्य बोले हैं और 10 सदस्यों ने हिन्दी में भाषण दिया है, मुझे अब कुछ हिन्दी में भी कहना चाहिये ।

The suggestion put forward by Shri Shree Narayan Das is before me. Let me state that so far as the Sanskrit University is concerned, its application will be considered and a decision will soon be taken on that by the Ministry. It is hoped that special efforts will be made for the promotion of Sanskrit in the proposed University. The proposal for setting up a seperate department for this purpose can also be considered.

Nehru was a greatest man of his age, therefore his name will add glory to the University and remind us of his ideals. It will be a matter of great inspiration for generations. But as far as the question of medium of instruction is concerned, the House is aware that we have already requested the Kothari Commission to consider this matter. We hope to get the report of this commission soon. Together with that the matter has also been considered at various levels and in various important circles. For this certain solutions have been devised. We hope that before long, the problem will be solved to the satisfaction of every section of the people. I hope the house will support this motion.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य-सभा द्वारा 1 सितम्बर, 1965 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 3 सितम्बर, 1965 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा दिल्ली में एक विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने संबंधी विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित 20 सदस्यों को नामनिर्देशित किया जाय, अर्थात: ।

श्री अंजनप्पा, श्री फ्रैंक एन्थनी, चौधरी ब्रह्म प्रकाश, श्रीमती कमल चौधरी, राजा पू० चं० देव भंज, श्री शिव चरण गुप्त, श्री हेम बरूआ, पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषि, श्री लहरी सिंह, श्री बाकर अली मिर्ज़ा, श्री फ० ह० मोहसिन, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री वि० तु० पाटिल, श्री ना० गो० रंगा, श्रीमती रेणुका राय, श्रीमती जयाबेन शाह, श्री म० प० स्वामी, श्री अमरनाथ विद्यालंकार, श्री भीष्म प्रसाद यादव, और श्री भक्त दर्शन ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/*The motion was adopted.*

भारतीय प्रतिरक्षा निर्माण कार्य (संशोधन) विधेयक
INDIAN WORKS OF DEFENCE (AMENDMENT) BILL

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय प्रतिरक्षा निर्माण कार्य अधिनियम, 1903, में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय" ।

जैसा कि सदन को पता है कि देश में स्थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के कई प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान हैं और यह बहुत आवश्यक है कि इन प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्माण कार्यों तथा प्रतिष्ठानों के कुछ विशेष पार्श्ववर्ती क्षेत्रों को सुरक्षा की दृष्टि से तथा अन्य कारणों से संरक्षण दिया जाना चाहिये ।

1903 का मूल अधिनियम सम्पूर्ण भारत पर लागू नहीं होता है । यह उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होता जो पहले 'ख' राज्य थे । 1 नवम्बर, 1956 से भाग 'ख' राज्यों को समाप्त कर दिया गया और उन्हें भारत में समेकित किया गया । किन्तु केवल समेकन किये जाने से ही यह अधिनियम उन क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं हो जाता । इसके लिये मूलभूत अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है । प्रस्तुत विधेयक का यही साधारण उद्देश्य है । इसमें कोई विवाद और जटिलता नहीं है । आशा है कि सदन को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

डा० मालकोटे (हैदराबाद) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । वैसे भी आज की स्थिति में प्रतिरक्षा के हित में इस विधेयक का सभी ओर से समर्थन किया जाना चाहिये । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों का संरक्षण सम्बन्धी मूल अधिनियम के उपबन्धों को सभी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है । जिसमें भूतपूर्व भाग 'ख' राज्य भी शामिल हैं ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय ने "इलेक्ट्रोनिक उपकरणों" के उत्पादन के लिए हैदराबाद में 1961–62 में एक प्रतिष्ठान स्थापित किया है । उस क्षेत्र के मध्यवर्ती प्रदेश में एक मसजिद है । मुसलमानों को प्रार्थना करने के लिए वहां जाने से रोका जाता है । इस मसजिद को सही हालत में रखा जाना चाहिये और प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के एक पार्श्वभाग से निकाली गई सड़क के दूसरी ओर एक मसजिद का निर्माण कर दिया जाना चाहिये ताकि मुसलमान लोग अपनी प्रार्थनाएं वहां कर सकें । उस क्षेत्र के मुसलमान इसका स्वागत करेंगे तथा ऐसा महसूस करेंगे कि उनके हितों को संरक्षण दिया गया है । मुझे पूर्ण आशा है कि मंत्री महोदय मेरे इस निवेदन पर विचार करेंगे और मामले की जांच करेंगे ।

श्री कृ० ल० मोरे (हतकंगले) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । यह विधेयक सरल भी है और महत्वपूर्ण भी है । इसमें विवाद वाली बात भी कोई नहीं है । आज देश में राष्ट्र की प्रतिरक्षा की दिशा में ध्यान देने की सबसे अधिक आवश्यकता है । अतः प्रतिरक्षा कार्यों के विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये । इस कार्य को पूरा समर्थन प्राप्त होना चाहिये । यह अच्छी बात है कि मंत्री महोदय ने इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया है । मैं उन्हें बधाई देता हूं और विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मूल अधिनियम का नाम 1903 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रखा गया था। अब सभी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्माण कार्य हमारे राष्ट्र के लिये होंगे। अत: मेरा सुझाव यह है कि मूल अधिनियम से "भारतीय" शब्द हटा दिया जाना चाहिये।

भाग 'ख' राज्यों को हमने 1957 में समाप्त करके अपने देश में समेकित कर दिया। तत्पश्चात् कोई भी राज्य भाग 'क' भाग 'ख' और भाग 'ग' नहीं रहा। सरकार को यह संशोधन विधेयक पहिले लाना चाहिये था। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह भविष्य में ऐसी असावधानी न बरते। प्रत्येक मंत्रालय को नई घटनाओं तथा परिवर्तनों को देखते हुए अधिनियमों के विभिन्न उपबन्धों का पुनरीक्षण करके उन्हें अद्यतम बनाना चाहिये।

सदन के समक्ष यह एक अति महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया गया है। देश में फैले हुए सभी प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों तथा निर्माण-कार्यों को रक्षा के लिये हर कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : मैं समझता हूं कि विधेयक में यह व्यवस्था है कि यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में, जिसमें जम्मू तथा काश्मीर भी शामिल है, लागू होगा।

जहां तक मूल अधिनियम के नाम से "भारतीय" शब्द हटाये जाने के सम्बन्ध में मेरे मित्र श्री श्रीनारायण दास जी का सुझाव है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं।

सरकार को यह शक्ति प्राप्त होनी चाहिये कि वह प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्माण कार्यों के आस-पास के स्थानों का उपयोग किये जाने पर प्रतिबन्ध लगा सकें। अत: हम प्रस्तुत विधेयक का पूर्णत: समर्थन करते हैं।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Sir, it was very necessary to introduce, such a measure in the interest of the defence of the country. The Bill has been very nicely drafted. This Bill should have come much earlier. But it is sent too late to mend. This is the time that we should give top priority to our defence works.

With these words, I wholeheartedly support this measure.

श्री सुब्बरामन (मदुरै) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संशोधन जैसा कि एक मित्र ने कहा, बहुत पहले लाया जाना चाहिये था ऐसे स्थानों को व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिये तक नियंत्रण में रखा जाना चाहिये जहां प्रतिरक्षा संबंधी निर्माण कार्य स्थित हैं उन स्थानों के परिसरों तथा आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण राखा जाना अति आवश्यक है ताकि उन्हें किसी तरह असुविधा अथवा नुकसान न पहुंचे।

मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : Sir, I wholeheartedly welcome the Indian Works of Defence (Amendment) Bill. It is very important factor that the provisions of the Bill are being extended to the whole of India.

The original Act passed in 1903 did not extend to the Part 'B' States which were ruled over by the Rajas and Maharajas.

I would suggest that full compensation should be paid for the buildings, mosques, etc., if decided to shift them from the vicinity or surroundings of the places where works of defence are situated.

With these words I support the Bill.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता–दक्षिण पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1903 के मूल अधिनियम में संशोधन के लिये प्रस्तुत किये गये इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह बहुत आवश्यक है कि वर्तमान आपातकाल जैसे समय में प्रतिरक्षा प्राधिकारियों को यह अधिकार तथा स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिये कि प्रतिरक्षा की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण भूमि के उपयोग पर प्रतिबन्ध तथा नियंत्रण लगा सकें।

यदि किसी स्थान पर जिसकी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्माण-कार्य के लिये आवश्यकता है, पहिले से ही कुछ विशेष इमारतें अथवा धार्मिक पूजा के स्थान हों, तो ऐसी स्थिति में प्रतिरक्षा प्राधिकारियों को हर प्रकार का यह प्रयत्न करना चाहिये कि यथासंभव उन स्थानों को न लिया जाय ; यदि उन्हें लेना ही पड़े तो उनके लिए मुआवजा का भुगतान करने की व्यवस्था होनी चाहिये जैसा कि मूल अधिनियम में है। ऐसे मामले भी देखने में आये हैं जबकि ऐसे स्थानों पर रजिस्टर्ड शरणार्थी लोगों ने आकर पहले धरने दिये हैं और बाद में धीरे धीरे इमारतों का निर्माण भी कर लिया है। अब स्थिति ऐसी आ गई है जब कि उन्हें राज्य सरकार भी नहीं निकाल सकती है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह केवल शरणार्थियों के मामले में ही नहीं अपितु उस भूमि के वास्तविक कब्जेदारों के मामले में भी, यदि उन्हें हटाना भी पड़े, अपने अधिकारों के प्रयोग में सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनायें। यह और भी अच्छा होगा यदि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ हिदायतें जारी कर दें।

Shri Priya Gupta (Katihar) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the Indian Works of Defence (Amendment) Bill which has been brought before the House. The Security and defence of the country are most important factors and any lands considered most important from the point of view of defence can be acquired. In such cases when the question of payment of compensation arises it is often observed that arrangements are not made for the immediate payments and these are delayed for longer periods. Hence there is need to simplify the procedure in order to avoid inordinate delay in the matter of payment of compensation.

I also agree with the views expressed by my friend Shri Indrajit Gupta that the occupant and settlers of such lands as are required for the defence purposes for whom some alternative arrangements can be made or compensation can be paid, their cases should be given the fullest consideration before the powers are exercised.

It would be better if certain instructions were issued to the authorities concerned that in these matters that a little more patient and sympathetic attitude is taken in the actual administration of these powers.

I hope that Government will give due consideration to these suggestions and do the needful with these words I support this measure.

Shri Onkarlal Berwa (Kotah) : Sir, while supporting the Indian Works of Defence (Amendment) Bill, I would like to make some suggestions.

Sir, places for the purpose of works of defence should be selected at least at a distance of 7 to 8 miles from the urban land. And whenever it is found essential in the public interest to evict the settlers or occupants and acquire their lands, due arrangements should be made to ensure the immediate payments of compensation. Government should strive their utmost to see that firtile and cultivable land or land under cultivation are as far as possible not taken unless it is essential in the public interest to do so and the settlers or occupants are not disturbed.

With these words I support the measure.

श्री गौरीशंकर कक्कड (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा अब एक स्वतंत्र देश है अतः अवश्यक है कि मूल अधिनियम के नाम से "भारतीय" शब्द हटा दिया जाना चाहिये।

मेरा एक सुझाव यह है कि जहां कहीं देश हित में प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्माण-कार्यों के लिये भूमि अर्जन करना अनिवार्य हो, वहां के निवासियों, कब्जदारों अथवा भूस्वामियों को शीघ्र ही उसके प्रतिकर के भुगतान किये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि लोगों में प्रतिरक्षा के प्रति अटूट विश्वास एवं श्रद्धा बनी रहे।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Sir, I support the Bill which has been brought before the House. In the present emergency it has become absolutely necessary to give top priority to defence requirements. And for this purpose acquisition of land is very necessary. My suggestion is that due and immediate payment of Compensation should be made for the land required to be acquired for defence purposes and provision should be made for the immediate disposal of the claims. Government should make efforts to see that farmers and cultivators are given firtile lands in lieu of their lands acquired for defence purposes, so that they may not be deprived of the means of their livelihood.

श्री मा० ल० जाधव (मालेगांव) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

नासिक के निकट तोपखाने (आर्टेलरी) का एक स्कूल है। वहां पर 17 गांवों की भूमि अधिग्रहण कर ली गई है। इस कारण अन्य समीपवर्ती गांवों की सड़कें आदि बन्द हो गई हैं। इसके लिये कोई अन्य प्रबन्ध भी होने चाहिये। ताकि लोगों को मुश्किल न हो।

प्रतिरक्षा अधिकारियों को चाहिये कि इस बात का ध्यान रखें जब वे प्रतिरक्षा निर्माण कार्य करें तो ग्रामीणों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। दो साल पहले वर्षा ऋतु में एक बार गांव वालों को बहुत कठिनाई हुई थी। वहां पर लूटमार करने वाले हथियारों का परीक्षण होना था।

श्री च० कां० भट्टाचार्य (रायगंज) : मैं चाहता हूं कि यह विधेयक जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर भी लागू हो। इस बात को स्पष्ट किया जाये। हमारे देश के विधान मंडलों द्वारा पारित किये गये कानूनों के नामों पर व्यापक रूप से विचार करना होगा। इस बारे में कुछ सिद्धान्त बनाये जा सकते हैं।

डा० द० स० राजू : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक में निहित भावनाओं का समर्थन किया है और अच्छे अच्छे सुझाव दिये हैं। डा० मेलकोटे ने हैदराबाद की जिस मस्जिद का उल्लेख किया है उस बारे में सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार होगा और संतोषजनक हल ढूंढा जायेगा।

देशी रियासतों के विलय के पश्चात् हमने कुछ कानूनी अधिसूचनायें जारी की थीं परन्तु विधि मंत्रालय ने सलाह दी कि वे कानून के अनुसार ठीक नहीं। अतः यह संशोधन करने वाला विधेयक लाया गया है। यह कानून जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर भी लागू होगा।

प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्य करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि आसपास के गांव वालों को किसी प्रकार की मुश्कील न हो। कृषि के लिये प्रयोग में आने वाली भूमि का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

जब हम किसी क्षेत्र का सीमांकन कर दें तो राज्य सरकारों को उस क्षेत्र के खाली कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही करनी होगी। प्रतिकर की राशि निर्धारित करने का काम असैनिक अधिकारियों का है। हमारी ओर से इसमें कोई विलम्ब नहीं होता।

श्री दाजी (इन्दौर) : राशि निर्धारित होने के पश्चात् भी लोगों को रक्षा मंत्रालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। मामलों पर अन्तिम निर्णय करने में कई वर्ष लग जाते हैं।

श्री द० स० राजू : इस सम्बन्ध में कई बार अपील कर दी जाती है। इस कारण भी विलम्ब हो जाता है परन्तु जब कोई ऐसा मामला हमारे ध्यान में लाया जात है तो हम शीघ्र तथा सहानुभूतिपूर्ण कार्यवाही करते हैं।

इस संशोधन के द्वारा हम देशी रियासतों के क्षेत्रों को भी इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार में ला रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रतिरक्षा निर्माण कार्य अधिनियम, 1903 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 तथा 2, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

खण्ड 1 तथा 2, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 1 and 2 the Enacting Formula, and the Title were added to the bill.

डा० द० स० राजू : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

न्यायाधीश (जांच) विधेयक—जारी

JUDGES (INQUIRY) BILL—*contd.*

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : श्री हाथी की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कदाचार, या असमर्थता के अनुसंधान तथा सिद्ध करने की और संसद द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष समावेदन रखने की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[श्री जगन्नाथ राव]

संविधान के अनुच्छेद 124 (4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद से तब तक हटाया न जायेगा जब तक कि सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के लिये ऐसे हटाये जाने के हेतु प्रत्येक सदन की समस्त संख्या के बहुमत द्वारा, तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा, समर्थित समावेदन के राष्ट्रपति के समक्ष संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश न दिया हो।

संविधान के अनुच्छेद 124 (5) के अनुसार खण्ड (4) के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की, तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अनुसंधान तथा सिद्ध करने की, प्रक्रीया का संसद विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी।

इस विधेयक का उद्देश्य न्यायाधिशों के कदाचार या असमर्थता के बारे में जांच के लिये प्रक्रिया बनाना है। कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जब इस प्रकार की जांच अवश्यक हो। अतः इस बारे में विधान आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

इसके अन्तर्गत एक न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जायेगी। उसे अधिकार प्राप्त होगा कि साक्षी बुलाकर रिपोर्ट तैयार करे और संसद को भेजे। उसके पश्चात संसद राष्ट्रपति को समावेदन प्रस्तुत करेगी। इसके पश्चात् न्यायाधीश हटाया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> कि उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कदाचार, या असमर्थता के अनुसंधान तथा सिद्ध करने की और संसद द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष समावेदन रखने की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक 19 सदस्यों की एक प्रवर समिति को भेजा जाये और उसे आदेश दिया जाये कि अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपनी रिपोर्ट दे।

उपाध्यक्ष महोदय : मूल प्रस्ताव तथा श्री कामत का प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत है।

श्री हरि विष्णु कामत : इस आशय का विधेयक 1964 में प्रस्तुत किया गया था परन्तु वह मंत्री महोदय दूसरे मंत्रालय में चले गये। उसके पश्चात् मैंने एक उच्च न्यायालय के बारेमें प्रश्न की सूचना दी परन्तु उसे इस बात के कारण अस्वीकृत कर दिया कि संविधान के अन्तर्गत न्यायाधिश के बारे में जांच कराने की व्यवस्था नहीं है। इस विषय पर 1963 के शरद कालीन सत्र में डा० सिंघवी का संकल्प चर्चा के लिये स्वीकार कर लिया गया था। उसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के जस्टिस जफ़र इमाम जो मानसिक और शारीरिक रुपसे काम करने में असमर्थ थे और सभा को उन्हें हटाने के लिये राष्ट्रपति को समावेदन प्रस्तुत करना था। उसके पश्चात् यह विधेयक 1964 में प्रस्तुत हुआ। इस बारे में भविष्य में ऐसे मामले खड़े हो सकते हैं। जो पहले ऐसे मामले हुए हैं उन्हें भी भूलना नहीं चाहिए। सरकार को यह विधेयक लाने में इतना विलम्ब नहीं करना चाहिए था। सरकार ने कई बार कार्यवाही नहीं की जबकी सरकार को कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त था।

एक संसदीय प्रजातन्त्र में न्यायाधिशों का बहुत महत्व पूर्ण स्थान है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् न्यायपालिका के बारे में यह एक विशेष कानून है। हमें यहां पर कोई ऐसी बात करनी या कहनी नहीं है कि जिस का न्यायाधीशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। न्यायपालिका के काम को ठीक प्रकार से चलाने के लिये सरकार को हर प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये। लोक न्यायपालिका को अपना विश्वासपात्र समझे। इस विधेयक का महत्व समझते हुए सरकार को स्वयंही यह विधेयक प्रवर समिति को ठीक प्रकार से छानबीन करने के लिये सौंपना चाहिये। यह विधेयक विवादास्पद नहीं है परन्तु संहिता के लिये जो कार्यविधि बनाई जा रही है वह विवादास्पद है।

मद्रास के उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के बारे में भी ऐसी ही बात थी। वहां के वकीलों और संसद के बहुत से सदस्यों ने अभ्यावेदन भी दिया था परंतु राष्ट्रपति ने कोई कार्यवाही नहीं की। उस न्यायाधीश ने अपनी जन्मतिथि गलत बतायी थी। बाद में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था।

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अतः यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये। संविधान के उपबन्धों और इस विधेयक में जो अन्तर है उस पर विचार होना चाहिये। यह विधेयक संविधान में निहित भावनाओं के विरूद्ध है। एक न्यायाधिश को हटाने के बारे में पहले संसद के पास रहनी चाहिये परन्तु इस विधयक के द्वारा यह काम अर्थात न्यायाधिकरण की नियुक्ति आदि का काम कार्यपालिका को दिया जा रहा है। इस प्रकार कार्यपालिका को न्यायपालिका से अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। यह अनुचित है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं इनपर विस्तार-पूर्वक विचार करने के लिये विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजना बहुत आवश्यक है। मैं कांग्रेस दल के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक को प्रवर समिति को सोंपने के मेरे प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इस का सम्बन्ध हमारे देश के उच्चतम न्यायालय तथा उच्चन्यायालय के न्यायाधिशों से है। उन के सम्बन्ध में हम किसी प्रकार की उपेक्षा नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाये। न्यायाधीशों को सन्देह से ऊपर होना चाहिये। हमारे उच्च न्यायालयों में कार्य कुशल तथा प्रतिभा-शाली न्यायाधीश होने चाहियें। उनको निष्पक्ष होना चाहिये। उनका बहुत बड़ा दायित्व होता है।

हमारे देश में बड़े बड़े अधिवक्ता हुए हैं। उनका हमारे देश के कानूनों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। न्यायाधीशों को देश के युवकों को एक प्रकार की शिक्षा भी देनी चाहिये। जब न्यायाधिशों को इस बात का ध्यान हो जाये कि उनके विरूद्ध कुछ सन्देह है तो उन्हें तुरन्त त्याग पत्र दे देना चाहिये।

न्यायाधीशों का व्यवहार ऐसा होना चाहिये कि किसी को उनपर सन्देह करने का अवसर ही न मिले। उन्हें अपने सम्बन्धीयों आदि के प्रभाव में भी नहीं आना चाहिये।

Shri U. M. Trivedi (Mandsaur) : Mr. Deputy Speaker, Sir, this is a very important Bill. This is not the democratic way to consider this Bill here straight-way and pass it within three hours without referring it to a Select Committee. This Bill pertains to the removal of Supreme Court judges, but it is being treated in a way as if it relates to the removal of a peon or an ordinary officer or a magistrate. This should be sent to the Select Committee where it can be discussed fully.

I studied this Bill and sent some amendments, but according to your rules they reached you half an hour late and they were not admitted. The Ministers have a team of officers under them. But I have personally to do all the work. I have myself to study all the Bills and then see whether amendments should be given and if so what. We have to face so many difficulties.

In this Bill it has been provided that it shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the official Gazette, appoint. The Bill should come into force immediately after it gets the consent of the President.

In clause 3, sub-clause 2 there is the provision for the formation of a special tribunal. Regarding this special tribunal it has been written :

> "The special Tribunal shall consist of such number of members, being not less than three in number, as the President may think fit to appoint from among persons who are or have been judges of the Supreme Court and one of them shall be appointed by the President as the Chairman thereof"

[Shri U. M. Trivedi]

In similar you have written :

"Those who are qualified to be appointed as judges of the Supreme Court." I think it will be more appropriate to put these words as it will minimise the chances of favouritism in the enquiry.

Further in sub-clause 8 of this clause it has been said :

"The President, if he so thinks fit, appoint a person to conduct the case against the Judge".

This shows that the Bill has been drafted by a man who is ignorant of legal matters. The word "person" here should be substituted by the word "senior advocate of the Supreme Court"

The provision regarding the medical board should be eliminated. I have seen dishonest officers retiring on pension after obtaining certificates from the medical board. The medical board accepts money from them and gives the necessary certificate. After all you are going to conduct enquiry against the Supreme Court Judges. This thing should not be left to the medical board. If a judge is not keeping good health, cannot discharge his duties properly and people complain about him, then he should be removed. Simply a certificate from the medical board cannot make him fit to discharge his duties properly. You are creating a very bad precedent. Under this Bill it has been provided that after the Tribunal has given the report that such and such judge is not capable of discharging his duties there must be an address presented by the House. There is no necessity of this address. You have made the procedure very cumbersome. I think the provision should be : "On the recommendation of the special tribunal, the man shall be removed by the President. Either the Constitution can be amended for this or this can be included in the Bill.

Before passing this Bill we should consider the question of recruitment of the High Court Judges. At present the method of their appointment is very defective. Sometimes most undesirable persons are appointed as judges of the High Court.

For the appointment of a judge of any High Court a Government Advocate is selected. The door to Government Advocate is open through the appointment of a public prosecutor. You know the men appointed as Public Prosecutor are not very efficient. They do not know the procedure. After sometime they are promoted as Deputy Government Advocates, then as Government Advocates and then as Judges of the High Court.

The provision regarding the presentation of Address is not at all necessary. You have already given two opportunities and there is no need for the third. Government should think over this point. Either the Constitution should be amended or some other method should be evolved. When the Tribunal has come to a unanimous finding that the man is guilty, action must be taken.

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Shri Kamat and Shri Trivedi have opposed this Bill on certain grounds and they have given very cogent reasons for that. Shri Kamat wants that this Bill should be presented before the Select Committee and Shri Trivedi wants that the word 'person' should be substituted by the word 'Advocate'. Both these suggestions should be accepted. The men appointed on the Tribunal should be able and capable. There are some 20,000 Advocates in this country. They are very competent persons and it is not difficult to select impartial persons from amongst themselves.

This Bill concerns the top persons of our Judiciary and if we do send this Bill to the Joint Committee that will be a very wrong step.

The sphere of this Bill is very limited. Directly or indirectly it concerns the life of Shri Sheo Prasad Sinha, Judge of the Allahabad High Court. On 22nd April, 1949, Shri Rajgopalachari, the former Governor-General proceeded to remove him and I think that was a step in the right direction.

I do not see much difference between the present laws and the Bill under consideration. Tribunal has only to frame the charge and submit the report to the Parliament after hearing the opposite Party. The Tribunal has not been given the right to pronounce the judgement.

In section 3, sub-section 2, there is a provision for three judges. It has been provided :

"not less than three in number, as the President may think fit to appoint from among persons who are or have been judges....."

In this regard my suggestion is that no existing judge should be kept on this Tribunal. Two reasons have been mentioned in it and they are inefficiency and mental incapacity. I think the word impartiality should also be added here.

श्री जगन्नाथ राव : यह "दुर्व्यवहार" के अन्तर्गत आ जाता है ।

श्री रघुनाथ सिंह : इसमें पक्षपात पर विशेष ध्यान दिया जाना है । हमें प्रति दिन इसका सामना करना पड़ रहा है ।

My second suggestion is that the father of any judge of the High Court should not be permitted to practice within the jurisdiction of that High Court. If you do not make such a law, there should atleast be a convention that father should not practice within the jurisdiction of his son.

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री कामत ने इस विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष रखने का जो सुझाव दिया है सरकार उसको मान लेगी क्योंकि यह मामला न केवल कठिन थे अपितु बहुत नाजुक भी है ।

एक समय था जबकि हमारे न्यायाधीश सिद्धांत रूप में कार्यपालिका के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिलने से इनकार कर देते है । हमारी न्यायपालिका का स्तर बहूत उंचा था । परन्तु आज वह गिरता जा रहा है ।

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता अन्य देशों में बड़े संघर्ष के बाद प्राप्त की गई थी । यह बड़े स्वभाग्य की बात है कि यह स्वतन्त्रता हमें विरासत में मिल गई है ।

आरम्भ में हमारी न्यायपालिका का बड़ा आदर किया जाता था परन्तु पिछले कुछ वर्षों में हालत बदल गये हैं ।

न्यायाधीशों की कई अवांछनीय नियुक्तियां हुई है । एक मंत्री चुनाव लड़ें और उसमें हार गये और उनकी हार के पश्चात उन्हें न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया था । कलकत्ता में शासक दल ने एक उम्मीदवार को चुनाव के लिये खड़ा किया वह चुनाव में हार गये और उन्हें न्यायपालिका में एक स्थान पर नियुक्त कर दिया गया ।

अब तक इस प्रकार की चीजें चलती रही हैं । कुछ समय पहले मेरे माननीय मित्र डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने बहुत मजबूर हो कर इस सभा में उच्चतम न्यायालय में एक न्यायाधीश के संबंध में बताया था जिसने शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता के होते हुए भी अपनी पदवी को छोडने से इनकार कर दिया । मुख्य न्यायाधीश के कहने पर भी उसने अपना स्थान नहीं छोडा ।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरूद्ध बहुत गम्भीर आरोप लगाये गये थे। इस संबंध में 13 मई, 1964 को राष्ट्रपति को याचिका दी गई थी; इस बारे में संबंधित दस्तावेज राष्ट्रपति को 31 अगस्त, 1964 को मिल गये थे। 23 सितम्बर, 1964 को संसद सदस्यों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन पत्र दिया। और यह श्रीमान बराबर अपने पद पर काम करते रहे। 1 नवम्बर, 1964 को जबकि राष्ट्रपति जांच का आदेश देनेवाले थे उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया। जब इस मामले मे जांच का प्रश्न उठाया गया तो हमे उत्तर मिला कि त्यागपत्र देने के बाद अनुच्छेद 217 (3) के अन्तर्गत जांच नहीं की जा सकती।

इस अकेली घटना ने सारी न्यायपालिका पर दाग लगा दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के विरूद्ध विधि मंत्री ने इस सभा में बहुत अपमानजनक शब्द कहे थे। उस न्यायाधीश को अपने अपने इस मामले मे बड़ी दौड़ धुप करनी पड़ी और कई बार दिल्ली भी आना पड़ा। अन्त में जीत उसी की हुई।

हमे इस विधेयक को पारित करने से पूर्व यह देखना चाहिये कि इस संबंध में न्यायाधीशों की क्या राय है। जहां तक मैं समझता हूं वे इस विधेयक के लाने को अपना अपमान समझते होंगे। वे कुछ कह नहीं सकते हैं अपितु महसुस करते हैं। हमें उनकी भावनाओं को ठेंच नहीं पहूचनी चाहिये। एक या दो न्यायाधिशों के बुरा होने से सारी न्यायपालिका बुरी नहीं हो जाती। सरकार को जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिये और जैसा की मेरे माननीय मित्र श्री कामत ने सुझाव दिया है इस विधेयक को प्रवर समिति के विचार के लिये भेज देना चाहिये।

मैं विधेयक के विभिन्न खंडों के ब्योरे में नहीं जाना चाहता। मेरा तो केवल इतना ही अनुरोध है कि इस विधेयक पर विचार करने के लिये आप न्यायाधीशों को अधिक समय दीजिये और उनकी राय लीजिये। आप न्यायाधीशों से यह आशा नहीं कर सकते कि वे प्रवर समिति के सामने आकर अपना मत प्रकट करें। उनकी भावनाओं का पता लगाना विधि मंत्रालय का कार्य है। श्री कामत का यह सुझाव मानने योग्य है कि विधिवेत्ताओं में से न्यायाधिकरण के सदस्य बनाये जायें जो कि उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधिश नहीं रहे है।

श्री शामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे पहले जो माननीय सदस्य बोले ह उन्होंने विधेयक के अनेक पहलुओं पर रोशनी डाली है। श्री कामत और श्री त्रिवेदी की इस बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को छोड़ कर और भी ऐसे सक्षम व्यक्ति हैं जिनको न्यायाधिकरण के सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर काम करने से इन्कार कर दिया। क्यों? इसलिये कि वे समझते हैं कि उनके अपने व्यवसाय में उनका अधिक अच्छा स्थान है। फिर जैसा कि श्री त्रिवेदी ने बताया और मैं स्वयं भी उन व्यक्तियों को जानता हूं जो कुछ प्रभाव के कारण इस व्यवसाय में प्रवेश कर गये और थोड़े ही समय में उच्च न्याया-लय के न्यायाधीश बन गये।

हमें अपनी न्यायपालिका के स्तर को बहुत ऊंचा उठान है ताकि जनता उसपर विश्वास कर सके। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि इस विधेयक को प्रवर के विचार समिति के लिये भेजा जाये। यदि श्री कामत सहमत हों तो मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को दोनों की संयुक्त समिति के विचार के लिये भेजा जाये। मैं जानता हूं कि राज्य सभा में बहुत अच्छे विधिवेत्ता हैं, वकील हैं और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश भी हैं। इन सब बातों के ध्यान में रखते हुए संयुक्त समिति स्थापित करना बहुत ठीक होगा। इस विधेयक पर हमें विभिन्न पहलुओंपर विचार करने की आव-श्यकता है। मेरी अपनी राय यह है कि हमें इस विधेयक को सीधे ही पारित नहीं करना चाहिये ताकि न्यायपालिका यह न महसूस करे कि उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया है, अपितु संयुक्त समिति द्वारा विधेयक के समस्त पहलुओं पर विचार किये जाने के पश्चात पारित करना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं इससे सहमत हूं।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : This Bill reduces the powers of judges. I submit that this matter be considered from another angle. I want to refer to the articles 138, 139 and 140. Under 138 the Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any of the matters in the Union List as Parliament may by law confer. Under the article 140 the powers of the Supreme Court can be increased. Nothing has so far been done by the Parliament regarding these articles for the last 16, 17 years. There is a fear in this direction that if the powers of the Supreme Court are enhanced then wide gulf will be created between the legislature and judiciary. But I feel such a clash sometimes prove useful in the interest of the nation.

I am of the opinion that we should provide in the Bill, that with a view to enforce articles 138, 139 and 140 of the Constitution, the Tribunal will present a report. If we have not implemented in the past, they should be implemented now. This fear is not justified that it will give greater powers to the judges. I feel that if this is done the judges will be have more responsibly and dignity. This is also unfounded assumption that it will lead to a harmful conflict between the legislature and the judiciary. Such conflict, if at all comes will not be inspired by any selfish interest, but with best motives and in the best interest of nation and the Country. In my opinion it will be healthy thing for the nation.

[श्री तिरूमल राव पीठासीन हुए
SHRI THIRUMAL RAO *in the Chair*]

My submission in this respect is that we should do everything according to the constitution. It is wrong to think that the prestige of the Parliament will be lowered by giving some powers to the judges. We should understand that equality does not mean Separation. There is no doubt that we can cite several examples of America or Great Britain, but it is better if we do things according to the Constitution.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। इसका सम्बन्ध प्रशासन की तीन शक्तियों के अलग अलग रहने के सिद्धान्त से तो है ही, इसके साथ ही यह लोकतंत्र के सिद्धान्तों और परम्पराओं के अनुकूल भी है। इसका उद्देश्य यह है कि विधान मंडल, न्यायपालिका और कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को अलग अलग निर्धारित किया जाय। न्यायाधीश (जांच) विधेयक जो कि आज हमारे सामने है कुछ घटनाओं पर आधारित है। प्रश्न यह है कि न्यायाधीशों के आचरण की जांच होनी चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह समस्या बहुत ही कठिन है। अत: इस विधेयक द्वारा उसको सुलझाने का प्रयत्न किया गया है। जहां इस विधेयक की भावना का प्रश्न है, उसे मैं स्वीकार करती हूँ। इसके अन्तर्गत भावना यह है कि एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना की जायेगी जो न्यायाधीशों के आचरण की जांच करेगा। मतलब यह कि ऐसा करने से उन लोगों को यह अवसर मिल सके कि वह अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सके। उनके आदर सम्मान को क्षति पहुंचायें बिना अपन पक्ष को प्रस्तुत कर सके। न्यायाधिकरण न्यायाधीश को अवसर देगा ताकि वह नाम, मान और ख्याति की रक्षा कर सके। इस सब के बावजूद मेरा यह निवेदन भी है कि विधेयक की कुछ आधारभूत बातें स्पष्ट नहीं है।

यह कहा गया है कि न्यायाधिकरण कुछ प्रक्रियाओं और नियमों के अनुसार कार्य करेगा। और तत्सम्बन्धी नियम सरकार द्वारा बनाये जायेंगे। मेरा कथन यह है कि यह उचित नहीं है। इसे स्वयं ही विनियमन का अधिकार होना चाहिए। यह एक स्थायी संस्था होनी चाहिए। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को इसमें लगाना चाहिए। उन लोगों की तुष्टि करने का काम सदा के लिए समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसको सदन के आदेशों के बाद स्थापित

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

किया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण प्रतिवेदन उसी समय सभा पटल पर रखी जानी चाहिए जब कि किसी न्यायाधीश के विरूद्ध दुर्व्यवहार का दोष ठीक प्रकार से प्रमाणित हो चुका हो। यदि ऐसा न किया गया तो न्यायाधीश की प्रतिष्ठा को बहुत ही धक्का पहुचगा। मैं इन शब्दों से इस विधेयक का समर्थन करती हूं और आशा करती हूँ कि मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर सहानुभतिपूर्ण ढंग से विचार करेंगे।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं इस विधेयक के पक्ष में हूँ परन्तु साथ ही मैं बहुत से माननीय सदस्यों की इस मांग का भी समर्थन करता हूं। सदन के सभी पक्षों की और से इस मांग पर जोर दिया है, अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। यह विधि मंत्री के श्रेय की बात है कि उन्होंने इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया है। प्रश्न यह है कि संविधान के अनुसार जो न्यायाधिकरण स्थापित किया जाना है उसकी शक्ति सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जो व्यवहार हुआ है वह ठीक नहीं कहा जा सकता। यह अधिकार सदन के पास ही रहना चाहिए, ताकि सरकार यदि कोई उपबन्ध करे तो अस्थायी हो। और उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए संसद के पास जाना पड़े।

यह भी सम्भव है कि संसद सरकार के परामर्श को स्वीकार ले परन्तु फिर भी यह नियन्त्रण तो होगा ही। ऐसा हो गया तो सरकार को इस दिशा में तनिक सतर्क रहना होगा। यह बात सब पर स्पष्ट होनी चाहिए कि उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा का ध्यान रखा ही जाना चाहिए। वह भी मनुष्य है, भूलें तो उनसे भी हो सकती है। रोग इत्यादि से वह भी कमजोर और काम करने के अयोग्य हो सकते हैं। कई बार उनका व्यवहार भी गलत हो सकता है। आखिर आयु का प्रभाव तो होता ही है। जिन लोगों को न्यायाधीश के पदों से हटाया जाना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए। जब तक यह शक्ति अथवा अधिकार संसद के पास रहेगा, सरकार कुछ शरारत नहीं कर सकगी। यदि न्यायाधिकरण के स्थापित किये जाने की शक्ति सरकार के पास होगी तो न्यायाधीशों को अवश्य ही इस पर आपत्ति होगी। सरकार को बुद्धि से काम लेना चाहिए और इस उपबन्ध को प्रायः प्रयोग नहीं करना चाहिए। विशेष समयों पर ही हमें इस का प्रयोग करना चाहिए। और प्रयोग से पूर्व इस बात को जांच कर लेनी चाहिए कि क्या ऐसा करना बहुत जरूरी है।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

हमारी सरकार की यह स्थिति कोई विचित्र नहीं है, लगभग सभी सरकारों का यही नियम है। उन्हें न्यायाधीशों को स्वतन्त्रता देनी ही होगी। यह विधि की परम्परा है। वैसे तो यह मनुष्य स्वभाव की बात है कि जब भी किसी को आप शक्ति दे दें तो वह उसे पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहता है। वह नहीं चाहता कि उसमें कोई कमी की जाय। इस मानसिक स्थिति में हानि भी हो सकती है। शक्ति प्राप्त व्यक्ति प्रायः उसका बुरा प्रयोग करते हुए देखे गये है। न्यायाधीशों के बारे में भी इसी प्रकार कहा जा सकता है। वे भी अपने आप को शक्ति सम्पन्न समझने लग जाये तो मनमानियां कर सकते है। इससे सामान्य नागरिकों को काफी कष्ट हो सकता है। सरकार भी परेशान हो सकती है। यही कारण है। 'शक्ति पृथकता' का यही तो सिद्धान्त है। इसके अन्तर्गत जो कुछ भी आता है, सरकार को उसका ध्यान रखना चाहिए। न्यायाधीश के प्रति पूरी आदर की भावनाये रहनी चाहिए। उन्हें कार्यपालिका के सभी प्रकार के प्रभावों से मुक्त रखा जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय को पुनः इस बात पर विचार करना चाहिए और इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपना चाहिए। हमारा दल इस विधेयक के अन्तर्गत आने वाले सिद्धान्त का पूर्ण रूप से समर्थक है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : सरकार ने अपने पण के अनुसार जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। यद्यपि यह एक वर्ष की देरी से आ रहा है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि इस तथ्य के बावजूद भी कि प्रस्तुत विधान संविधान की धारा 124 (5)

को पूरा करता है। इस धारा के अन्तर्गत यह कहा गया है कि ऐसे किसी विधान को कार्यान्वित नहीं किया जायेगा जो कि संविधान के अनुरूप न हो।

[श्री खाडीलकर पीठासीन हुए
SHRI KHADILKAR *in the Chair*]

इस संदर्भ में मेरा निवेदन यह है कि यह उपबन्ध दोषपूर्ण है। मेरा अब भी यह मत है कि यह उपबन्ध काफी प्रभावी रहा है। इसके अनुसार संसद कानून बना कर प्रक्रिया को नियमित कर सकती है। यदि इस प्रकार का कोई विशिष्ट विधान न हो तो संसद तदर्थ रूप से इन जाचों के सम्बन्ध में प्रक्रिया विनियमित कर सकती है। मेरा विचार है कि प्रस्तुत विधेयक सभी मान्य संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है। प्रस्तुत विधेयक द्वारा न्यायपालिका सम्बन्धी समस्त परम्परा का मनमाने तथा अभद्र ढंग में अपमान होता है। हमारे संविधान तथा समाज में न्यायपालिका को अति पवित्र समझा जाता है। अतः उसकी पवित्रता को हर हालत में कायम रखना चाहिए।

इस विधेयक द्वारा न्यायपालिका के कामों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया है। यह विचार इसके द्वारा दिया गया है कि यदि कार्यपालिका अथवा राष्ट्रपति चाहे तो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। यह अच्छी परम्परा नहीं जिसका कि निर्माण किया जा रहा है। एक विशेष न्यायाधिकरण को जांच करने के सारे अधिकार दिये गये है। जहां तक कथित कर्त्तव्य, विमुखता तथा अक्षमता का सम्बन्ध है, यह प्रस्तावित न्यायाधिकरण होगा जो अपनी उपपत्तियां प्रस्तुत करेगा। न्यायिक निष्कर्षों को अभिलिखित कर दिये जाने के पश्चात यदि सभा उसकी सलाह नहीं मानेगी, तो यह एक बहुत भारी चूक अथवा भूल होगी। और इस चूक को कोई साधारण चूक नहीं कहा जा सकता। यह बहुत ही गम्भीर बात होगी। यह सदन के विशेषाधिकारों तथा संसार भर में मान्यता प्राप्त संसदीय सिद्धान्तों के विपरीत बात होगी। एक बात इस दिशा में यह भी महत्वपूर्ण है कि उन देशों में, जहां से हमने अपने संविधान के अधिकांश उपबन्धों को लिया है, इस दिशा में पहल करने का अधिकार तथा शक्तियां विधान मंडल को प्राप्त है। इस विधेयक में यह उपबन्ध एक प्रतिगामी कदम ही कहा जायेगा। यह एक ऐसा कृत्य है जिसका संसद को अपने विशेषाधिकारों के आधार बड़े दृढ़तापूर्वक ढंग से विरोध करना चाहिए। यह इस दिशा में एक मूलभूत बात है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का सिद्धान्त तो सर्वमान्य है। यह सिद्धान्त इस बात पर आधारित है कि कार्यकाल का संरक्षण ठीक ढंग से किया जाय। यह सिद्धान्त सभी लोकतंत्रात्मक देशों में इस मान्य तथा प्रथागत मत पर आधारित है कि उल्लिखित तरीके के अतिरिक्त इसमें और किसी ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति को न्यायाधिकरण नियुक्त करने का अधिकार जो हम दे रहे है, इसका अर्थ स्पष्ट यह है कि हम न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और ऐसा करके हमने लोकतंत्र के एक मान्य सिद्धान्त न्यायपालिका की स्वतन्त्रता तथा सर्वोच्चता के सिद्धान्त को तिलांजली दे दी है। और हमें यह न भूलना चाहिए कि इस सिद्धान्त को हम अपने संविधान में मान्यता दे चुके हैं।

इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि यह विधान बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है। इसे शीघ्रता से पारित नहीं किया जाना चाहिए। इस दोनों सदनों की एक निर्दिष्ट समिति को सौंपा जाना चाहिए। यह समिति सभी संवैधानिक उपबन्धों का व्यापक रूप से तुलनात्मक अध्ययन करे और इस विधेयक का उचित रूप से प्रारूप तैयार करे।

इस विषय के सम्बन्ध में जो व्यवस्था आस्ट्रेलिया के संविधान में है वही हमारे संविधान में भी है। आस्ट्रेलिया में प्रचलित प्रथा के अनुसार इस सम्बन्ध में सभी शक्तियां तथा विशेषाधिकार विधान

[डा० लक्ष्मीलाल सिंघवी]

मंडल में ही निहित हैं। वहां पर किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के बारे में संकल्प को पारित करने से पूर्व उस न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायतों पर पूरी सभा द्वारा अथवा पूरी सभा की एक समिति द्वारा पूर्ण रूप से विचार किया जाता है चाहे उस मामले की जांच किसी आयोग अथवा प्रवर समिति द्वारा पहले ही क्यों न की जा चुकी हो। यही प्रक्रिया यहां भी अपनाई जानी चाहिये।

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है और इसे इतनी जल्दी में पारित नहीं किया जाना चाहिये। यदि हम न्यायिक स्तर को बनाये रखना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि संविधान की भावनाओं को ठेस न पहुंचे तो सरकार को इस मामले पर निष्पक्ष रूप से विचार करना चाहिये और इस विधेयक को एक प्रवर समिति की बजाय दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया जाना चाहिये जो इस विषय पर व्यापक रूप से विचार करने के पश्चात इस विधेयक का उचित मसौदा तैयार करे।

श्री अ० शं० आल्वा (मंगलौर): यह विधेयक संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 124 के खण्ड 4 के अन्तर्गत यह विशेषाधिकार केवल संसद को ही प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिये राष्ट्रपति को समावेदन प्रस्तुत करे। इसी प्रकार से अनुच्छेद 217 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने का भी संसद को ही विशेषाधिकार प्राप्त है।

यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को एक याचिका प्रस्तुत करके अथवा कई संसद सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को लिखित रूप में कह जाने पर किसी न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को पद से हटाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि राष्ट्रपति इस मामले में कोई ऐसी कार्यवाही कर सकें। हमें यह देखना है कि क्या इस विधेयक को इस प्रकार से पारित किया जा सकता है अथवा इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है और क्या इससे संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन तो नहीं होता है। अतः मेरे विचार में इन सभी बातों पर पूर्ण रूप से विचार किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अन्तिम निर्णय संसद द्वारा किया जाना है न कि न्यायाधिकरण द्वारा।

इस विधेयक में यह जो व्यवस्था की जा रही है कि केवल राष्ट्रपति ही न्यायाधिकरण को कोई मामला निर्दिष्ट कर सकेंगे। इस संदर्भ में हमें यह विचार करना है कि यदि कार्यपालिका किसी न्यायाधीश के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती है तो इस दशा में क्या संसद स्वयं कोई कार्यवाही कर सकेगी? इस सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखी जानी चाहिये कि अनुच्छेद 124 के खण्ड 4 के अन्तर्गत केवल संसद ही किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिये संकल्प पारित कर सकती है। अतः खण्ड 3 जिसमें राष्ट्रपति को यह शक्ति दी जा रही है कि केवल वह ही न्यायाधिकरण को कोई मामला निर्दिष्ट कर सकते हैं, संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध है क्योंकि संविधान के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। अतः या तो इस विधेयक को पारित करने से पूर्व संविधान के अनुच्छेद 124 में संशोधन किया जाना चाहिये अथवा यह व्यवस्था संविधान के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे।

अब हम आधे घंटे की चर्चा को लेंगे।

*अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

**RISE IN PRICES OF ESSENTIAL COMMODITIES

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Mr. Deputy Speaker, Sir, this half-an-hour discussion has arisen out of the reply given to the starred Question No. 512 regarding rise in prices of essential commodities asked on 9th Sept., 1965.

There are three reasons for rise in prices of commodities in the country ; namely (a) natural shortage of commodities, (b) profiteering, and (c) deficit budgeting.

If Government had cared to pay some attention to this problem before, we would have been able to find out a solution of it and we would have not to face the present situation in this regard.

It has never occurred to the Government in connection with the rise in prices that a scientific analysis should be carried out about it, which is very essential with a view to find out as to how much rise in prices is due to natural shortage of commodities ; how much is due to deficit budgeting and how much is due to profiteering. Such analysis has been made in western countries and this can be carried out here also.

The burden of rise in prices due to profiteering should be borne by the traders and not by the consumers. The consumers should bear only that burden of rise in prices which is due to natural shortage of commodities.

After the analysis is carried out, this principal should be followed .....

Shri Sheo Narain (Barsi) : Mr. Deputy Speaker, there is no quorum in the House at this moment.

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि सभा में गणपूर्ति नहीं है । अतः सभा कल 10 बजे तक के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात लोक-सभा बुधवार, 22 सितम्बर, 1965/31 भाद्र, 1887 (शक) के 10 बजे के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Ten of the clock on Wednesday, 22 September, 1965/Bhadra 31, 1887 (Saka).

---

*आधे घंटे की चर्चा ।

** Half-an-hour Discussion.

मा०स०मु०ना—वि० २—३९ लोक सभा/६५—७-७-६६—६००.